रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 255] नई दिल्ली, सोमवार, मई 8, 2000/वैशाख 18, 1922

No. 255] NEW DELHI, MONDAY, MAY 8, 2000/VAISAKHA 18, 1922

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

अधिसूचना

मुंबई, 3 मई, 2000

सं. फेमा 15/2000-आरबी

सा.का.नि. 402(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (ज) के अनुसरण में रिज़र्व बैंक डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड अथवा किसी अन्य लिखत को, जिसका उपयोग वित्तीय दायित्व सृजित करने के लिए किया जाता हो और जिसे किसी भी नाम से संबोधित किया जाता हो, 'करेंसी' के रूप में अधिसूचित करता है।

ये पहली जून, 2000 से लागू होंगे।

[फा. सं. 1/9/ई सी/97]

पी. आर. गोपाल राव, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

(Exchange Control Department)

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd May, 2000

No. FEMA 15/2000-RB

G.S.R. 402(E).—In pursuance of clause (h) of Section 2 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank notifies debit cards, ATM cards or any other instrument by whatever name called that can be used to create a financial liability, as 'currency'.

They shall come into effect on the 1st day of June, 2000.

[F. No. 1/9/EC/97]

P. R. GOPALA RAO, Executive Director

अधिसूचना

मुंबई, 3 मई, 2000

सं. फेमा 16/2000-आरबी

सा.का.नि. 403(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसरण में रिज़र्व बैंक सहर्ष अनुमति प्रदान करता है कि —

1) कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से कोई भी भुगतान प्राप्त कर सकता है

क) भारत से बाहर के किसी निवासी व्यक्ति द्वारा उसके भारत में रहने के दौरान भारत स्थित किसी प्राधिकृत व्यापारी या मुद्रा परिवर्तक को विदेशी मुद्रा बेचने से उपलब्ध रुपया निधि में से उसके आदेश से या उसकी ओर से किसी अन्य द्वारा रुपये में किया गया भुगतान ;

ख) भारत से बाहर स्थित किसी बैंक पर आहरित चेक या भारत से बाहर जारी किये गये बैंक ड्राफ्ट या यात्री चेक से किया गया भुगतान ;

ग) भारत से बाहर विदेशी करेंसी के नोटों में सीधे ही किया गया भुगतान ;

घ) खंड (ख) व (ग) के अनुसरण में प्राप्त विदेशी मुद्रा के विक्रय का प्रस्ताव उसकी प्राप्ति से सात दिन के भीतर किया जाएगा या उसके विक्रय का प्रस्ताव किसी प्राधिकृत व्यापारी या मुद्रा परिवर्तक को देना होगा;

ङ) भारत से बाहर के किसी डाक कार्यालय द्वारा जारी पोस्टल आर्डर या ऐसे कार्यालय द्वारा जारी पोस्टल मनी आर्डर से भुगतान ।

2) भारत में निवासी कोई व्यक्ति, रुपये में निम्नलिखित कोई भी भुगतान कर सकता है

i) भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति के भारत दौरे के समय उसकी भोजन-व्यवस्था, आवास-व्यवस्था और उनसे संबंधित सेवाओं और दोनों ओर की तथा भारत के भीतर की यात्रा के व्ययों का भुगतान ;

ii) केन्द्र सरकार द्वारा विदेशी व्यापार (संवर्धन व विनियमन) अधिनियम, 1942 या तात्कालिक तौर पर लागू किसी भी अन्य विधि, नियमों या विनियमों के तहत जारी किसी भी आदेश के तहत लागू शर्तों का अनुपालन करते हुए भारत के बाहर के किसी निवासी व्यक्ति द्वारा आयात किये गये किसी भी रूप के सोने या चांदी के क्रय के प्रतिफल स्वरूप ऐसे व्यक्ति को किसी रेखित चेक या ड्राफ्ट से भुगतान;

3) भारत में कोई कंपनी या भारत में निवासी कोई व्यक्ति अपने किसी ऐसे पूर्णकालिक निदेशक को रुपये में भुगतान कर सकता है जो भारत से बाहर का निवासी है और कंपनी के कार्य से भारत के दौरे पर है और सीटिंग फीस या कमीशन या पारिश्रमिक, और दोनों ओर की तथा भारत के भीतर की यात्रा के व्ययों के भुगतान के लिए कंपनी, संस्था के ज्ञापन या संस्था की अंतर्नियमावली में निहित प्रावधानों या उसके द्वारा निष्पादित किसी भी करार या कंपनी की साधारण सभा में या उसके निदेशक मंडल द्वारा पारित किसी संकल्प के अनुसार पात्र है, बशर्ते ऐसे भुगतान करने के लिए लागू किसी विधि, नियमों, विनियमों, निदेशों का विधिवत् अनुपालन किया गया हो ।

ये पहली जून, 2000 से लागू होंगे।

[फा. सं. 1/9/ई सी/97]

पी. आर. गोपाल राव, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd May, 2000

No. FEMA 16/2000-RB

G.S.R. 403(E).—In pursuance of the provisions of Section 3 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank is pleased to permit—

1) any person, to receive any payment

a) made in rupees by order or on behalf of a person resident outside India during his stay in India out of rupee funds provided by him by sale of foreign exchange to an authorised dealer or a money changer in India;

b) made by means of a cheque drawn on a bank situated outside India or a bank draft or travellers cheque issued outside India;

c) made in foreign currency notes directly from out of India;

subject to the condition that the foreign exchange received pursuant to clauses (b) and (c) shall be offered for sale or caused to be offered for sale to an authorised dealer or a money changer within seven days of receipt thereof;

d) by means of postal order issued by a post office outside India or by a postal money order issued by such post office.

2) a person resident in India, to make any payment in rupees

i) towards meeting expenses on account of boarding, lodging and services related thereto or travel to and from and within India of a person resident outside India who is on a visit to India;

ii) to a person resident outside India, by means of a crossed cheque or a draft as consideration for purchase of gold or silver in any form imported by such person in accordance with the terms and conditions imposed under any order issued by the Central Government under the Foreign Trade (Development and Regulations) Act, 1992 or under any other law, rules or regulations for the time being in force;

3) a company in or resident in India, to make payment in rupees to its whole time director who is resident outside India and is on a visit to India for the company's work and is entitled to payment of sitting fees or commission or remuneration, and travel expenses to and from and within India, in accordance with the provisions contained in the company's Memorandum of Association or Articles of Association or in any agreement entered into by it or in any resolution passed by the company in general meeting or by its Board of Directors, provided the requirements of any law, rules, regulations, directions applicable for making such payments are duly complied with.

They shall come into effect on the 1st day of June, 2000

[F. No. 1/9/EC/97]
P. R. GOPALA RAO, Executive Director

अधिसूचना

मुंबई, 3 मई, 2000

सं. फेमा 17/2000-आरबी

सा.का.नि. 404(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह निदेश देता है कि उक्त धारा के खंड (ख), (ग) और (घ) द्वारा लगाये गये प्रतिबंध निम्नलिखित के साथ भारतीय रुपये में किये गये किसी भी लेन देन पर लागू नहीं होंगे :

i) कोई व्यक्ति जो भारत, नेपाल अथवा भूटान का नागरिक है और नेपाल अथवा भूतान में रह रहा है;

ii) भारत, नेपाल अथवा भूटान में प्रवृत्त किसी भी कानून के अंतर्गत निगमित निगम अथवा कंपनी द्वारा किये जा रहे किसी भी व्यवसाय की नेपाल अथवा भूतान में स्थित शाखा;

iii) भारत, नेपाल अथवा भूटान द्वारा साझेदारी फर्म अथवा अन्य प्रकार से किये जा रहे किसी भी व्यवसाय की शाखा जो नेपाल अथवा भूटान में स्थित है ।

ये पहली जून, 2000 से लागू होंगे।

[फा. सं. 1/9/ई सी/97]
पी. आर. गोपाल राव, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd May, 2000

No. FEMA 17/2000-RB

G.S.R. 404(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank hereby directs that the prohibitions imposed by clauses (b), (c) and (d) of that section shall not apply to any transaction entered into in Indian rupees by or with :

i) a person who is a citizen of India, Nepal or Bhutan resident in Nepal or Bhutan;

ii) a branch situated in Nepal or Bhutan of any business carried on by a company or a corporation incorporated under any law in force in India, Nepal or Bhutan;

iii) a branch situated in Nepal or Bhutan of any business carried on as a partnership firm or otherwise, by a citizen of India, Nepal or Bhutan.

They shall come into effect on the 1st day of June, 2000

[F. No. 1/9/EC/97]
P. R. GOPALA RAO, Executive Director

अधिसूचना

मुंबई, 3 मई, 2000

सं. फेमा 18/2000-आरबी

सा.का.नि. 405(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 3 के खंड (क) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी व्यक्ति को उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये और इस समय प्रवृत्त कानून अथवा नियमों के अनुसार किसी भी डाकघर से पोस्टल ऑर्डर अथवा मनीऑर्डर के रूप में विदेशी मुद्रा की खरीद कर सकता है।

ये पहली जून 2000, से लागू होंगे।

[फा. सं. 1/9/ई सी/97]
पी. आर. गोपाल राव, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd May, 2000

No. FEMA 18/2000-RB

G.S.R. 405(E).—In pursuance of clause (a) of Section 3 of Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India is pleased to permit any person to buy from any Post Office, in accordance with any law or rules made thereunder for the time being in force, any foreign exchange in the form of postal orders or money orders.

They shall come into effect on the 1st day of June 2000.

[F. No. 1/9/EC/97]
P. R. GOPALA RAO, Executive Director

अधिसूचना

मुंबई, 3 मई, 2000

सं. फेमा 20/2000-आरबी

सा.का.नि. 406(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति को निषिद्ध करने, प्रतिबंधित या विनियमित करने, अंतरित करने या जारी करने के प्रयोजन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गमन) विनियमावली, 2000 कहा जाएगा।

(2) ये पहली जून, 2000 से लागू होगें।

2. परिभाषा

इस विनियमावली में, जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

i) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42);

ii) 'पूंजी' से अभिप्रेत है, ईक्विटी शेयर, अधिमान शेयर, परिवर्तनीय अधिमान शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर;

iii) 'पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक' (एफआइआइ) से अभिप्रेत है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक;

iv) 'सरकारी अनुमोदन' से अभिप्रेत है, भारत सरकार के औद्योगिक सहायता सचिवालय (एसआइए), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग अथवा

यथास्थिति, भारत सरकार के विदेशी निवेशक संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) से अनुमोदन;

v) 'भारतीय कंपनी' से अभिप्रेत है, भारत में निगमित कंपनी;

vi) 'प्रत्यावर्तन आधार पर निवेश' से अभिप्रेत है, वह निवेश जिसके बिक्री आय, कर घटाकर, भारत से बाहर प्रत्यावर्तित किये जानेवाले हों, और 'गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर निवेश' अभिव्यक्ति का अर्थ तद्नुसार होगा;

vii) 'संयुक्त उद्यम' और 'पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था' का अर्थ क्रमशः वही होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण और निर्गमन) विनियमावली, 2000 में दिया गया है;

viii) 'अनिवासी भारतीय (एनआरआइ)', 'विदेशी कंपनी निकाय' का अर्थ क्रमशः वही होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 में दिया गया है;

ix) 'भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)' से अभिप्रेत है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत गठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड;

x) 'औद्योगिक सहायता सचिवालय' से अभिप्रेत है, भारत सरकार के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में स्थित औद्योगिक सहायता सचिवालय;

xi) अंतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) का वही अर्थ है जो अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) के अंतर्गत बनाये गये विनियमों में इसके लिए उसे दिया गया है;

xii) इन विनियमों में प्रयुक्त परंतु अपरिभाषित शब्द तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो क्रमशः अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

3. भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति जारी करने या अंतरित करने पर प्रतिबंध

अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों या विनियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, भारत के बाहर निवास करनेवाला कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की प्रतिभूति जारी या अंतरित कर नहीं सकेगा,

बशर्ते वह प्रतिभूति इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से पूर्व जारी की गयी हो अथवा रोक रखी गयी हो तो उसे इन विनियमों के अंतर्गत जारी की गयी प्रतिभूति माना जाएगा और वे तदनुसार इन विनियमों के अंतर्गत शासित हो;

बशर्ते यह भी कि रिजर्व बैंक, इसके लिए किये गये आवेदन तथा पर्याप्त कारण रहने पर भारत के बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति को उन शर्तों के अंतर्गत, जिन्हें वह आवश्यक समझे, प्रतिभूति जारी करने या अंतरित करने की अनुमति दे ।

4. भारतीय संस्था पर भारत के बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति को प्रतिभूति जारी करने या उस व्यक्ति से या को प्रतिभूति के अंतरण को बहियों में दर्ज करने के लिए प्रतिबंध

अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों या विनियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, कोई भारतीय संस्था भारत के बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की प्रतिभूति जारी नहीं करेगी अथवा अपनी बहियों में ऐसे किसी व्यक्ति से या किसी व्यक्ति को प्रतिभूति का कोई भी अंतरण दर्ज नहीं करेगी :

बशर्ते रिजर्व बैंक, इसके लिए किये गये आवेदन तथा पर्याप्त कारण रहने पर किसी संस्था को भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति को कोई प्रतिभूति जारी करने की अनुमति दे अथवा उन शर्तों के अंतर्गत जिन्हें वह आवश्यक समझे, ऐसे किसी व्यक्ति से या को प्रतिभूति के अंतरण को उसकी बहियों में दर्ज करने की अनुमति दे ।

5. भारत के बाहर निवास करनेवाले कतिपय व्यक्तियों द्वारा शेयर की खरीद के लिए अनुमति

(1) भारत के बाहर निवास करनेवाला कोई व्यक्ति (बांगला देश या पाकिस्तान या श्रीलंका के नागरिक को छोड़कर) या भारत के बाहर की कोई संस्था (बांगला देश या पाकिस्तान में स्थित संस्था को छोड़कर) भले ही वह निगमित हो या नहीं, अनुसूची-1 में उल्लिखित शर्तों के अधीन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के अंतर्गत भारतीय कंपनी के शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद कर सकेगा ।

(2) कोई भी पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ) अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद कर सकेगा।

(3) कोई भी अनिवासी भारतीय या विदेशी कंपनी निकाय किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या परिवर्तनीय डिबेचंरों की निम्नलिखित आधार पर खरीद कर सकेगा :

i) अनुसूची-3 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत शेयर बाजार में अथवा और

ii) अनुसूची-4 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार संविभाग निवेश योजना के अलावा अप्रत्यावर्तन आधार पर।

(3) कोई भी अनिवासी भारतीय या विदेशी कंपनी निकाय या पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ) अनुसूची-5 के अनुसार शेयरों या भारतीय कंपनी के परिवर्तनीय डिबेंचरों को छोड़कर प्रतिभूति की खरीद कर सकेगा।

6. हकदारी शेयरों का अधिग्रहण

(1) भारत के बाहर निवास करनेवाला कोई व्यक्ति उस भारतीय कंपनी द्वारा प्रस्तावित ईक्विटी या अधिमान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद कर सकेगा जो उप-विनियम (2) में उल्लिखित शर्तें पूरी करती हो।

(2) कोई भी भारतीय कंपनी जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करती हो, भारत के बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति को हकदारी आधार पर ईक्विटी या अधिमान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचरों का प्रस्ताव (ऑफर) दे सकेगी, अर्थात् -

i) हकदारी आधार पर किसी प्रस्ताव के कारण पूर्व-अनुमोदित या इन विनियमों के अनुसार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के अंतर्गत अनुमत विदेशी ईक्विटी के प्रतिशत में वृद्धि नहीं होगी;

ii) जिन वर्तमान शेयरों या डिबेंचरों पर कंपनी द्वारा हकदारी आधार पर शेयर या डिबेंचर जारी किये जाते हैं उन्हें भारत के बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा इन विनियमों के अनुसार अधिगृहीत और धारित किया जाता है;

iii) भारत के बाहर रहनेवाले किसी व्यक्ति को हकदारी आधार पर प्रस्ताव का मूल्य वही है जो निवासी धारकों के प्रस्ताव का है ।

(3) भारत के बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा खरीदे गये हकदारी शेयरों या डिबेंचरों के लिए प्रत्यावर्तनीयता संबंधी प्रतिबंधसहित वही शर्तें होंगी, जो उन मूल शेयरों पर भी लागू है जिन पर हकदारी शेयर या डिबेंचर जारी किये जाते हैं :

परंतु हकदारी शेयरों या डिबेंचरों की खरीद के लिए प्रतिफल की राशि का भुगतान सामान्य बैंकिंग प्रणाली के जरिये विदेशी मुद्रा में आवक प्रेषण के रूप में या यदि शेयर या डिबेंचर प्रत्यावर्तन आधार पर जारी किये गये हों तो, एनआरई/एफसीएलआर खाते में नामे डालकर किया जाएगा :

परंतु यह भी कि अप्रत्यावर्तनीय आधार पर जारी किये गये शेयरों या डिबेंचरों के संबंध में प्रतिफल राशि का भी भुगतान एनआरओ/एनआरएसआर/एनआरएनआर खाते में नामे डालकर किया जाएगा ।

7. भारतीय कंपनियों के विलयन अथवा गैर-विलयन अथवा समामेलन के बाद शेयरों का निर्गम और अभिग्रहण

1) जब दो अथवा उससे अधिक भारतीय कंपनियों के विलयन अथवा समामेलन अथवा किसी भारतीय कंपनी का गैर-विलयन अथवा अन्य तरीके से पुनर्निर्माण की योजना भारत न्यायालय द्वारा अनुमोदित की जाती है तब अंतरिती कंपनी अथवा जैसा भी मामला हो कंपनी निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारत के बाहर के निवासी अंतरणकर्ता कंपनी के शेयरधारकों को शेयर जारी कर सकती है, अर्थात् :

क) अंतरिती अथवा नयी कंपनी में भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों के शेयर धारण का प्रतिशत केंद्र सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए जाए अनुमोदन में विनिर्दिष्ट अथवा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से अधिक न हो :

बशर्ते जब प्रतिशत अनुमोदन अथवा विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से बढ़ने की संभावना हो, तो अंतरणकर्ता कंपनी अथवा अंतरिती अथवा नई कंपनी केंद्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने पर रिजर्व बैंक को इन विनियमों के अंतर्गत उसके अनुमोदन के लिए आवेदन करें ।

ख) अंतरणकर्ता कंपनी अथवा अंतरिती अथवा नई कंपनी कृषि, बागवानी अथवा भूमि-भवन अथवा टीडीआर में कारबार न करती हो; और

ग) अंतरिती अथवा नई कंपनी, विलयन/समामेलन/पुनर्निर्माण से पूर्व और बाद में भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा अंतरणकर्ता अथवा अंतरिती अथवा नई कंपनी में धारित शेयरों के पूरे ब्योरे देते हुए रिजर्व बैंक को 30 दिन के भीतर रिपोर्ट फाइल करती है और यह इस आशय की पुष्टि भी प्रस्तुत करती है कि न्यायालय द्वारा अनुमोदित योजना में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

8. भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों को कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत शेयर जारी करना

1) कोई भी भारतीय कंपनी, चाहे किसी भी नाम से जानी जाती हो, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत अपने कर्मचारियों अथवा अपने संयुक्त उपक्रमों के अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली विदेश स्थित सहायक संस्थाओं के कर्मचारियों को जो भारत के बाहर के निवासी हैं, सीधे अथवा न्यास के माध्यम से शेयर जारी कर सकती हैं :

बशर्ते

क) उक्त योजना भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत जारी विनियमों के अनुसार बनायी गयी हो; और

ख) उक्त योजना के अंतर्गत अनिवासी कर्मचारियों को आबंटित किये जानेवाले शेयरों का अंकित मूल्य जारीकर्ता कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक न हो।

2) न्यास और जारीकर्ता कंपनी यह सुनिश्चित करे कि उक्त योजना के अंतर्गत भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा धारित शेयरों का मूल्य उप विनियम (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक न हो।

3) जारीकर्ता कंपनी, उक्त योजना के अंतर्गत शेयरों के जारी करने की तारीख से 30 दिन के भीतर रिजर्व बैंक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें निम्नलिखित विवरण/दस्तावेज दिये गये हों -

i) उक्त योजना के अंतर्गत जिन्हें शेयर जारी किये गये हैं, ऐसे व्यक्तियों के नाम और उनमें से प्रत्येक को जारी किये गये शेयरों की संख्या;

ii) जारीकर्ता कंपनी के कंपनी सचिव द्वारा एक प्रमाणपत्र कि उक्त योजना के अंतर्गत जारी शेयरों का मूल्य जारीकर्ता कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक न हो और यह कि उक्त शेयर 'सेबी' द्वारा इस संबंध में जारी विनियमों के अनुपालन में जारी किये गये हैं।

9. भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा भारतीय कंपनी के शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों का अंतरण

1) उप विनियम (2) के उपबंधों के अधीन इन विनियमों के अनुसरण में किसी भी भारतीय कंपनी के शेयर अथवा डिबेंचर को धारण करनेवाला भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति इन विनियमों की संबंधित अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन में उनके द्वारा धारित शेयरों अथवा डिबेंचरों को अंतरित कर सकते हैं।

2) i) भारत के बाहर का निवासी कोई भी व्यक्ति अनिवासी भारतीय अथवा विदेशी कंपनी निकाय न होने के कारण उसके द्वारा धारित शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर, बिक्री के जरिये भारत के बाहर निवासी किसी भी व्यक्ति को अंतरित कर सकते हैं।

बशर्ते जिस व्यक्ति को शेयर अंतरित किये जा रहे हैं उसने यदि अपने उसी क्षेत्र अथवा अन्य क्षेत्र जिसमें भारतीय कंपनी, जिसके शेयर अतरित होना निहित है, में शेयर अथवा डिबेंचर में निवेश अथवा तकनीकी सहयोग अथवा ट्रेड मार्क करार अथवा निवेश जिस किसी नाम से जाना जाता हो, के माध्यम से पहले कोई उद्यम हो अथवा भारत में गंठजोड़ हो, शेयर प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली हो।

ii) कोई भी अनिवासी भारतीय अथवा विदेशी कंपनी निकाय उसके द्वारा अथवा उनके द्वारा धारित शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर बिक्री के जरिये अथवा अन्य अनिवासी भारतीय अथवा केवल किसी विदेशी कंपनी निकाय को अंतरित कर सकती है।

iii) कोई भी भारत के बाहर का निवासी उसके द्वारा धारित कोई प्रतिभूति भारत में निवासी व्यक्ति को उपहार के जरिये अंतरित कर सकता है।

10. कतिपय मामलों में प्रतिभूति के अंतरण के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति

क. भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा उपहार अथवा बिक्री के जरिये अंतरण

भारत में निवासी व्यक्ति, जो भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को :

क) कोई प्रतिभूति, उपहार के जरिये, अंतरित करने का प्रस्ताव करता हो, तो वह रिज़र्व बैंक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करते हुए आवेदन करे, अर्थात् :

i) अंतरणकर्ता और प्रस्तावित अंतरिती का नाम और पता
ii) अंतरणकर्ता और प्रस्तावित अंतरिती के बीच रिश्ता
iii) उपहार देने के कारण

ख) किसी भी भारतीय कंपनी का कोई शेयर/परिवर्तनीय डिबेंचर बिक्री के जरिये अंतरित करने का प्रस्ताव करता हो, तो वह अंतरण के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करें तथा उसके बाद रिज़र्व बैंक के पास उसके अनुमोदन के लिए आवेदन करे, जो रिज़र्व बैंक द्वारा उचित समझी जानेवाली शर्तों के अधीन मंजूर किया जा सके जिसमें ऐसी बिक्री जिस मूल्य पर की जाएगी, वह मूल्य भी शामिल होगा।

ख. भारत से बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति द्वारा विनियम 9 में शामिल न की गई बिक्री के रूप में अंतरण

1) भारत से बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति द्वारा विनियम 9 में शामिल न की गई बिक्री के रूप में उसके पास रखे हुये शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों का भारत में निवास करनेवाले व्यक्ति को अंतरण करने के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगा जिसके लिए फार्म टीएस-1 में रिज़र्व बैंक को आवेदन किया जाए।

2) अनुमति प्रदान करते समय रिज़र्व बैंक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा, अर्थात् :

क) जहां भारतीय कंपनी के शेयरों का शेयर बाजार (स्टॉक एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किया जाता है,

i) बिक्री, शेयर बाजार में प्रचलित बाजार मूल्य पर होती है और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकृत वाणिज्यिक बैंकर अथवा शेयर बाजार में पंजीकृत स्टाक ब्रोकर के जरिए प्रभावी होती है;

ii) यदि अंतरण, खंड (i) में उल्लिखित को छोड़कर है तो रिजर्व बैंक स्वयं यह पुष्टि करेगा कि 5 प्रतिशत के घट-बढ़-सहित आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती एक सप्ताह के लिए औसत संविदा दर (दैनिक उच्च तथा निम्न औसत) निर्धारित मूल्य पर बेचे जानेवाले शेयरों का प्रस्ताव किया जाता है । तथापि, जहां, विदेशी सहयोगी संस्था अथवा भारतीय कंपनी के विदेशी प्रवर्तक द्वारा शेयरों की निवासी प्रवर्तकों के पक्ष में पारित प्रबंध नियंत्रण के उद्देश्य से भारत में वर्तमान प्रवर्तकों को बिक्री की जा रही है वहां बिक्री के प्रस्ताव ऐसे मूल्य पर स्वीकार किये जाएंगे जो ऊपर उल्लिखित निर्धारित मूल्य से 25 प्रतिशत की उच्चतम सीमा तक से अधिक है,

ख) जहां भारतीय कंपनी के शेयरों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जाता है अथवा उसका बहुत ही कम मात्रा में क्रय-विक्रय किया जाता है,

i) यदि, अंतरण के लिए देय प्रतिफल प्रति कंपनी प्रति विक्रेता 20 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो भारतीय कंपनी, जिसके शेयर अंतरित करने का प्रस्ताव है, के शेयरों के मूल्यन के संबंध में सांविधिक लेखा-परीक्षकों से प्रमाणपत्र के प्रस्तुतीकरण पर वर्तमान में प्रचलित किसी मूल्यन कार्यप्रणाली पर आधारित ऐसे मूल्य जिस पर विक्रेता और क्रेता के बीच आपसी सहमति हो गयी है, और

ii) यदि, निम्नलिखित में से किसी भी रूप में विक्रेता के विकल्प पर निर्धारित मूल्य पर अंतरण के लिए देय प्रतिफल की राशि प्रति विक्रेता प्रति कंपनी 20 लाख रुपये से अधिक है, अर्थात :

क) मूल्य अर्जन गुणक (पी/इ) से संबद्ध प्रति शेयर आय अर्जन (इपीएस) पर आधारित मूल्य, अथवा बही मूल्य गुणक से संबद्ध निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर आधारित मूल्य, जो भी अधिक हो,

या

ख) रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित छोटे-छोटे 'लॉट' में प्रचलित बाजार मूल्य ताकि संपूर्ण शेयरधारिता स्क्रीन पर आधारित

व्यापारिक प्रणाली के जरिए पांच क्रय-विक्रय दिनों से अन्यून में बेची जाती हो,

ग) जहां भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा शेयरों के एक स्वतंत्र मूल्यन और सनदी लेखाकार अथवा श्रेणी-1 में वाणिज्यिक बैंकर द्वारा शेयरों के अन्य स्वतंत्र मूल्यन, शेयरों के इन दो स्वतंत्र मूल्यनों का जो अल्पतम मूल्य है उस पर किसी शेयर बाजार में शेयरों को सूचीबद्ध नहीं किया जाता है।

स्पष्टीकरण:

i) शेयर का बहुत ही कम मात्रा में क्रय-विक्रय किया गया है तभी माना जाता है जब पूर्ववर्ती माह, जिसमें आवेदन किया गया है, के छह कैलेंडर महीने के दौरान भारत में प्रमुख शेयर बाजारों पर उन शेयरों में वार्षिक कुल क्रय-विक्रय सूचीबद्ध स्टाक में से 2 प्रतिशत (शेयरों की संख्या से) से कम है।

ii) प्रति शेयर निवल परिसंपत्ति मूल्य निश्चित करने के उद्देश्य से आगे ले जाये गये फुटकर व्ययों, संचित हानियों, कुल बाहरी देयताओं, पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों और पूंजीगत आरक्षित निधियों (नकद में प्राप्त आर्थिक सहायता को छोड़कर) को कुल परिसंपत्ति के मूल्य में से घटाया जायेगा और निवल आंकड़ा प्राप्त हो जाने पर उसे जारी किये गये और प्रदत्त ईक्विटी शेयरों की संख्या द्वारा विभाजित किया जाएगा। वैकल्पिक रूप से, अमूर्त परिसंपत्ति को ईक्विटी पूंजी और आरक्षित निधियों (पूनर्मूल्यन आरक्षित निधियों को छोड़कर) में से घटाया जाएगा और जो आंकड़े प्राप्त होंगे उसे जारी किये गये और प्रदत्त ईक्विटी की संख्या द्वारा विभाजित किया जाएगा। परिगणित निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) का उपयोग पूर्ववर्ती महीने जिसमें आवेदन किया है, के तुरंत बाद वाले कैलेंडर महीने के दौरान मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक के औसत बही मूल्य (बीवी) गुणक के साथ किया जाएगा और बही मूल्य (बीवी) गुणक को 40 प्रतिशत से बट्टा करना होगा।

iii) प्रति शेयर आय अर्जन पर आधारित मूल्य की गणना करने के लिए कंपनी के अद्यतन तुलनपत्र के अनुसार प्रति शेयर आय अर्जन का पूर्ववर्ती महीने जिसमें आवेदन किया गया है, के बाद कैलेंडर महीने के लिए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचक के औसत मूल्य आय अर्जन गुणक के साथ उपयोग किया जाएगा।

11. बिक्री आय का विप्रेषण

(1) भारत से बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति द्वारा रखी हुई भारतीय प्रतिभूति की बिक्री आय का विप्रेषण इन विनियमों और संबंधित अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार अन्यथा नहीं किया जाएगा।

(2) किसी प्राधिकृत व्यापारी को प्रतिभूति (लागू करों को घटाकर) की बिक्री आय का विप्रेषण भारत से बाहर निवास करनेवाले निवासी के शेयरों के विक्रेता को करने की अनुमति दी जाए :

बशर्ते -

क) विक्रेता द्वारा प्रत्यावर्तन के आधार पर प्रतिभूति रखी गयी थी;

ख) या तो शेयर बाजार में यथानिर्धारित प्रचलित बाजार कीमत पर स्टॉक ब्रोकर के जरिए भारत में मान्यता-प्राप्त स्टॉक, एक्सचेंज में प्रतिभूति बेची गयी है अथवा प्रतिभूति की बिक्री के लिए और उसके बिक्री आय के विप्रेषण हेतु अन्य मामलों में रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त किया गया है; और

ग) आय कर प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र/कर बेबाकी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है।

अनुसूची I

[विनियम (5)(1) देखें]

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना

1. किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी किये गये ईक्विटी/ अधिमान/ परिवर्तनीय अधिमान्य शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति द्वारा खरीद

1) विनियम 5 के उप-विनियम (1) में यथा उल्लिखित भारत के बाहर निवास करनेवाला कोई भी व्यक्ति इस अनुसूची में उल्लिखित सीमा तक और शर्तों के अंतर्गत किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर खरीद सकता है।

2) यदि इस योजना के अंतर्गत शेयर खरीदनेवाला व्यक्ति किसी नयी भारतीय कंपनी का सहयोगी बनने अथवा नयी कंपनी की संपूर्ण शेयर धारिता को अधिगृहीत करना चाहता है और जिस क्षेत्र में अथवा संबद्ध क्षेत्र में शेयर जारी करनेवाली भारतीय कंपनी कार्यरत है, उसमें यदि उस व्यक्ति का शेयरों अथवा डिबेंचरों में निवेश अथवा तकनीकी सहयोग अथवा ट्रेड मार्क करार अथवा किसी भी नाम से अभिहित निवेश द्वारा भारत में पूर्व उद्यम अथवा गंठजोड़ (टाई अप) हो तो उसे केंद्र सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए।

2. किसी भारतीय कंपनी द्वारा शेयर जारी करने हेतु रिज़र्व बैंक का स्वचालित मार्ग

1) इस अनुसूची के संलगनक 'क' में शामिल कोई भी कार्य अथवा किसी भी मद के विनिर्माण में न लगी कोई कंपनी पैराग्राफ 1 में उल्लिखित भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति को संलग्नक 'ख' में विनिर्दिष्ट सीमा तक भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में कार्यरत औद्योगिक सहायता सचिवालय द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित औद्योगिक नीति और कार्यप्रणालियों के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन भारत के बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति को शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर जारी कर सकती है।

बशर्ते :

i) जारीकर्ता कंपनी के कार्य के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 अथवा समय-समय पर यथा संशोधित औद्योगिक नीति के अधीन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित स्थान संबंधी नीति के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस अपेक्षित नहीं हो।

ii) उक्त भारतीय कंपनी द्वारा किसी अन्य भारतीय कंपनी के मौजूदा शेयरों को अधिगृहीत करने के उद्देश्य से शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर जारी नहीं किये जा रहे हों।

स्पष्टीकरण :

जो कंपनी इस अनुसूची के संलग्नक 'ख' में शामिल कार्य करने अथवा विनिर्माण मदों के लिए विस्तार कार्यक्रम शुरू करना चाहती है, वह इस पैराग्राफ के प्रावधानों के अंतर्गत संलग्नक 'ख' में उल्लिखित सीमा तक विस्तार कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए उसके द्वारा नयी पूंजी की प्रस्तावित निर्गम में से शेयर अथवा डिबेंचर जारी कर सकती है।

2) भारत में निगमित कोई भी व्यापारिक कंपनी पैराग्राफ 1 में उल्लिखित भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्तियों को इस शर्त के अधीन अपनी पूंजी की 51 प्रतिशत सीमा तक शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर जारी कर सकती है कि भारत के बाहर निवास करनेवाले शेयर धारकों को लाभांश तभी विप्रेषित किया जाए जब उक्त कंपनी ने विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से निर्यात/ट्रेडिंग/स्टार ट्रेडिंग/सुपर ट्रेडिंग हाउस के रूप में पंजीकरण प्राप्त कर लिया हो।

3) जो कंपनी लघु उद्योग इकाई है और जो संलग्नक 'क' में शामिल किसी भी कार्य में अथवा मदों के विनिर्माण में नहीं लगी हो वह पैराग्राफ 1 में उल्लिखित किसी भी व्यक्ति को अपनी चुकता पूंजी की 24 प्रतिशत सीमा तक शेयर अथवा डिबेंचर जारी कर सकती है;

बशर्ते ऐसी कंपनी अपनी चुकता पूंजी के 24 प्रतिशत से अधिक शेयर तब जारी कर सकती है जब

क) उसने अपनी लघु इकाई की हैसियत छोड़ दी हो;

ख) वह लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के विनिर्माण में नहीं लगी हो अथवा लगना नहीं चाहती हो; और

ग) वह संलग्नक 'ख' में विनिर्दिष्ट उच्चतम सीमाओं का पालन करती हो।

4) खंड (3) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, कोई निर्यातोन्मुख इकाई अथवा मुक्त व्यापार क्षेत्र या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क में स्थित कोई इकाई पैराग्राफ 1 में उल्लिखित भारत के बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति को 24 प्रतिशत से अधिक शेयर अथवा डिबेंचर जारी कर सकती है बशर्ते यह इकाई संलग्नक 'ख' में विनिर्दिष्ट उच्चतम सीमाओं का पालन करती हो।

3. सरकारी अनुमोदन की अपेक्षावाली किसी कंपनी द्वारा शेयर जारी करना

जो कंपनी संलग्नक 'क' में विनिर्दिष्ट किसी भी कार्य में लगी हो या कार्य करना चाहती हो अथवा जो भारत के बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति को संलग्नक 'ख' में विर्दिष्ट क्षेत्रीय सीमाओं से अधिक शेयर जारी करना चाहती हो और जो भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति को शेयर जारी करने के लिए अन्यथा पात्र नहीं हो, वह पैराग्राफ 1 में उल्लिखित भारत के बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति को शेयर जारी कर सकती है, बशर्ते उसने औद्योगिक सहायता सचिवालय से अथवा, यदि लागू हो, भारत सरकार के विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया हो और ऐसे अनुमोदन की शर्तों का अनुपालन किया गया हो।

4. एडीआर और/अथवा जीडीआर के जरिए अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव द्वारा शेयर जारी करना

1) जो भारतीय कंपनी वैश्विक निक्षेपागार रसीदें (जीडीआर) और/अथवा अमरीकी निक्षेपागार रसीदें जारी करने के प्रयोजन के लिए निक्षेपागार है, वह रुपये में मूल्यवर्गित अपने शेयरों को भारत के बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति को जारी कर सकती है,

बशर्ते ऐसे शेयर जारी करनेवाली भारतीय कंपनी को

क) ऐसे एडीआर और/अथवा जीडीआर जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो अथवा वर्तमान में लागू संबद्ध योजना अथवा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार एडीआर/जीडीआर जारी करने के लिए वह पात्र हो, और

ख) इन विनियमों के अनुसार वह भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्तियों को शेयर जारी करने के लिए अन्यथा अयोग्य न हो, और

ग) एडीआर/जीडीआर विदेशी करेंसी परिवर्तनीय बांड और सामान्य शेयर (निक्षेपागार रसीद प्रणाली के माध्यम से) योजना, 1993 और इसके अंतर्गत केंद्र

सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी किये गये हों।

2) उप-पैराग्राफ (1) के अंतर्गत शेयर जारी करनेवाली भारतीय कंपनी रिज़र्व बैंक को शेयर निर्गम की अंतिम तारीख से 30 दिन के भीतर संलग्नक 'ग' में विनिर्दिष्ट फार्म में ऐसे निर्गम का ब्योरा प्रस्तुत करेगी।

3) एडीआर/जीडीआर पर शेयर जारी करनेवाली भारतीय कंपनी रिज़र्व बैंक को कैलेंडर तिमाही की समाप्ति पर पंद्रह दिनों के भीतर संलग्नक 'घ' में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में एक तिमाही विवरणी प्रस्तुत करेगी।

4) भारतीय कंपनी, खंड (1) के अनुसार जुटाये गये विदेशी मुद्रा संसाधनों का प्रत्यावर्तन अथवा उपयोग होने तक विदेशी करेंसी निधियों का -

क) ऐसे बैंकों के पास जमाराशियों अथवा जमा प्रमाणपत्रों अथवा अन्य लिखतों में निवेश कर सकती है जिनका अल्पकालिक दायित्वों के लिए दर-निर्धारण स्टैंडर्ड एंड पुअर द्वारा ए1+ और मोदीज़ द्वारा पी1 से कम न हो,

ख) भारत स्थित किसी प्राधिकृत व्यापारी की भारत से बाहर स्थित शाखा के पास जमाराशियों में, और

ग) एक वर्ष अथवा उससे कम की परिपक्वता अथवा असमाप्त परिवक्वतावाले अन्य मौद्रिक लिखतों और खजाना बिलों में निवेश कर सकती है।

5. निर्गम मूल्य

इस अनुसूची के अंतर्गत भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्तियों को जारी किये गये शेयरों का मूल्य निम्नलिखित से कम न होगा -

क) जहां जारीकर्ता कंपनी भारत स्थित किसी भी मान्यताप्राप्त शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध है, वहां सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार तय किया गया मूल्य, और

ख) अन्य मामलों में निवर्तमान पूंजी निर्गम नियंत्रक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सनदी लेखाकार द्वारा किया गया शेयरों का उचित मूल्य-निर्धारण।

6. लाभांश संतुलन

यदि कोई कंपनी उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र के किसी उद्योग में अथवा ऐसे किसी कार्य में लगी हो, जहां औद्योगिक सहायता सचिवालय द्वारा अधिसूचित औद्योगिक नीति और कार्यप्रणालियों के अनुसार लाभांश संतुलन की शर्त निर्दिष्ट की गयी हो, तो वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने की तारीख से सात साल की अवधि के दौरान भारत के बाहर के निवेशकों को लाभांश भुगतान के कारण हुआ विदेशी मुद्रा का संचयी पूंजी बहिर्गमन इस अवधि में कंपनी के निर्यात आय-अर्जन की संचयी राशि से अधिक नहीं होना चाहिए ।

बशर्ते

क) इस पैराग्राफ के अंतर्गत लगाया गया प्रतिबंध

i) ऐसी कंपनी में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ड्यूश एन्ट्विक्लंग्ज़ गेस्लेस्काफ्ट, राष्ट्र मंडल विकास निगम और एशियाई विकास बैंक द्वारा रखे शेयरों के संबंध में लागू न होगा, और

ii) जिस कंपनी ने अपने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से सात साल की अवधि पूरी कर ली हो, उस पर लागू न होगा ।

ख) उस वर्तमान कंपनी के मामले में जिसने इन विनियमों के अधीन भारत के बाहर निवेश करनेवाले व्यक्तियों को नयी ईक्विटी जारी की है, नये शेयरों पर उनके जारी होने की तारीख से प्रतिबंध लागू होगा ।

7. अधिमान्य शेयरों पर लाभांश की दर

इन विनियमों के अंतर्गत जारी किये गये अधिमान शेयरों या परिवर्तनीय अधिमान शेयरों पर लाभांश की दर कंपनी के बोर्ड की उस बैठक की तारीख को जिसमें ऐसे शेयर जारी किये जाने की सिफारिश की गयी थी, प्रचलित भारतीय स्टेट बैंक की मूल उधार दर से 300 आधार अंकों से अधिक नहीं होगी ।

8. भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्तियों को जारी किये गये शेयरों के लिए भुगतान की विधि

इस अनुसूची के अंतर्गत भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति को शेयर या परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करनेवाली कोई भी कंपनी ऐसे शेयरों के लिए तय की गयी राशि निम्नलिखित रूप में प्राप्त करेगी -

i) सामान्य बैंकिंग माध्यमों से आवक विप्रेषण के जरिये,

ii) किसी प्राधिकृत व्यापारी/प्राधिकृत बैंक के पास रखे संबंधित व्यक्ति के एनआरई/एफसीएनआर खाते में नामे डालकर ।

9. भारतीय कंपनी द्वारा रिपोर्ट

1) इन विनियमों के अनुसार शेयर या परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करनेवाली कोई भी भारतीय कंपनी रिज़र्व बैंक को निम्नानुसार सूचित करेगी -

क) तय की गयी राशि प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर एक रिपोर्ट जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख होगा :

i) विदेशी निवेशकों के नाम और पते,

ii) निधियों की प्राप्ति की तारीख और रुपये में उनकी समतुल्य राशि,

iii) उस प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता जिसके माध्यम से निधियां प्राप्त हुई हों, और

iv) सरकारी अनुमोदन, यदि हो, का विवरण ।

ख) शेयरों के जारी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर फार्म एफसी-जीपीआर में निम्नलिखित के साथ एक रिपोर्ट,

i) भारत के बाहर निवास करनेवाले किसी व्यक्ति से निवेश प्राप्त करनेवाली कंपनी के कंपनी सचिव से एक प्रमाणपत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि -

क) कंपनी अधिनियम, 1956 की सभी अपेक्षाओं की पूर्ति कर ली गयी है;

ख) सरकारी अनुमोदन की शर्तें, यदि कोई हो, का अनुपालन किया गया है;

ग) यह कंपनी इन विनियमों के अंतर्गत शेयर जारी करने के लिए पात्र है; और

घ) कंपनी के पास भारत में प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी किये गये सभी मूल प्रमाणपत्र हैं जिनमें पैराग्राफ 9 के अनुसार तय की गयी राशि की प्राप्ति को प्रमाणित किया गया है;

ii) सांविधिक लेखा-परीक्षकों या सनदी लेखाकार से एक प्रमाणपत्र जिसमें भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्तियों को जारी किये गये शेयरों के मूल्य-निर्धारण के तरीके का उल्लेख हो।

10. भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्तियों से विदेशी करेंसी खाते में प्राप्त शेयर अभिदान राशि रखने के लिए अनुमति

इस प्रयोजन के लिए आवेदन किये जाने और इससे संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, रिज़र्व बैंक इस अनुसूची के अंतर्गत भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्तियों को शेयर जारी करनेवाली कंपनी को, उन शर्तों के अधीन जिन्हें वह निर्धारित करे, विदेशी करेंसी खाते में अभिदान राशि रखने की अनुमति दे सकता है।

संलग्नक क

(पैराग्राफ 2 देखें)

उन कार्यालयों अथवा मदों की सूची जिनके लिए भारत से बाहर निवास करनेवाले व्यक्तियों द्वारा निवेश करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का स्वचालित मार्ग (डायरेक्ट रूट) उपलब्ध नहीं है

1. बैंकिंग
2. वित्तीय सेवा क्षेत्र में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यकलाप
3. नागर विमानन
4. पेट्रोलियम-इसमें पेट्रोलियम की खोज करने/रिफाइनरी और इसके विपणन का कार्य शामिल है
5. अनिवासी भारतीयों/विदेशी कंपनी निकायों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों से निवेश के लिए आवास और भूमि-भवन विकास क्षेत्र
6. संयुक्त पूंजी निधि और संयुक्त पूंजी कंपनी
7. आधारभूत संरचना और सेवा क्षेत्र में निवेश करनेवाली कंपनियां
8. परमाणु ऊर्जा (एटामिक एनर्जी) और संबद्ध परियोजनाएं
9. रक्षा और तत्संबंधी महत्वपूर्ण (स्ट्रैटिजिक) उद्योग
10. कृषि (बागान-सहित)
11. प्रिंट मीडिया
12. प्रसारण
13. डाक-सेवाएं

संलगनक ख

(पैराग्राफ 2 देखें)

भारत से बाहर निवास करनेवाले व्यक्तियों द्वारा निवेश की क्षेत्रवार सीमा

क्षेत्र	निवेश सीमा	कार्यकलाप/पद/स्थिति का ब्यौरा
1. दूर-संचार	49%	i) बेसिक, सेल्युलर मोबाइल, पेजिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं और सेटेलाइट के माध्यम से ग्लोबल मोबाइल निजी संप्रेषण बशर्ते भारत सरकार, दूरसंचार विभाग का लाइसेंस प्राप्त किया गया हो।
	100%	ii) विनिर्माण संबंधी कार्यकलापों में
2. आवास और भूमि-भवन	100%	नीचे बताये गये क्षेत्रों में केवल अनिवासी भारतीय/विदेशी कंपनी निकायों को ही निवेश करने की अनुमति दी गयी है :
		क) सुविधायुक्त प्लाटों का विकास और आवासीय परिसरों का निर्माण
		ख) भूमि-भवन में निवेश जिसमें व्यापरिक केंद्रों और कार्यालयों सहित आवासीय और वाणिज्य परिसरों का निर्माण शामिल है।
		ग) टाउनशिप का विकास
		घ) नगर और क्षेत्रीय स्तर की शहरी मूलभूत सुविधाएं जिसमें सड़कें और पुल शामिल हैं।
		ङ) भवन-सामग्री के विनिर्माण में निवेश
		च) ऊपर (क) से (ङ) में निर्दिष्ट क्षेत्रों के सहभागिता उद्यमों में निवेश
		छ) आवासीय वित्त संस्थाओं में निवेश

3. कोयला और लिग्नाइट	49% 50%	i) ii)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और ऐसे अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जिनमें क) भारतीय निजी कंपनियां पॉवर परियोजनाएं और सीमित उपभोग के लिए कोयले अथवा लिग्नाइट की परियोजनाएं लगा रही हैं अथवा उनका कार्य-संचालन कर रही हैं। ख) कोयला प्रसंस्करण संयंत्र लगाने के लिए बशर्ते कंपनी कोयला खनन न करे और अपने कोयला प्रसंस्करण संयंत्रों से खुले बाजार में साफ किया हुआ अथवा टुकड़े किया हुआ कोयला नहीं बेचें। वे ऐसा साफ किया अथवा टुकड़े किया हुआ कोयला उन्हीं पार्टियों को सप्लाई करेंगे जो कोयला प्रसंस्करण संयंत्रों को साफ करने अथवा टुकड़े करने के लिए कच्चा कोयला सप्लाई करते हैं। ग) सीमित खपत के लिए कोयले अथवा लिग्नाइट का पता लगाने अथवा खनन के लिए
4. दवाइयां और औषधियां (फार्मास्युटिकल्स)	74%	थोक दवाइयों, उनके गौण उत्पाद (इंटरमीडियरीज) और उन्हें मिलाकर बनाई गई अन्य दवाइयां आदि (फार्मूलेशंस) इनमें ऐसे उत्पाद शामिल नहीं है जो रिकम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए तैयार किये गये है।	
5. होटल और पर्यटन	51%	i) ii)	होटलों में ऐसे सभी रेस्तरां, बीच रिज़ार्ट और अन्य टूरिस्ट काम्प्लेक्स शामिल हैं जो पर्यटकों को रहने की जगह और/अथवा खान-पान की सुविधा प्रदान करते हैं। पर्यटन संबंधी उद्योग में ट्रेवल एजेंसियां, टूर आपरेटिंग ऐजेंसियां और टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग एजेंसियां, पर्यटकों के लिएसांस्कृतिक, साहसिक कार्यों और वन्य पशुओं को देखने की सुविधा उपलब्ध करानेवाले यूनिट, पर्यटकों के लिए भू-मार्ग, हवाई-मार्ग और जल-मार्ग से पारवहन की सुविधा उपलब्ध करानेवाले, पर्यटकों के लिए आराम करने, मनो-

		विनोद, खेल-कूद और स्वास्थ्य संबंधी यूनिट और सम्मेलन/समारोह आयोजित करनेवाले यूनिट और संगठन
6. खनन	74%	हीरे और बहुमूल्य पत्थरों का पता लगाना और उन्हें खानों से निकालना
	100%	हीरे और बहुमूल्य पत्थरों को छोड़कर सोने, चांदी और खनिजों का पता लगाना और उन्हें खानों से निकालना, धातु कर्म तथा प्रसंस्करण
7. विज्ञापन	74%	विज्ञापन क्षेत्र
8. फिल्म	100%	फिल्म उद्योग (अर्थात् फिल्म-वित्तपोषण, निर्माण, वितरण, प्रदर्शन, विपणन और फिल्म उद्योग से संबद्ध कार्यकलाप बशर्ते : i) कंपनियों का फिल्मों, दूरदर्शन, संगीत, वित्त और बीमा के क्षेत्र में पिछले कार्य का अच्छा रिकार्ड हो ii) यदि कंपनी सबसे बड़ी अकेली ईक्विटी शेयरधारक हो तो उसकी न्यूनतम चुकता पूंजी 10 मिलियन अमरीकी डालर हो और अन्य मामलों में यह पूंजी कम-से-कम 5 मिलियन अमरीकी डालर होनी चाहिए iii) सबसे बड़ी अकेली ईक्विटी शेयरधारक कंपनी के मामले में विदेशी ईक्विटी निवेश का न्यूनतम स्तर 2.5 मिलियन अमरीकी डालर होगा और अन्य मामलों में यह राशि 1 मिलियन अमरीकी डालर होगी iv) ऋण ईक्विटी अनुपात 1:1 से अधिक नहीं होना चाहिए अर्थात् देशी उधारी ईक्विटी से अधिक नहीं होनी चाहिए v) लाभांश संतुलन के उपबंध लागू होंगे।
9. कोई अन्य क्षेत्र/ कार्यकलाप (संलग्नक क में शामिल को छोड़कर अन्य)	100%	

संलग्नक 'ग'

[अनुसूची I का पैराग्राफ 4(2) देखें]

जीडीआर/एडीआर को जारी करने की व्यवस्था करनेवाली भारतीय कंपनी द्वारा भरी जानेवाली विवरणी

1. कंपनी का नाम :

2. पंजीकृत कार्यालय का पता :

3. पत्राचार के लिए पता :

4. वर्तमान कारबार (कृपया क्रियाकलाप का राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआइसी) का कूट दें जिसमें कंपनी प्रधानतः लगी हुई है) :

5. जीडीआर/ एडीआर जुटाने संबंधी प्रयोजनों का ब्योरा । यदि विदेशी निवेश के लिए निधियों का किया गया है तो उसके ब्योरे दें । :

6. विदेश स्थित निक्षेपागार (डिपोज़िटरी) का नाम और पता :

7. अग्रणी / प्रबंधक निवेश / वाणिज्यिक बैंकर का नाम और पता :

8. निर्गम के उप प्रबंधकों के नाम और पते :

9. भारतीय अभिरक्षकों (कस्टोडियन) के नाम और पते :

10. विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) अनुमोदन के ब्योरे दें। (यदि जीडीआर ऑटोमेटिक रूट के अधीन जारी किया जा रहा है तो कृपया संबंधित राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआइसी) कोड लिखें) :

11. क्या विदेशी निवेश के लिए कोई समग्र क्षेत्रीय अधिकतम सीमा लागू है। यदि हां, तो कृपया ब्योरे दें। :

12. <u>ईक्विटी पूंजी के ब्योरे</u> :	<u>जारी करने से पूर्व</u>	<u>जारी करने के बाद</u>
(क) प्राधिकृत पूंजी		
(ख) जारी और प्रदत्त पूंजी		
(i) भारत में निवास करनेवाले व्यक्ति द्वारा धारित		
(ii) विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ) / अनिवासी भारतीय (एनआरआइ) / पीआइओ/ विदेशी कंपनी निकाय (ओसीबी) से इतर विदेशी निवेशकों द्वारा धारित (प्रदत्त पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक धारित करने वाले विदेशी निवेशकों की सूची और उनमें से प्रत्येक के द्वारा रखे गये शेयरों की संख्या प्रस्तुत करें)		
(iii) अनिवासी भारतीय (एनआरआइ)/ पीआइओ/ विदेशी कंपनी निकाय (ओसीबी) द्वारा धारित		
(iv) विदेशीसंस्थागत निवेशक (एफआइआइ) द्वारा धारित		
अनिवासियों द्वारा धारित कुल ईक्विटी		

(ग) कुल प्रदत्त पूंजी में अनिवासियों द्वारा धारित इक्विटी का प्रतिशत

13. क्या निर्गम प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर था । यदि हां, तो निवेशकों और उनमें प्रत्येक को जारी किए गए एडीआर/ जीडीआर के ब्योरे दें । :

14. जारी किए गए जीडीआर/एडीआर की संख्या :

15. पूर्वताप्राप्त (अंडरलाईंग) शेयरों में जीडीआर/ एडीआर का अनुपात

16. <u>निर्गम से संबंधित खर्चे :</u>

(क) वाणिज्यिक बैंकर/अग्रणी प्रबंधक को प्रदत्त/देय शुल्क

(i) राशि (अमरीकी डालर आदि में)

(ii) कुल निर्गम में राशि के प्रतिशत के रूप में

(ख) अन्य खर्चे

17. क्या निधियां विदेश में रखी जाती हैं, यदि हां तो, बैंक का नाम और पता

18. सूचीकरण व्यवस्था के ब्योरे :
स्टॉक एक्सचेंज का नाम
व्यापार आरंभ करने की तारीख

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन किया गया है ।

हस्ता./-
सनदी लेखाकार

हस्ता/-
कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

संलग्नक 'घ'

[अनुसूची I का पैरा 4(3) देखें]

त्रैमासिक विवरणी

1.	कंपनी का नाम	:
2.	पता	:
3.	किस तारीख को जीडीआर/एडीआर निर्गम जारी किया गया	:
4.	जारी किए गए जीडीआर/एडीआर की कुल संख्या	:
5.	जुटाई गई कुल राशि	:
6.	तिमाही के अंत तक अर्जित कुल ब्याज	:
7.	निर्गम के खर्चे और कमीशन, आदि	:
8.	प्रत्यावर्तित राशि	:
9.	विदेश में रखी गई शेष राशि	:

ब्योरे :

(i) बैंकों की जमाराशियां

(ii) खजाना बिल

(iii) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

10.	अभी भी बकाया पड़े जीडीआर की संख्या	:
11.	तिमाही के अंत में कंपनी के शेयर मूल्य	:
12.	तिमाही के अंत में विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत जीडीआर मूल्य	:

प्रमाणित किया जाता है कि एडीआर/जीडीआर के माध्यम से उगाही गई निधियों को स्टॉक बाजार अथवा भूमि-भवन में निवेश नहीं किया गया है।

हस्ता./-
सनदी लेखाकार

हस्ता./-
कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

संलग्नक ङ

[अनुसूची I का पैराग्राफ 6 देखें]

22 उद्योगों की सूची जिनके संबंध में लाभांश शेष निकालना लागू है

1. खाद्य और खाद्य वस्तुएं तैयार करना
2. डेयरी उत्पाद तैयार करना
3. अनाज मिलों के उत्पाद
4. बेकरी उत्पाद तैयार करना
5. चीनी का उत्पादन और शोधन (वॅक्यूम पैन चीनी कारखाने)
6. सामान्य नमक का उत्पादन
7. हाइड्रोजनीकृत तेल का उत्पादन (वनस्पति)
8. चाय अभिसंस्करण
9. कॉफी
10. पेय पदार्थ, तंबाकू और तंबाकू के उत्पाद
11. स्पिरिट की डिस्टिलिंग, रेक्टिफाईंग और ब्लेंडिंग, शराब उद्योग, माल्ट की शराब और माल्ट, देशी शराब और ताड़ी उत्पादन
12. हल्के पेय और कार्बोनेट जल उद्योग
13. सिगार, सिगरेट, चुरूट और सिगरेट तम्बाकू का उत्पादन
14. लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, फर्नीचर और फिक्सर तैयार करना
15. चमड़ा और /फर/चमड़ा उत्पाद तैयार करना
16. चमड़े की टैनिंग, क्यूरिंग, फिनिशिंग, एम्बोसिंग ओर जैपनिंग करना
17. सांचे में ढ़ले रबर अथवा प्लास्टिक के जूतों के लिए वलकनीकृत को छोड़कर जूता उत्पादन (मरम्मत को छोड़कर)
18. वलकनीकृत अथवा सांचे में ढ़ले उत्पादों से मुख्यतः बने जूतों का उत्पादन
19. रोग निरोधक (रबर के गर्भ निरोधक)
20. मोटर कारें
21. मनोरंजन के इलेक्ट्रोनिक सामान (वीसीआर, रंगीन टीवी, सीडी प्लेयर्स, टेप रेकॉर्डर्स)
22. घरेलू वस्तुएं (घरेलू रेफ्रीजेरेटर, घरेलू बर्तन धोने की मशीन, प्रोग्रामयोग्य कपड़े धोने की मशीन, माइक्रोवेव ऑवेन, एयरकंडीशनर)।

फार्म एफसी-जीपीआर

हम (भारतीय कंपनी का नाम) ----------

घोषित करते है कि भारतीय रिजर्व बैंक के स्वचालित मार्ग के तहत अनिवासियों को शेयर जारी करने के पात्र होने पर हम जारी किए गए शेयरों के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करते है ।

1. अनिवासियों को शेयर जारी करनेवाली भारतीय कंपनी का नाम और पता (पंजीकृत कार्यालय)

2. कंपनी पहले से मौजूद कंपनी है या हाल ही में गठित नई कंपनी है?

3. कंपनी के कार्यकलाप

एनआईसी कोड	विवरण
----------	----------

4. जारी किए गए शेयरों का ब्योरा

क) विदेशी निवेशक का नाम और देश

ख) जारी किए गए शेयरों की संख्या : (ईक्विटी और अधिमान शेयरों की संख्या अलग-अलग प्रस्तुत करें)

शेयरों की संख्या	शेयरों का अंकित मूल्य	कुल अंकित मूल्य
निर्गम मूल्य समामूल्य पर (रु.)	/प्रीमियम रु.	प्रति शेयर

अनिवासियों को शेयर जारी करने के कारण कुल अंतर्प्रवाह (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो)] रु.]

---------- (बैंक) का मूल एफआइआरसी संलग्न है ।

ग) i) हम सूचीबद्ध कंपनी है; बाजार से संबंधित मूल्य प्रति शेयर है रु.

या

ii) अन्य कंपनी; शेयर का उचित मूल्य है रु.

5. कंपनी की पूंजी-संरचना
(गद 4 के अनुसार शेयर जारी करने के बाद)

(रुपए)

		इक्विटी	अधिमान
I.	प्रदत्त पूंजी		
II.	क) अनिवासी निवेश		
	i) अनिवासी भारतीय/विदेशी कंपनी निकाय]		
	ii) अन्य]		
	ख) निवासी निवेश		
		------	------
	जोड़		
		------	------

III. प्रदत्त पूंजी में अनिवासी निवेश का मौजूदा प्रतिशत] i) अनिवासी भारतीय/विदेशी कंपनी निकाय ------ %

] ii) अन्य ------ %

[I के प्रतिशत के रूप में II(क)] जोड़ ------ %

घोषणा :

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते है कि

1. हमने भारतीय रिजर्व बैंक के स्वचालित मार्ग के तहत शेयर जारी करने की प्रक्रिया का ध्यानपूर्वक पालन किया है ।

2. जिस/जिन विदेशी पार्टी/पार्टियों (व्यक्तियों से इतर) को हमने शेयर जारी किए है, उनका भारत में इस क्षेत्र में कोई पूर्व संयुक्त उपक्रम या तकनीकी सहयोग या ट्रेड मार्क करार नहीं है ।

3. हमें उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत या 1991 की नई उद्योग नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा अधिसूचित स्थान संबंधी नीति के अनुसार औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

4. हम एक लघु उद्योग इकाई हैं और 24 % की निवेश-सीमा का पालन किया गया है या हम लघु उद्योग इकाई नहीं हैं ।

(जो लागू न हो, उसे काटकर हस्ताक्षर कर दें)

5. हमारा प्रस्ताव क्षेत्रीय नीति/भारतीय रिजर्व बैंक के स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अनुमेय सीमा के भीतर है ।

6. हमारा प्रस्ताव उस क्षेत्र/उन क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आता, जिस/जिन में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत नहीं है ।

वास्ते ---------- (कंपनी का नाम/मुहर)

_____

हस्ताक्षर

(नाम) : _____

* पदनाम : _____

दिनांक :

स्थान :

(* कंपनी के वरिष्ठ पदाधिकारी/जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।)

अनुसूची 2

[विनियम 5(2) देखें]

संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा किसी भारतीय कंपनी के शेयरों और/अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों का क्रय/विक्रय

1. शेयरों और/अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों का क्रय/विक्रय

1) संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत कोई पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक, किसी भारतीय कंपनी के शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद हेतु अनुमति के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के माध्यम से रिज़र्व बैंक को आवेदन कर सकता है । रिज़र्व बैंक इस संबंध में आवश्यक समझी गई शर्तों पर अनुमति प्रदान कर सकता है ।

2) पैराग्राफ 1 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमति प्रदत्त पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक किसी भारतीय कंपनी के शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद भारत के मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में पंजीकृत दलालों के माध्यम से करेगा ।

3) इन विनियमों के अनुसार शेयरों/डिबेंचरों की खरीद के लिए विचारणीय राशि का भुगतान सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से विदेश से भेजे गए विप्रेषण से या भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी की नामित शाखा के खाते में धारित निधि में से किया जाएगा ।

4) प्रत्येक विदेशी संस्थागत निवेशक/भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी संस्थागत निवेशक के प्रत्येक उपखाते की सकल धारित राशि किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक श्रृंखला की कुल चुकता ईक्विटी पूंजी के 10% अथवा चुकता मूल्य के 10% (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होगी और इस प्रकार से सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों/विदेशी संस्थागत निवेशकों के उप खातों को मिलाकर कुल धारित राशि परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक श्रृंखला की चुकता ईक्विटी पूंजी अथवा चुकता मूल्य के 24 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

बशर्ते इस पैराग्राफ में दी गई 24 प्रतिशत की सीमा को संबंधित भारतीय कंपनी उसके निदेशक मंडल द्वारा संकल्प पारित करके और उस संकल्प के संबंध में कंपनी की आम सभा द्वारा विशेष संकल्प पारित करके 40 प्रतिशत कर सकती है ।

स्पष्टीकरण :

विदेशी संस्थागत निवेशकों की धारित राशि की उच्चतम सीमा की गणना के लिए उसमें प्राथमिक और गौण बाजार दोनों से प्राप्त किए गए शेयरों / परिवर्तनीय डिबेंचरों को शामिल किया जाएगा । तथापि, इसकी उच्चतम सीमा में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अपतटीय (ऑफशोर) निधियों, ग्लोबल डिपॉज़िटरी रसीद और यूरो-कंवर्टिबल बांड में किए गए निवेश शामिल नहीं होंगे ।

5) किसी पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक को इस पैराग्राफ के उप-पैरा 1(4) में निर्दिष्ट उच्चतम सीमा के अधीन निजी प्लेसमेंट/व्यवस्था के माध्यम से गैरसूचीबद्ध भारतीय कंपनी के शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों को खरीदने की अनुमति भी दी जा सकती है ।

2. पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद व बिक्री का कारबार करने के लिए खाता रखना

रिज़र्व बैंक इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक को आवेदन करने पर, शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद व बिक्री से संबंधित प्राप्तियों और भुगतान कारबार के लिए किसी प्राधिकृत व्यापारी की नामित शाखा में विदेशी मुद्रा खाता और/अथवा अनिवासी रुपया खाता खोलने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दे सकता है :

i) खाते में राशि सामान्य बैंकिंग चैनल द्वारा आवक विप्रेषण अथवा स्टॉक एक्सचेंज में विक्रय किए गए शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों के विक्रय आगमों (कर के बाद) को जमा करके जुटाई जाएगी ।

ii) इस योजना के पैराग्राफ 1 में किए गए प्रावधानों के अनुसार इस खाते की निधि का उपयोग शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद के लिए या फिर भारत से बाहर विप्रेषण के लिए किया जाएगा ।

iii) पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक के विदेशी मुद्रा खाता की निधि को उसी विदेशी संस्थागत निवेशक के अनिवासी रुपए खाता में अंतरित किया जा सकता है और यह अंतरण विपरीत दिशा में भी किया जा सकता है ।

3. शेयरों/डिबेंचरों के बिक्री आगमों का विप्रेषण

किसी प्राधिकृत व्यापारी की नामित शाखा संबंधित पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक को शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों के निवल बिक्री आगमों के विप्रेषण (कर भुगतान के बाद) अथवा बिक्री आगमों की निवल राशि को विदेशी मुद्रा खाता अथवा अनिवासी रुपया खाता में जमा करने की अनुमति दे सकता है।

4. कतिपय अन्य निवेशकों द्वारा निवेश

1) रिज़र्व बैंक ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह आवश्यक समझे, उक्त योजना के अधीन निम्नलिखित की ओर से निवेश करने के लिए किसी देशी परिसंपत्ति प्रबंध कंपनी या संविभाग प्रबंधक को, जो किसी उप-खाते की निधियों के प्रबंधन हेतु विदेशी संस्थागत निवेशक के रूप में सेबी में पंजीकृत हो, अनुमति प्रदान कर सकता है :

i) भारत से बाहर का निवासी कोई विदेशी नागरिक, या
ii) भारत से बाहर पंजीकृत कोई कंपनी निकाय,

बशर्ते ऐसा निवेश सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से भारत के बाहर जुटाई गई, एकत्र की गई या लायी गई निधियों में से किया जाए,

2) उप-पैरा (1) के अंतर्गत अनुमति प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक को सेबी के माध्यम से आवेदन किया जाए।

3) उप-पैरा (1) के अंतर्गत किये जाने के लिए अनुमत निवेश कुल प्रदत्त ईक्विटी पूंजी के 5% (पांच प्रतिशत) या किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक श्रृंखला के प्रदत्त मूल्य के 5% (पांच प्रतिशत) से अधिक नहीं होंगे और इस अनुसूची के पैरा 1 के उप-पैरा (4) में विनिर्दिष्ट समग्र उच्चतम सीमा से अधिक भी नहीं होंगे।

अनुसूची-3

[विनिमय 5(3)(I) देखें]

संविभाग (पोर्टफोलियो) निवेश योजना के अंतर्गत प्रत्यावर्तन और/अथवा अप्रत्यावर्तन आधार पर भारत के शेयर बाजार में अनिवासी भारतीय/विदेश स्थित निगमित निकाय द्वारा शेयरों और/ अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों का क्रय/विक्रय

1. अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी मान्यताप्राप्त शेयर बाजार से पंजीकृत दलाल के माध्यम से किसी भारतीय कंपनी के शेयर और/अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों का क्रय/विक्रय कर सकता है :

i) अनिवासी भारतीय/विदेश स्थित निगमित निकाय इस योजना के अंतर्गत शेयरों /परिवर्तनीय डिबेंचरों के क्रय और विक्रय से संबंधित अपने लेनदेनों के लिए किसी प्राधिकृत व्यापारी की शाखा को निर्दिष्ट करता है तथा इस प्रकार निर्दिष्ट की गई शाखा के माध्यम से ही अपने ऐसे सभी लेनदेन करता है;

ii) प्रत्यावर्तन और अप्रत्यावर्तन दोनों ही आधार पर प्रत्येक अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय द्वारा किसी भारतीय कंपनी के खरीदे गये शेयरों का चुकता मूल्य संबंधित कंपनी द्वारा जारी किये गये शेयरों के चुकता मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो;

iii) प्रत्यावर्तन और अप्रत्यावर्तन दोनों ही आधार पर प्रत्येक अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय द्वारा खरीदे गये परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक श्रृंखला का चुकता मूल्य संबंधित कंपनी द्वारा जारी किये गये परितर्वनीय डिबेंचरों की प्रत्येक श्रृंखला के चुकता मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक न हो;

iv) सभी अनिवासी भारतीयों अथवा विदेश स्थित निगमित निकायों द्वारा किसी कंपनी के खरीदे गये शेयरों का कुल चुकता मूल्य कंपनी की चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक न हो तथा परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद के मामले में सभी अनिवासी भारतीयों तथा विदेश स्थित निगमित निकायों द्वारा खरीदे गये डिबेंचरों की प्रत्येक श्रृंखला का कुल चुकता मूल्य परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक श्रृंखला के चुकता मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक न हो;

बशर्ते, इस खंड में संदर्भित 10 प्रतिशत का कुल उच्चतम सीमा को ऐसी स्थिति में 24 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है जब इस हेतु संबंधित भारतीय कंपनी की साधारण सभा द्वारा विशेष संकल्प पारित किया गया हो;

v) अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय निवेशक खरीदे गये शेयरों की सुपुर्दगी प्राप्त करे और बेचे गचे शेयरों की सुपुर्दगी प्रदान करे;

vi) शेयरों और/अथवा डिबेंचरों की खरीद के लिए भुगतान ऐसी स्थिति में भारत में खोले गये एनआरई/एफसीएनआर खाते में धारित निधियों से अथवा सामान्य बैंकिंग माध्यमों के जरिये विदेशी मुद्रा में आवक विप्रेषण द्वारा की जाती है जब शेयरों की खरीद प्रत्यावर्तन के आधार पर तथा आवक विप्रेषण से की गई हो, अथवा जहां शेयर/डिबेंचरों की खरीद अप्रत्यावर्तन आधार पर की गई हो वहां उसका भुगतान संबंधित अनिवासी भारतीय/विदेश स्थित निगमित निकाय के भारत में खोले गये एनआरई/एफसीएनआर/एनआरओ/एनआरएनआर/ एनआरएसआर खाते में धारित निधि से किया जाता है;

vii) विदेश स्थित निगमित निकाय में अनिवासी भारतीय की धारिता/हित 60 प्रतिशत से कम होते ही विदेश स्थित निगमित निकाय प्राधिकृत व्यापारी की निर्दिष्ट शाखा को तुरंत इसकी सूचना देता है।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट

पैरा 1 में उल्लिखित प्राधिकृत व्यापारी की निर्दिष्ट शाखा का सम्पर्क कार्यालय दैनिक आधार पर मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग), केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित ब्योरे दिये जाएंगे :

क) अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय का नाम।

ख) प्रत्येक अनिवासी भारतीय/विदेश स्थित निगमित निकाय द्वारा खरीदे और/अथवा बेचे गये शेयरों और/अथवा डिबेंचरों की कंपनीवार संख्या और उनका चुकता मूल्य।

3. शेयरों और/अथवा डिबेंचरों की बिक्री/परिपक्वता से प्राप्त राशियों का विप्रेषण/जमा

इस योजना के अंतर्गत अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय द्वारा किसी भारतीय कंपनी के खरीदे गये शेयरों और/अथवा डिबेंचरों की बिक्री/परिपक्वता से प्राप्त

निवल राशियों (कर चुकाने के बाद) को पैरा 1 में उल्लिखित प्राधिकृत व्यापारी की निर्दिष्ट शाखा द्वारा निम्नलिखित के लिए अनुमति दी जा सकती है,

क) जहां शेयरों की खरीद और/अथवा डिबेंचरों की बिक्री एनआरएसआर खाते में धारित निधियों में से की गई हो वहां अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय निवेशक के एनआरएसआर खाते में जमा करने के लिए, अथवा

ख) जहां शेयरों की खरीद और/अथवा डिबेंचरों की खरीद अप्रत्यावर्तनीय आधार पर की गई हो, वहां अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय निवेशक के विकल्प पर उसके एनआरओ अथवा एनआरएसआर खाते में जमा करने के लिए, अथवा

ग) जहां शेयरों और/अथवा डिबेंचरों की खरीद प्रत्यावर्तन आधार पर की गई हो, वहां अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय निवेशक के विकल्प पर राशि का विदेश में विप्रेषण अथवा उसके एनआरई/एफसीएनआर/एनआरओ/एनआरएसआर खाते में जमा करने के लिए।

अनुसूची 4

[विनियम 5(3)(ii) देखें]

अप्रत्यावर्तन आधार पर अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय द्वारा शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों का क्रय और विक्रय

1 कतिपय कंपनियों के शेयरों/डिबेंचरों की खरीद पर प्रतिबंध

इस योजना के अंतर्गत किसी भारतीय कंपनी के शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद नहीं की जायेगी यदि वह चिट फंड हो अथवा निधि कंपनी हो अथवा कृषि/बागवानी कार्यों अथवा वास्तविक संपदा कारबार अथवा फार्म हाउसों के निर्माण में संलग्न हो अथवा विकास अधिकारों के अंतरण का कार्य करती हो।

स्पष्टीकरण : इस पैरा के प्रयोजन के लिए स्थावर संपदा कारबार में शहरों का विकास, आवासीय/वाणिज्यिक परिसरों, सड़कों, पुलों, आदि का निर्माण शामिल नहीं होगा।

2. किसी भारतीय कंपनी के शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद और/अथवा बिक्री हेतु अनुमति

उपर्युक्त पैरा 1 के अधीन कोई अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय बिना किसी सीमा के अप्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी भारतीय कंपनी के शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर खरीद सकता है चाहे वे सार्वजनिक निर्गम द्वारा अथवा निजी अथवा अधिकार (राइट) निर्गम द्वारा जारी किये गये हों।

3. शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद के लिए भुगतान का तरीका

अप्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी भारतीय कंपनी के शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद के लिए प्रतिफल की राशि की अदायगी विदेश से सामान्य बैंकिंग माध्यमों के जरिये आवक विप्रेषण से अथवा प्राधिकृत व्यापारी अथवा भारत में किसी प्राधिकृत बैंक में, जैसा भी मामला हो, खोले गये एनआरई/एफसीएनआर/एनआरओ/एनआरएसआर/एनआरएनआर खाते में धारित निधियों में से की जायेगी।

बशर्ते, नेपाल और भूटान में रह रहे किसी अनिवासी भारतीय/विदेश स्थित निगमित निकाय के मामले में अप्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी भारतीय कंपनी से खरीदे गये शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद के लिए प्रतिफल की राशि की अदायगी सामान्य बैंकिंग माध्यमों के जरिये विदेशी मुद्रा में आवक विप्रेषण में से ही की जायेगी।

4. शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों की बिक्री/परिपक्वता से प्राप्त राशियां

i) इस योजना के अंतर्गत बेचे गये शेयरों की बिक्री अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों की परिपक्वता राशि (लागू करों को घटाकर) ऐसे मामलों में केवल एनआरएसआर खाते में ही जमा की जायेगी जहां क्रय-प्रतिफल का भुगतान एनआरएसआर खाते में धारित निधियों में से किया गया हो तथा जहां क्रय-प्रतिफल की अदायगी एनआरई/एफसीएनआर/एनआरओ/एनआरएनआर खाते में धारित निधियों अथवा आवक विप्रेषण में से की गई हो, वहां विक्रेता के विकल्प पर उसे एनआरओ अथवा एनआरएसआर खाते में जमा किया जायेगा

ii) इस योजना के अंतर्गत शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेशित राशि और उस पर पूंजी वृद्धि के विदेश में प्रत्यावर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

अनुसूची 5

[विनियम 5(4) देखें]

भारत से बाहर निवास कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय कंपनी के शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों को छोड़कर अन्य प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय

1. प्रतिभूतियों की खरीद के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों को अनुमति

कोई भी पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां/खजाना बिल, किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी किये गये अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बांड और घरेलू पारस्परिक निधियों के यूनिट सीधे ही उनके जारीकर्ता से अथवा भारत के किसी मान्यताप्राप्त शेयर बाजार में पंजीकृत शेयर दलाल के माध्यम से प्रत्यावर्तनीय आधार पर खरीद सकता है;

बशर्ते-

i) विदेशी संस्थागत निवेशक ईक्विटी तथा ऋण लिखतों (भारतीय पूंजी बाजार में खजाना बिलों तथा सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों सहित) के बीच उसके कुल निवेश का अनुपात 70:30 से अधिक नहीं रखेगा, तथा

ii) यदि विदेशी संस्थागत निवेशक खजाना बिलों-सहित सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी किये गये अपरिवर्तनीय डिबेंचरों/बांडों में शत-प्रतिशत निवेश करना चाहता है तो उसे 100% ऋण निधि सृजित करनी होगी तथा ऐसी निधि को सेबी के पास पंजीकृत कराना होगा ।

2. प्रतिभूतियां खरीदने के लिए अनिवासी भारतीय तथा विदेश स्थित निगमित निकाय को अनुमति

1) कोई अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय बिना किसी सीमा के प्रत्यावर्तनीय आधार पर निम्नलिखित की खरीद कर सकता है :

i) सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों (वाहक प्रतिभूतियों को छोड़कर) अथवा खजाना बिलों अथवा घरेलू पारस्परिक निधियों के यूनिट;

ii) भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम द्वारा जारी किये गये बांड;

iii) भारत सरकार द्वारा विनिवेशित किये जा रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर, बशर्ते ऐसी खरीद बोली आमंत्रित करनेवाले नोटिस में निर्धारित शर्तों के अनुसार की गई हो ।

2) कोई भी अनिवासी भारतीय अथवा निवेश स्थित निगमित निकाय सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियां (वाहक प्रतिभूतियों को छोड़कर), खजाना बिल, घरेलू पारस्परिक निधियों के यूनिट, भारत स्थित मुद्रा बाजार पारस्परिक निधियों के यूनिट अथवा राष्ट्रीय योजना/बचत प्रमाणपत्र बिना किसी सीमा के खरीद सकता है ।

3. क्रय-प्रतिफल के भुगतान का तरीका

1) इस अनुसूची के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिभूतियां खरीदने वाला कोई पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक ऐसी प्रतिभूतियों की खरीद के लिए भुगतान या तो सामान्य-बैंकिंग माध्यमों के जरिये आवक विप्रेषण में से अथवा अनुसूची 2 के पैरा 2 के अनुसार रिजर्व बैंक के अनुमोदन से किसी प्राधिकृत व्यापारी की निर्दिष्ट शाखा में विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा खोले गये विदेशी मुद्रा खाते अथवा अनिवासी रुपया खाते में धारित निधियों में से करेगा ।

2) इस अनुसूची के पैरा 2 के उप-पैरा (1) के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय आधार पर प्रतिभूतियां खरीदने वाला कोई अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय या तो सामान्य बैंकिंग माध्यमों के जरिये आवक विप्रेषण द्वारा या अपने एनआरई/एफसीएनआर/ एनआरओ/एनआरएसआर/एनआरएनआर खाते में धारित निधियों में से भुगतान करेगा ।

3) इस अनुसूची के पैरा 2 के उप-पैरा (2) के अंतर्गत अप्रत्यावर्तनीय आधार पर प्रतिभूतियों की खरीद करनेवाला अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय भुगतान या तो सामान्य बैंकिंग माध्यमों के जरिये आवक विप्रेषण द्वारा या अपने एनआरई/ एफसीएनआर/ एनआरओ/ एनआरएसआर/ एनआरएनआर खाते में धारित निधियों में से करेगा ।

4. प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए अनुमति

इस अनुसूची के अनुसार प्रतिभूतियां खरीदनेवाला भारत से बाहर निवास कर रहा कोई व्यक्ति (क) किसी मान्यताप्राप्त शेयर बाजार में किसी पंजीकृत शेयर दलाल के माध्यम से ऐसी प्रतिभूतियां बेच सकता है, अथवा (ख) पारस्परिक निधियों के यूनिट पुनर्खरीद अथवा परिपक्वता राशि के भुगतान के लिए जारीकर्ता को प्रस्तुत कर सकता है अथवा (ग) परिपक्वता

राशियों के भुगतान के लिए सरकारी प्रतिभूतियां खजाना बिल रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत कर सकता है।

5. बिक्री से/परिपक्वता पर प्राप्त राशियों का विप्रेषण/जमा करना

i) पैरा 4 के अनुसार प्रतिभूतियां बेचनेवाले पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक के मामले में पैरा 3 के उप-पैरा (1) में उल्लिखित प्राधिकृत व्यापारी की निर्दिष्ट शाखा बिक्री/परिपक्वता की निवल राशियों (कर चुकाने के बाद) के प्रेषण की अनुमति दे सकती है अथवा अनुसूची 2 के पैरा 2 के उपबंधों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा खोले गये विदेशी मुद्रा खाते अथवा अनिवासी रुपया खाते में ऐसी प्रतिभूतियों के विक्रय/परिपक्वता की निवल राशि को जमा करने की अनुमति दे सकती है।

ii) पैरा 4 के अनुसार प्रतिभूतियों का विक्रय करनेवाले अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय के मामले में ऐसी प्रतिभूतियों की बिक्री/परिपक्वता की निवल राशि (कर चुकाने के बाद) को -

क) ऐसी स्थिति में अनिवासी निवेशक के एनआरएसआर खाते में ही जमा किया जा सकता है जहां बेची गई प्रतिभूतियों की खरीद के लिए भुगतान एनआरएसआर खाते में धारित निधियों में से किया गया हो, अथवा

ख) जहां बेची गई प्रतिभूतियों की खरीद के लिए भुगतान एनआरओ खाते में से किया गया था, वहां अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय के विकल्प पर उसके एनआरओ अथवा एनआरएसआर खाते में जमा की जा सकती है, अथवा

ग) जहां प्रतिभूतियों की खरीद पैरा 2 के उप-पैरा (1) के अनुसार प्रत्यावर्तन के आधार पर की गई हो तथा बेची गई प्रतिभूतियों की खरीद के लिए भुगतान एनआरई/एफसीएनआर खाते में धारित निधियों में से अथवा सामान्य बैंकिंग माध्यमों के जरिये आवक विप्रेषण से किया गया हो, वहां उक्त राशि के विदेश विप्रेषण अथवा अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय के विकल्प पर उसके एनआरई/ एफसीएनआर/एनआरओ/एनआरएसआर/एनआरएनआर खाते में जमा की जा सकती है।

फार्म टीएस 1

किसी अनिवासी द्वारा भारत के निवासी किसी व्यक्ति को भारत में पंजीकृत किसी कंपनी के शेयरों के अंतरण के लिए आवेदन-पत्र

अनुदेश

1. यदि अंतरणकर्ता कोई विदेशी कंपनी/भारत से बाहर का निवासी विदेशी राष्ट्रिक है तो आवेदन-पत्र दो प्रतियों में भरकर रिजर्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके अधिकार-क्षेत्र में उस कंपनी, जिसके शेयर अंतरित किए जाने हैं, का प्रधान/पंजीकृत कार्यालय स्थित है ।

2. आवेदन-पत्र पर अंतरणकर्ता या अंतरिती को हस्ताक्षर करने चाहिए और उसके साथ दूसरी पार्टी की लिखित सहमति या विक्रय/क्रय करार की एक प्रतिलिपि संलग्न करनी चाहिए ।

प्रलेखीकरण

1. यदि शेयरों के धारण/अभिग्रहण के लिए रिजर्व बैंक द्वारा विशिष्ट अनुमोदन प्रदान किया गया है तो अंतरणकर्ता द्वारा शेयर प्राप्त और धारण करने के लिए रिजर्व बैंक के अनुमोदन/अनुमोदनों की फोटो-प्रतियां ।

2. यदि अंतरण के लिए प्रस्तावित शेयर शेयर-बाजार में सूचीबद्ध हैं, तो आवेदन-पत्र की तारीख से पिछले एक सप्ताह की औसत भाव-दर (दैनिक उच्च और निम्न) प्रमाणित करनेवाला सनदी लेखाकार का प्रमाण-पत्र ।

3. जो शेयर सूचीबद्ध न हों या जिनका अत्यल्प लेनदेन होता हो, उनके मामले में यदि कुल प्रतिफल 20 लाख रुपये तक हो तो किसी प्रचलित मूल्यांकन-पद्धति के आधार पर शेयरों का मूल्यांकन ।

4. जो शेयर सूचीबद्ध न हों या जिनका अत्यल्प लेनदेन होता हो, उनके मामले में यदि कुल प्रतिफल 20 लाख रुपये से अधिक हो तो कंपनी के शेयरों के दो मूल्यांकन-प्रमाणपत्र, जिनमें से एक कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दिया गया हो और दूसरा किसी स्वतंत्र सनदी लेखाकार/सेबी में पंजीकृत श्रेणी-I वाणिज्यिक (मर्चेंट) बैंकर द्वारा ।

या

आवेदन पत्र की तारीख से एकदम पिछले कैलेंडर-माह के लिए बांबे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल इंडेक्स (बीएसईएन) के कीमत-कमाई (पीई) और बही-मूल्य (बीवी) गुणक दर्शानेवाला दस्तावेजी साक्ष्य और नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार कंपनी के शेयरों की प्रति शेयर कमाई (ईपीएस) और निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) दर्शानेवाला प्रमाणपत्र ।

1. अंतरणकर्ता का ब्योरा **क. यदि अंतरणकर्ता एक कंपनी-निकाय हो** i) नाम और पता ii) निगमन का स्थान iii) निवेशिती कंपनी में कुल शेयरधारिता iv) शेयर प्राप्त/धारण करने के लिए रिज़र्व बैंक के अनुमोदन/ अनुमोदनों का ब्योरा v) बिक्री/अंतरण के लिए प्रस्तावित शेयरों की संख्या और अंकित मूल्य					
ख. यदि अंतरणकर्ता कोई व्यक्ति हो i) पूरा नाम और पता ii) भारतीय कंपनी में धारित शेयरों की संख्या iii) शेयर प्राप्त/धारण करने के लिए रिजर्व बैंक के अनुमोदन की संख्या/एं और तिथि/यां (यदि कोई हो) iv) बिक्री/अंतरण के लिए प्रस्तावित शेयरों की संख्या और अंकित मूल्य					
2.	जिस भारतीय कंपनी के शेयर बेचे/अंतरित किए जाने हैं, उसका ब्योरा				
	i) नाम और पता				
	ii) निगमन का स्थान				
	iii) कुल चुकता पूंजी		**शेयरों की सं.**		**राशि**
	क) ईक्विटी				
	ख) अधिमान				
	ग) धारक				

		ईक्विटी		अधिमान	
	i) **अनिवासी** क) विदेशी राष्ट्रीय/कंपनी निकाय (नीचे (ख) में शामिल से इतर) ख) अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रबलता से स्वाधिकृत अनिवासी भारतीय/ विदेशी कंपनी निकाय ii) **निवासी** क) भारतीय प्रवर्तक ख) अन्य जोड़	शेयरों की सं.	कुल प्रदत्त ईक्विटी शेयरों की तुलना में प्रतिशत	शेयरों की सं.	कुल प्रदत्त अधिमान शेयरों की तुलना में प्रतिशत
3.	क्रेताओं/अंतरितियों का ब्योरा:				
	i) नाम और पता				
	ii) निगमन का स्थान				
4.	क्या शेयर मान्यताप्राप्त शेयर-बाजार में उद्धृत किए जाते हैं ?	हां/नहीं			
	i) यदि शेयर शेयर-बाजार में उद्धृत किए जाते हैं तो क्या बिक्री शेयर-बाजार के फ्लोर पर सामान्य जनता को प्रचलित बाजार-मूल्य पर करने का प्रस्ताव है ?	हां/नहीं			

(ii) यदि (उद्धृत शेयर की) बिक्री निजी व्यवस्था द्वारा की जाए तो निम्नलिखित सूचना दें : क) आवेदन-पत्र की तारीख से पिछले एक सप्ताह के लिए भाव-दरों का औसत (दैनिक उच्च और निम्न भाव-दरों का औसत) जो सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित हो (प्रलेखीकरण के अंतर्गत मद 2)। ख) प्रस्तावित बिक्री-मूल्य	
5. यदि बिक्री/अंतरण गैर-सूचीबद्ध और सूचीबद्ध किंतु नियमित रूप से लेनदेन न किए जानेवाले शेयरों का हो तो प्रस्तावित बिक्री-मूल्य (प्रलेखीकरण के अंतर्गत मद 4 में सूचित किए अनुसार सनदी लेखाकार के प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित हो)	
6. क्या अंतरणकर्ता/अंतरिती को कंपनी अधिनियम/एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत किसी अनुमति की आवश्यकता है? यदि हां, तो क्या उपयुक्त प्राधिकारी से उक्त अनुमति ले ली गई है?	
7. शेयरों की प्रस्तावित बिक्री/अंतरण का कारण	
8. कोई अन्य जानकारी, जो आवेदक इस आवेदन-पत्र के समर्थन में देना चाहे ।	

मैं/हम घोषित करता हूं/करते है कि ऊपर दिया गया ब्योरा मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और तथ्यपरक है ।

स्थान : _____

दिनांक : _____

_____

(अंतरणकर्ता/अंतरिती, जैसा भी मामला हो, की मुहर और हस्ताक्षर)

[फा. सं. 1/9/ई सी/97]

पी. आर. गोपाल राव, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd May, 2000

No. FEMA 20/2000-RB

G.S.R. 406(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank makes the following regulations to prohibit, restrict or regulate, transfer or issue security by a person resident outside India, namely :

1. Short title and commencement :-

(1) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000.

(2) They shall come into effect on the 1st day of June, 2000 .

2. Definitions :-

In these Regulations, unless the context requires otherwise, -

(i) 'Act' means the Foreign Exchange Management Act,1999 (42 of 1999);

(ii) 'Capital' means equity shares, preference shares, convertible preference shares, and convertible debentures;

(iii) 'registered Foreign Institutional Investor (FII)' means the foreign institutional investor registered with SEBI;

(iv) 'Government approval' means approval from the Secretariat for Industrial Assistance (SIA), Department of Industrial Policy and Promotion, Government of India or as the case may be , Foreign Investment Promotion Board (FIPB) of the Government of India,

(v) 'Indian company' means a company incorporated in India;

(vi) 'Investment on repatriation basis' means an investment the sale proceeds of which are, net of taxes, eligible to be repatriated out of India, and the expression 'Investment on non-repatriation basis', shall be construed accordingly;

(vii) Joint Venture (JV) and Wholly Owned Subsidiary shall have the meanings respectively assigned to them in the Foreign Exchange Management (Transfer and Issue of Foreign Security) Regulations, 2000;

(viii) 'Non-resident Indian (NRI)', 'Overseas Corporate Body (OCB)', shall have the meanings respectively assigned to them in the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations,2000.

(ix) 'SEBI' means the Securities and Exchange Board of India established under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(x) 'Secretariat for Industrial Assistance" means Secretariat for Industrial Assistance in the Department of Industrial Policy and Promotion , Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India;

(xi) 'Transferable Development Rights (TDR)' shall have the same meaning as assigned to it in the Regulations made under sub-section (2) of section 6 of the Act;

(xii) The words and expressions used but not defined in these Regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Restriction on issue or transfer of Security by a person resident outside India :-

Save as otherwise provided in the Act, or rules or regulations made thereunder, no person resident outside India shall issue or transfer any security:-

Provided that a security issued prior to, and held on, the date of commencement of these Regulations, shall be deemed to have been issued under these Regulations and shall accordingly be governed by these Regulations;

Provided further that the Reserve Bank may, on an application made to it and for sufficient reasons, permit a person resident outside India to issue or transfer any security, subject to such conditions as may be considered necessary.

4. Restriction on an Indian entity to issue security to a person resident outside India or to record a transfer of security from or to such a person in its books :-

Save as otherwise provided in the Act or Rules or Regulations made thereunder, an Indian entity shall not issue any security to a person resident outside India or shall not record in its books any transfer of security from or to such person:-

Provided that the Reserve Bank may, on an application made to it and for sufficient reasons, permit an entity to issue any security to a person resident outside India or to record in its books transfer of security from or to such person, subject to such conditions as may be considered necessary.

5. Permission for purchase of shares by certain persons resident outside India :-

(1) A person resident outside India (other than a citizen of Bangladesh or Pakistan or Sri Lanka) or an entity outside India, whether incorporated or not, (other than an entity in Bangladesh or Pakistan) , may purchase shares or convertible debentures of an Indian company under Foreign Direct Investment Scheme, subject to the terms and conditions specified in Schedule 1.

(2) A registered Foreign Institutional Investor (FII) may purchase shares or convertible debentures of an Indian company under the Portfolio Investment Scheme, subject to the terms and conditions specified in Schedule 2.

(3) A non-resident Indian or an overseas corporate body may purchase shares or convertible debentures of an Indian company –

(i) on a stock exchange under the Portfolio Investment Scheme, subject to the terms and conditions specified in Schedule 3; or/and

(ii) on non-repatriation basis other than under Portfolio Investment Scheme, subject to the terms and conditions specified in Schedule 4.

(4) A non-resident Indian or an overseas corporate body or a registered FII may purchase securities, other than shares or convertible debentures of an Indian company, subject to the terms and conditions specified in Schedule 5.

6. Acquisition of right shares :-

(1) A person resident outside India may purchase equity or preference shares or convertible debentures offered on right basis by an Indian company which satisfies the conditions specified in sub-regulation (2).

(2) An Indian company which satisfies the following conditions, may offer to a person resident outside India, equity or preference shares or convertible debentures on right basis, namely:-

i) The offer on right basis does not result in increase in the percentage of foreign equity already approved, or permissible under the Foreign Direct Investment Scheme in terms of these Regulations;

ii) The existing shares or debentures against which shares or debentures are issued by the company on right basis were acquired and are held by the person resident outside India in accordance with these Regulations;

iii) The offer on right basis to the persons resident outside India is at a price which is not lower than that at which the offer is made to resident shareholders;

(3) The right shares or debentures purchased by the person resident outside India shall be subject to same conditions including restrictions in regard to repatriability as are applicable to the original shares against which right shares or debentures are issued:-

Provided that the amount of consideration for purchase of right shares or debentures is paid by way of inward remittance in foreign exchange through normal banking channels or by debit to NRE/FCNR account, when the shares or debentures are issued on repatriation basis:-

Provided further that in respect of the shares or debentures issued on non-repatriation basis, the amount of consideration may also be paid by debit to NRO/NRSR/NRNR account.

7. Issue and acquisition of shares after merger or de-merger or amalgamation of Indian companies :-

(1) Where a Scheme of merger or amalgamation of two or more Indian companies or a reconstruction by way of de-merger or otherwise of an Indian company, has been approved by a Court in India, the transferee company or, as the case may be, the new company may issue shares to the shareholders of the transferor company resident outside India , subject to the following conditions, namely:

a) the percentage of shareholding of persons resident outside India in the transferee or new company does not exceed the percentage specified in the approval granted by the Central Government or the Reserve Bank, or specified in these Regulations:-

Provided that where the percentage is likely to exceed the percentage specified in the approval or the Regulations, the transferor company or the transferee or new company may, after obtaining an approval from the Central Government, apply to the Reserve Bank for its approval under these Regulations.

b) the transferor company or the transferee or new company shall not engage in agriculture, plantation or real estate business or trading in TDRs; and

c) the transferee or the new company files a report within 30 days with the Reserve Bank giving full details of the shares held by persons resident outside India in the transferor and the transferee or the new company, before and after the merger/amalgamation/reconstruction, and also furnishes a confirmation that all the terms and conditions stipulated in the scheme approved by the Court have been complied with.

8. Issue of shares under Employees Stock Options Scheme to persons resident outside India :-

(1) An Indian company may issue shares under the Employees' Stock Options Scheme, by whatever name called, to its employees or employees of its joint venture or wholly owned subsidiary abroad who are resident outside India, directly or through a Trust:-

Provided that

a) the scheme has been drawn in terms of regulations issued under the Securities Exchange Board of India Act, 1992; and

b) face value of the shares to be allotted under the scheme to the non-resident employees does not exceed 5% of the paid-up capital of the issuing company.

(1) The Trust and the issuing company shall ensure that value of shares held by persons resident outside India under the scheme does not exceed the limit specified in clause (b) of sub-regulation (1).

(2) The issuing company shall furnish to the Reserve Bank , within thirty days from the date of issue of shares under the scheme, a report giving the following particulars/documents, -

i) names of persons to whom shares are issued under the scheme and number of shares issued to each of them;

ii) a certificate from the Company Secretary of the issuing company that the value of shares issued under the scheme does not exceed 5% of the paid up capital of the issuing company and that the shares are issued in compliance with the regulations issued by the SEBI in this behalf.

9. Transfer of shares and convertible debentures of an Indian company by a person resident outside India :-

(1) Subject to the provisions of sub-regulation (2), a person resident outside India holding the shares or debentures of an Indian company in accordance with these Regulations, may transfer the shares or debentures so held by him, in compliance with the conditions specified in the relevant Schedule of these regulations.

(2) i) A person resident outside India, not being a non-resident Indian or an overseas corporate body, may transfer by way of sale, the shares or convertible debentures held by him to any person resident outside India:-

Provided that the person to whom the shares are being transferred has obtained prior permission of Central Government to acquire the shares if he has previous venture or tie up in India through investment in shares or debentures or a technical collaboration or a trade mark agreement or investment by whatever name called in the same field or allied field in which the Indian company whose shares are being transferred is engaged.

ii) A non-resident Indian or an overseas corporate body may transfer by way of sale, the shares or convertible debentures held by him or it to another non-resident Indian or an overseas corporate body only.

iii) A person resident outside India may transfer any security held by him, to a person resident in India by way of gift.

10. Prior permission of Reserve Bank in certain cases for transfer of security :-

A. Transfer by way of gift or sale by a person resident in India

A person resident in India who proposes to transfer to a person resident outside India: -

a) any security, by way of gift, shall make an application to the Reserve Bank furnishing the following information, namely:

i) Name and address of the transferor and the proposed transferee
ii) Relationship between the transferor and the proposed transferee
iii) Reasons for making the gift.

b) any share/convertible debenture of an Indian company, by way of sale, shall obtain the Government approval for the transfer and thereafter apply to the Reserve Bank for its

approval, which may be granted subject to such conditions as are considered necessary by Reserve Bank, including the price at which such sale may be made.

B. Transfer by way of sale not covered by Regulation 9 by a person resident outside India

(1) Transfer by way of sale not covered by Regulation 9 by a person resident outside India of the shares/convertible debentures held by him to a person resident in India, shall require prior permission of the Reserve Bank, for which application in form TS 1 may be made to the Reserve Bank.

(2) While considering the grant of permission, the Reserve Bank shall take into account the following factors, namely:

(a) where the shares of an Indian company are traded on stock exchange,

i) the sale is at the prevailing market price on stock exchange and is effected through a merchant banker registered with Securities and Exchange Board of India or through a stock broker registered with the stock exchange;

ii) if the transfer is other than that referred to in clause (i), the Reserve Bank will satisfy itself that the shares are proposed to be sold at a price arrived at by taking the average quotations (average of daily high and low) for one week preceding the date of application with 5 percent variation. Where, however, the shares are being sold by the foreign collaborator or the foreign promoter of the Indian company to the existing promoters in India with the objective of passing management-control in favour of the resident promoters the proposal for sale will be considered at a price which may be higher by upto a ceiling of 25 percent over the price arrived at as above,

(b) where the shares of an Indian company are not listed on stock exchange or are thinly traded,

i) if the consideration payable for the transfer does not exceed Rs.20 lakh per seller per company, at a price mutually agreed to between the seller and the buyer, based on any valuation methodology currently in vogue, on submission of a certificate from the statutory auditors of the Indian company whose shares are proposed to be transferred, regarding the valuation of the shares, and

ii) if the amount of consideration payable for the transfer exceeds Rs.20 lakh per seller per company, at a price arrived at, at the seller's option, in any of the following manner, namely:

A) a price based on earning per share (EPS linked to the Price Earning (P/E) multiple ,or a price based on the Net Asset Value (NAV) linked to book value multiple, whichever is higher,

or

B) the prevailing market price in small lots as may be laid down by the Reserve Bank so that the entire shareholding is sold in not less than five trading days through screen based trading system

c) where the shares are not listed on any stock exchange, at a price which is lower of the two independent valuations of share, one by statutory auditors of the company and the other by a Chartered Accountant or by a Merchant Banker in Category 1 registered with Securities and Exchange Board of India.

Explanation:

i) A share is considered as thinly traded if the annualised trading turnover in that share, on main stock exchanges in India, during the six calendar months preceding the month in which application is made, is less than 2 percent (by number of shares) of the listed stock.

ii) For the purpose of arriving at Net Asset Value per share, the miscellaneous expenses carried forward, accumulated losses, total outside liabilities, revaluation reserves and capital reserves (except subsidy received in cash) shall be reduced from value of the total assets and the net figure so arrived at shall be divided by the number of equity shares issued and paid up. Alternatively, intangible assets shall be reduced form the equity capital and reserves (excluding revaluation reserves) and the figure so arrived at shall be divided by the number of equity shares issued and paid up. The NAV so calculated shall be used in conjunction with the average BV multiple of Bombay Stock Exchange National Index during the calendar month immediately preceding the month in which application is made and BV multiple shall be discounted by 40 per cent.

iii) For computing the price based on Earning Per Share, the earning per share as per the latest balance sheet of the company shall be used in conjunction with the average Price Earning Multiple of Bombay Stock Exchange National Index for the calendar month preceding the month in which application is made and Price Earning shall be discounted by 40 per cent.

11. Remittance of sale Proceeds :-

(1) No remittance of sale proceeds of an Indian security held by a person resident outside India shall be made otherwise than in accordance with these Regulations and the conditions specified in the relevant Schedule

(2) An authorised dealer may allow the remittance of sale proceeds of a security (net of applicable taxes) to the seller of shares resident outside India:-

Provided -

a) the security was held by the seller on repatriation basis;

b) either the security has been sold on a recognised stock exchange in India through a stock broker at the ruling market price as determined on the floor of the exchange, or the Reserve Bank's approval has been obtained in other cases for sale of the security and remittance of the sale proceeds thereof; and

c) a no objection/tax clearance certificate from the Income Tax authority has been produced.

Schedule I

[See Regulation (5) (1)]

Foreign Direct Investment Scheme

1. Purchase by a person resident outside India of equity/preference/convertible preference shares and convertible debentures issued by an Indian company

(1) A person resident outside India referred to in sub-regulation (1) of Regulation 5, may purchase shares or convertible debentures issued by an Indian company up to the extent and subject to the terms and conditions set out in this schedule.

(2) If the person purchasing the shares under this Scheme proposes to be collaborator or proposes to acquire the entire share holding of a new Indian company, he should obtain a prior permission of Central Government if he has a previous venture or tie-up in India through investment in shares or debentures or a technical collaboration or a trade mark agreement or investment by whatever name called in the same field or allied field in which the Indian company issuing the shares is engaged.

2. Automatic Route of Reserve Bank for Issue of shares by an Indian company

(1) An Indian company which is not engaged in any activity, or in manufacturing of item included in Annexure 'A' to this Schedule, may issue shares or convertible debentures to a person resident outside India, referred to in paragraph 1 upto the extent specified in Annexure B, subject to compliance with the provisions of the Industrial Policy and Procedures as notified by Secretariat for Industrial Assistance (SIA) in the Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India, from time to time.

Provided that:

i) the activity of the issuer company does not require an industrial licence under the provisions of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 or under the locational policy notified by Government of India under the Industrial Policy of 1991 as amended from time to time.

ii) the shares or convertible debentures are not being issued by the Indian company with a view to acquiring existing shares of any Indian company.

Explanation:

A company which proposes to embark on expansion programme to undertake activities or manufacture items included in Annexure B to this schedule may issue shares or debentures out of fresh capital proposed to be issued by it for the purpose of financing expansion programme , upto the extent indicated in Annexure B, subject to compliance with the provisions of this paragraph.

(2) A trading company incorporated in India may issue shares or convertible debentures to the extent of 51 per cent of its capital, to persons resident outside India referred to paragraph 1, subject to the condition that remittance of dividend to the shareholders outside India is made only after the company has secured registration as an Export/Trading/Star Trading /Super Trading House from the Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of India, New Delhi.

(3) A company which is a small scale industrial unit and which is not engaged in any activity or in manufacture of items included in Annexure A, may issue shares or convertible debentures to a person referred to in paragraph 1, to the extent of 24% of its paid-up capital;

Provided that such a company may issue shares in excess of 24% of its paid up capital if
(a) it has given up its small scale status;
(b) it is not engaged or does not propose to engage in manufacture of items reserved for small scale sector, and
(c) it complies with the ceilings specified in Annexure B.

(4) Notwithstanding anything contained in clause (3) an Export Oriented Unit or a Unit in Free Trade Zone or in Export Processing Zone or in a Software Technology Park or in an Electronic Hardware Technology Park may issue shares or convertible debentures to a person resident outside India referred to in paragraph 1 in excess of 24 per cent provided it complies with the ceilings specified in Annexure B.

3. Issue of shares by a company requiring the Government approval

A company which is engaged or proposes to engage in any activity specified in Annexure 'A' or which proposes to issue shares to a person resident outside India beyond the sectoral limits stipulated in Annexure 'B' or which is otherwise not eligible to issue shares to a person resident outside India, may issue shares to a person resident outside India referred to in paragraph 1, provided it has secured prior approval of Secretariat for Industrial Assistance or, as the case may be of the Foreign Investment Promotion Board of the Government of India and the terms and conditions of such an approval are complied with.

4. Issue of Shares by International offering through ADR and/or GDR

(1) An Indian company may issue its Rupee denominated shares to a person resident outside India being a depository for the purpose of issuing Global Depository Receipts (GDRs) and/ or American Depository Receipts (ADRs),

Provided the Indian company issuing such shares

(a) has an approval from the Ministry of Finance, Government of India to issue such ADRs and/or GDRs or is eligible to issue ADRs/ GDRs in terms of the relevant scheme in force or notification issued by the Ministry of Finance, and

(b) is not otherwise ineligible to issue shares to persons resident outside India in terms of these Regulations, and

(c) the ADRs/GDRs are issued in accordance with the Scheme for issue of Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depository Receipt Mechanism) Scheme, 1993 and guidelines issued by the Central Government thereunder from time to time.

(2) The Indian company issuing shares under sub-paragraph (1), shall furnish to the Reserve Bank, full details of such issue in the form specified in Annexure 'C', within 30 days from the date of closing of the issue.

(3) The Indian company issuing shares against ADRs/GDRs shall furnish a quarterly return in the form specified in Annexure 'D' to Reserve Bank within fifteen days of the close of the calendar quarter.

(4) Pending repatriation or utilisation of foreign exchange resources raised in terms of clause (1) the Indian company may invest the foreign currency funds in –

(a) deposits with or Certificate of Deposits or other instruments of banks who have been rated not less than A1+ by Standard and Poor or P1 by Moody's for short term obligations,

(b) deposits with branch outside India of an authorised dealer in India, and

(c) treasury bills and other monetary instruments with a maturity or un-expired maturity of the instrument of one year or less.

5. Issue price

Price of shares issued to persons resident outside India under this Schedule, shall not be less than

(a) the price worked out in accordance with the SEBI guidelines, where the issuing company is listed on any recognised stock exchange in India, and

(b) fair valuation of shares done by a chartered accountant as per the guidelines issued by the erstwhile Controller of Capital Issues, in all other cases.

6. Dividend Balancing

Where a company is engaged in any of the industries in the consumer goods sector, specified in Annexure E, or in any other activity where the condition of dividend balancing has been stipulated in terms of the provisions of Industrial Policy and Procedures notified by Secretariat for Industrial Assistance, the cumulative outflow of foreign exchange on account of payment of dividend over a period of seven years from the date of commencement of commercial production to investors outside India shall not exceed cumulative amount of export earning of the company during those years.

Provided that

(a) the restriction under this paragraph shall not apply

i) in respect of shares held in such a company by International Finance Corporation (IFC), the Deustche Entwicklungs Gescelschaft (DEG), the Commonwealth Development Corporation (CDC) and Asian Development Bank (ADB).

ii) to a company that has completed a period of seven years from the date of commencement of commercial production,

(b) in case of an existing company that has issued fresh equity to persons resident outside India under these Regulations, the restriction shall apply to the fresh shares from the date of their issue.

7. Rate of Dividend on Preference Shares

The rate of dividend on preference shares or convertible preference shares issued under these Regulations shall not exceed 300 basis points over the Prime Lending Rate of State Bank of India prevailing as on the date of the Board meeting of the company in which issue of such shares is recommended.

8. Mode of payment for shares issued to persons resident outside India

A company in India issuing shares or convertible debentures under this Schedule to a person resident outside India shall receive the amount of consideration for such shares –

i) by inward remittance through normal banking channels, or

ii) by debit to NRE/FCNR account of the person concerned maintained with an authorised dealer/authorised bank.

9. Report by the Indian company

(1) An Indian company issuing shares or convertible debentures in accordance with these Regulations shall submit to Reserve Bank,

A) not later than 30 days from the date of receipt of the amount of consideration, a report indicating:

i) Name and address of the foreign investors

ii) Date of receipt of funds and their rupee equivalent

iii) Name and address of the authorised dealer through whom the funds have been received, and

iv) Details of the Government approval, if any.

B) not later than 30 days from the date of issue of shares, a report in form FC-GPR together with,

(i) a certificate from the Company Secretary of the company accepting investment from persons resident outside India certifying that

(a) all the requirements of the Companies Act, 1956 have been complied with;

(b) terms and conditions of the Government approval, if any, have been complied with,

(c) the company is eligible to issue shares under these Regulations; and

(d) the company has all original certificates issued by authorised dealers in India evidencing receipt of amount of consideration in accordance with paragraph 9;

(ii) a certificate from Statutory Auditors or Chartered Accountant indicating the manner of arriving at the price of the shares issued to the persons resident outside India.

10. Permission for retaining share subscription money received from persons resident *outside India in a foreign currency account*

Reserve Bank may, on an application made to it and on being satisfied that it is necessary so to do, permit an Indian company issuing shares to persons resident outside India under this Schedule, to retain the subscription amount in a foreign currency account, subject to such terms and conditions as it may stipulate.

Annexure A

(See paragraph 2)

List of activities or items for which automatic route of Reserve Bank for Investment from Persons Resident Outside India is not available

1. Banking
2. NBFC's activities in Financial Services Sector
3. Civil Aviation
4. Petroleum including exploration/refinery/marketing
5. Housing & Real Estate Development sector for investment from persons other than NRIs/OCBs.
6. Venture Capital Fund & Venture Capital Company
7. Investing companies in Infrasturcture & Service Sector
8. Atomic Energy & related projects
9. Defence and strategic industries
10. Agriculture (including plantation)
11. Print Media
12. Broadcasting
13. Postal services

Annexure B
(See paragraph 2)

Sectoral cap on Investments by Persons Resident Outside India

	Sector	Investment Cap		Description of Activity/Items/Conditions
1.	Telecommunications	49%	i)	In basic, Cellular Mobile, paging and Value Added Services, and Global Mobile Personal Communications by Satellite subject to the licence from Department of Telecommunication of Government of India.
		100%	ii)	In manufacturing activities
2.	Housing and Real Estate	100%		**ONLY** NRIs/OCBs are allowed to invest in the areas listed below : a) Development of serviced plots and construction of residential premises b) Investment in real estate covering construction of residential and commercial premises including business centres and offices c) Development of townships d) City and regional level urban infrastructure facilities, including both roads and bridges. e) Investment in manufacture of building materials f) Investment in participatory ventures in (a) to (e) above g) Investment in housing finance institutions
3.	Coal and Lignite	49%	i)	in Public Sector Undertakings (PSU) and
		50%	ii)	in other than PSUs a)Where Private Indian companies are setting up or operating power projects as well as coal or lignite mines for captive consumption; b)For setting up coal processing plants provided the company shall not do coal mining and shall not sell washed coal or sized coal from its coal processing plants in the open market and shall supply the washed or sized coal to those parties who are supplying raw coal to coal processing plants for

			washing or sizing. c)For exploration or mining of coal or lignite for captive consumption .
4.	Drugs & Pharmaceuticals	74%	For bulk drugs, their intermediaries and Formulations (except those produced by The use of recombinant DNA technology)
5.	Hotel & Tourism	51%	i) Hotels include restaurants, beach resorts, and other tourist complexes providing accommodation and/or catering and food facilities to tourists. ii) Tourism related industry includes travel agencies, tour operating agencies and tourist transport operating agencies, units providing facilities for cultural, adventure and wild life experience to tourists, surface, air and water transport facilities to tourists, leisure, entertainment amusement, sports, and health units for tourists and Convention/ Seminar units and organisations.
6.	Mining	74% 100%	Exploration and mining of diamonds and precious stones Exploration and mining of gold and silver and minerals other than diamonds and precious stones, metallurgy and processing
7.	Advertising	74%	Advertising sector
8.	Films	100%	Film industry (i.e. film financing, production, distribution, exhibition, marketing and associated activities relating to film industry) subject to the following: i) Companies with an established track record in films, TV, music, finance and insurance ii) The company should have a minimum paid up capital of US $ 10 million if it is the single largest equity shareholder and atleast US $ 5 million in other cases iii) Minimum level of foreign equity investment would be US $ 2.5 million for the single largest equity shareholder and US$ 1 million in other cases iv) Debt equity ratio of not more than 1:1 i.e., domestic borrowings shall not exceed equity v) Provisions of dividend balancing would apply.
9.	Any other sector/ activity (other than those included in Annexure A)	100%	----

Annexure 'C'

[Refer to paragraph 4(2) of Schedule I]

Return to be filed by an Indian company who has arranged issue of GDR/ADR

1.	Name of the Company	:		
2.	Address of Registered Office	:		
3.	Address for correspondence	:		
4.	Existing Business (Please give the NIC Code of the activity in which the company is predominantly engaged)	:		
5.	Details of the purposes for which GDRs/ADRs have been raised. If funds are deployed for overseas investment, details thereof.	:		
6.	Name and address of the Depository abroad	:		
7.	Name and Address of the Lead/Manager Investment/Merchant Banker	:		
8.	Name and addresses of the Sub-Managers to the issue	:		
9.	Name and address of the Indian custodians	:		
10.	Details of FIPB approval (Please quote the relevant NIC Code if the GDRs are being issued under the Automatic Route)	:		
11.	Whether any overall sectoral cap for foreign investment is applicable. If yes, please give details.	:		
12.	Details of the Equity Capital	:	Before Issue	After Issue
	(a) Authorised Capital			
	(b) Issued and Paid-up Capital			
	(i) Held by persons Resident in India			

(ii) Held by foreign Investors other than FIIs/NRIs/PIOs/OCBs (A list of foreign investors holding more than 10 per cent of the paid-up capital and number of shares held by each of them should be furnished)

(iii) Held by NRIs/PIOs/OCBs

(iv) Held by FIIs.

Total Equity held by non – residents

(c) Percentage of equity held by non-residents to total paid-up capital

13. Whether issue was on private placement basis. If yes, please give details of the investors and ADRs/GDRs issued to each of them. :

14. Number of GDRs/ADRs issued :

15. Ratio of GDRs/ADRs to underlying shares :

16. Issue Related Expenses :

(a) Fee paid/payable to Merchant Bankers/Lead Manager
  (i) Amount (in US $ etc.)
  (ii) Amount as percentage to the total issue.
(b) Other Expenses

17. Whether funds are kept abroad. If :

yes, name and address of the bank. :

18. Details of the listing arrangement :
Name of Stock Exchange
Date of commencement of trading

Certified that all the conditions laid down by Government of India and Reserve Bank of India have been complied with.

Sd/-
Chartered Accountant

Sd/-
Authorised Signatory of the Company

Annexure 'D'

[Refer to paragr .ph 4(3) of Schedule I]

Qua terly Return

1.	Name of Company	:
2.	Address	:
3.	GDR/ADR issue launched on	:
4.	Total No. of GDRs/ADRs issued	:
5.	Total amount raised	:
6.	Total interest earned till end of quarter	:
7.	Issue Expenses and commissions etc.	:
8.	Amount repatriated	:
9.	Balance kept abroad Details :	
	(i) Banks Deposits (ii) Treasury Bills (iii) Others (Please specify)	
10.	No. of GDRs still outstanding	:
11.	Company's share price at the end of the quarter	:
12.	GDR price quoted on overseas stock exchange as at the end of the quarter	:

Certified that funds raised through ADRs/GDRs have not been invested in stock market or real estate.

Sd/-
Chartered Accountant

Sd/-
Authorised Signatory of
the Company

Annexure E

(See paragraph 6 of Schedule I)

List Of 22 Industries In Respect Of Which Dividend Balancing Is Applicable

1. Manufacture of food and food products
2. Manufacture of dairy products
3. Grain mill products
4. Manufacture of bakery products
5. Manufacture and refining of sugar (vacuum pan sugar factories)
6. Production of common salt
7. Manufacture of Hydrogenated oil (Vanaspati)
8. Tea processing
9. Coffee
10. Manufacture of beverages, tobacco and tobacco products
11. Distilling, rectifying and blending of spirits, wine industries, malt liquors and malt, production of country liquors and toddy
12. Soft drinks and carbonated water industry
13. Manufacture of cigar, cigarettes, cheroot and cigarette tobacco
14. Manufacture of wood and wood products, furniture and fixtures
15. Manufacture of leather and fur/leather products
16. Tanning, curing, finishing, embossing and japanning of leather
17. Manufacture of footwear (excluding repair) except vulcanised for moulded rubber or plastic footwear
18. Manufacture of footwear made primarily of vulcanised or moulded products
19. Prophylactics (rubber contraceptive)
20. Motor cars
21. Entertainment electronics(VCRs, Colour TVs, CD Players, Tape Recorders)
22. White goods(Domestic Refrigerators, Domestic Dishwashing Machines, Programmable Domestic Washing Machines, Microwave Ovens, Airconditioners).

FORM FC-GPR

We (Name of the Indian Company)..... declare that, being eligible to issue shares to non-residents under the automatic route of RBI, furnish the following information in connection with shares issued.

1. Name and address (Regd. office) of the Indian company issuing shares to non-residents
2. Whether existing company or New company recently formed
3. Activities of the company

NIC Code **Description**

4. **Particulars of shares issued**
   (a) Name and country of the foreign investor
   (b) No. of shares issued : (Furnish equity & preference separately)

No. of shares	Face value of shares	Total face value
Issue Price At Par (Rs.)	premium of Rs.	per share
Total inflow on account of issue of shares to non-residents (including premium, if any } Rs.		

   vide original FIRC from (Bank).....enclosed.
   (c) (i) We are listed company; market related price per share is Rs.
   OR
   (ii) Other company ; Fair value of share is Rs.
5. Capital structure of the company (after issue of shares as per item 4)

(Rupees)

		Equity	Preference
I.	Paid up capital		
II.	(a) Non-resident Investment		
	(i) NRIs/OCBs		
	(ii) Others		
	(b) Resident Investment	_____	_____
	Total	_____	_____
III.	Existing percentage of non-resident investment in the paid up capital }	NRI/OCBs——% Others ——%	
	[II (a) as percentage of I]	Total %	

Declaration :

We hereby certify that

1. We have carefully followed the procedure for issue of shares under the automatic route of RBI.
2. The foreign entity (ies) (other than individuals) to whom we have issued shares does/do not have any previous joint venture or technical collaboration or trade mark agreement in India in the same or allied field.
3. We don't require an Industrial Licence under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 or in terms of locational policy notified by the Government under the New Industrial Policy of 1991.
4. We are an SSI unit and the investment limit of 24% has been observed OR
   We are not an SSI unit.
   (Delete whichever is not applicable under signature)
5. Our proposal is within the sectoral policy/cap permissible under the automatic route of RBI.
6. Our proposal does not fall under sector (s) in which FDI is not permitted.

For.....(name of the company/seal)

_____
Signature

(Name) :_____

*Designation : _____

Date :
Place :

(*To be signed by Senior official/responsible person in the company)

SCHEDULE 2

{ See Regulation 5 (2) }

Purchase/sale of shares and/or convertible debentures of an Indian company by a registered Foreign Institutional Investor under Portfolio Investment Scheme

1. Purchase/sale of shares and/or convertible debentures

(1) A registered Foreign Institutional Investor (FII) may, through the Securities and Exchange Board of India, apply to the Reserve Bank for permission to purchase the shares and convertible debentures of an Indian company under Portfolio Investment Scheme. The permission may be granted by Reserve Bank subject to such terms and conditions as may be considered necessary.

(2) The registered FII permitted by the Reserve Bank under sub-paragraph 1, shall purchase the shares/convertible debentures of an Indian company through registered brokers on recognised stock exchanges in India.

(3) The amount of consideration for purchase of shares / debentures shall be paid out of inward remittance from abroad through normal banking channels or out of funds held in an account maintained with the designated branch of an authorised dealer in India, in accordance with these Regulations.

(4) The total holding by each FII/SEBI approved sub-account of FII shall not exceed 10% (ten per cent) of the total paid-up equity capital or 10% (ten per cent) of the paid-up value of each series of convertible debentures issued by an Indian company and the total holdings of all FIIs/sub-accounts of FIIs put together shall not exceed 24 per cent of paid-up equity capital or paid up value of each series of convertible debentures.

Provided that the limit of 24 per cent referred to in this paragraph may be increased to 40 per cent by the Indian company concerned by passing a resolution by its Board of Directors followed by passing of a special resolution to that effect by its General Body.

Explanation:

For arriving at the ceiling on holdings of FIIs, shares/ convertible debentures acquired both through primary as well as secondary market will be included. However, the ceiling will not include investment made by FII through off-shore Funds, Global Depository receipts and Euro-Convertible Bonds.

(5) A registered FII may also be permitted to purchase shares/ convertible debentures of an Indian company through private placement/ arrangement, subject to the ceilings specified in sub-paragraph (4) of this paragraph.

2. Maintenance of account by a registered FII for routing transactions of purchase and sale of shares / convertible debentures

The Reserve Bank may, on application, permit a registered Foreign Institutional Investor to open a Foreign Currency Account and/or a Non-resident Rupee Account with a designated branch of an authorised dealer for routing the receipt of and payment for transactions relating to purchase and sale of shares / convertible debentures under this Scheme, subject to the following conditions:-

i) The account shall be funded by inward remittance through normal banking channels or by credit of sale proceeds (net of taxes) of the shares / convertible debentures sold on stock exchange.

ii) The funds in the account shall be utilised for purchase of shares / convertible debentures in accordance with the provisions of paragraph 1 of this Scheme or for remittance outside India.

iii) The funds from Foreign Currency Account of the registered FII may be transferred to Non-Resident Rupee account of the same FII and vice a versa.

3. Remittance of sale proceeds of shares / convertible debentures

The designated branch of an authorised dealer may allow remittance of net sale proceeds (after payment of taxes) or credit the net amount of sale proceeds of shares / convertible debentures to the foreign currency account or a Non-resident Rupee Account of the registered Foreign Institutional Investor concerned.

4. Investment by certain other investors

(1) Reserve Bank may, subject to such terms and conditions as it may consider necessary permit a domestic asset management company or portfolio manager who is registered with SEBI as a foreign institutional investor for managing the funds of a sub-account, to make investment under the Scheme on behalf of:-

(i) a person resident outside India who is a citizen of a foreign state ,or
(ii) a body corporate registered outside India ,

Provided such investment is made out of funds raised or collected or brought from outside India through normal banking channel,

(2) The application to Reserve Bank for permission under sub-paragraph (1) may be made through SEBI.

(3) Investments permitted to be made under sub-paragraph (1) shall not exceed 5% (five per cent) of the total paid-up equity capital or 5% (five per cent) of the paid-up value of each series of convertible debentures issued by an Indian company, and shall also not exceed the over-all ceiling specified in sub-paragraph (4) of paragraph 1 of this Schedule.

SCHEDULE 3

[See Regulation 5 (3) (i)]

Purchase/sale of shares and/or convertible debentures by an NRI /OCB on a Stock Exchange In India on repatriation and/or non-repatriation basis under Portfolio Investment Scheme

1. A Non-resident Indian (NRI) or an Overseas Corporate Body (OCB) may purchase/sell shares and/or convertible debentures of an Indian company, through a registered broker on a recognised stock exchange, subject to the following conditions :

i) the NRI/OCB designates a branch of an authorised dealer for routing his/its transactions relating to purchase and sale of shares/ convertible debentures under this Scheme, and routes all such transactions only through the branch so designated;

ii) the paid-up value of shares of an Indian company, purchased by each NRI or OCB both on repatriation and on non-repatriation basis, does not exceed 5 percent of the paid-up value of shares issued by the company concerned;

iii) the paid-up value of each series of convertible debentures purchased by each NRI or OCB both on repatriation and non-repatriation basis does not exceed 5 percent of the paid-up value of each series of convertible debentures issued by the company concerned;

iv) the aggregate paid-up value of shares of any company purchased by all NRIs and OCBs does not exceed 10 percent of the paid up capital of the company and in the case of purchase of convertible debentures the aggregate paid-up value of each series of debentures purchased by all NRIs and OCBs does not exceed 10 percent of the paid-up value of each series of convertible debentures;

Provided that the aggregate ceiling of 10 per cent referred to in this clause may be raised to 24 per cent if a special resolution to that effect is passed by the General Body of the Indian company concerned;

v) the NRI or OCB investor takes delivery of the shares purchased and gives delivery of shares sold;

vi) payment for purchase of shares and/or debentures is made by inward remittance in foreign exchange through normal banking channels or out of funds held in NRE/FCNR account maintained in India if the shares are purchased on repatriation basis and by inward

remittance or out of funds held in NRE/FCNR/NRO/NRNR/NRSR account of the NRI/OCB concerned maintained in India where the shares/debentures are purchased on non-repatriation basis;

vi) the Overseas Corporate Body (OCB) informs the designated branch of the authorised dealer immediately on the holding/interest of NRIs in the OCB becoming less than 60 per cent.

2. Report to Reserve Bank

The link office of the designated branch of an authorised dealer referred to in paragraph 1, shall furnish to the Chief General Manager, Reserve Bank of India (ECD), Central Office, Mumbai a report on daily basis giving the following details -

a) Name of the Non resident Indian, or OCB.

b) Company-wise number of shares and/or debentures and paid-up value thereof, purchased and/or sold by each NRI /OCB.

3. Remittance/credit of sale/maturity proceeds of shares and/or debentures

The net sale/maturity proceeds (after payment of taxes) of shares and/or debentures of an Indian company purchased by NRI or OCB under this Scheme, may be allowed by the designated branch of an authorised dealer referred to in paragraph 1,

a) to be credited to NRSR account of the NRI or OCB investor where the payment for purchase of shares and/or debentures sold was made out of funds held in NRSR account, or

b) at the NRI or OCB investor's option, to be credited to his/its NRO or NRSR account, where the shares and/or debentures were purchased on non-repatriation basis, or

c) at the NRI or OCB investor's option, to be remitted abroad or credited to his/its NRE/ FCNR/ NRO/NRSR account, where shares and/or debentures were purchased on repatriation basis.

SCHEDULE 4

{ See Regulation 5 (3) (ii) }

Purchase and sale of shares/ convertible debentures by a Non-resident Indian (NRI) or an Overseas Corporate Body (OCB), on non-repatriation basis

1. Prohibition on purchase of shares/ convertible debentures of certain companies

No purchase of shares or convertible debentures of an Indian company shall be made under this Scheme if the company concerned is a Chit Fund or a Nidhi company or is engaged in agricultural/plantation activities or real estate business or construction of farm houses or dealing in Transfer of Development Rights.

Explanation: For the purpose of this paragraph, real estate business shall not include development of township, construction of residential/ commercial premises, roads, bridges, etc.

2. Permission to purchase and/or sell shares/ convertible debentures of an Indian company

Subject to paragraph 1, a Non-resident Indian or an Overseas Corporate Body may, without any limit, purchase on non-repatriation basis, shares or convertible debentures of an Indian company issued whether by public issue or private placement or right issue.

3. Method of payment for purchase of shares/ convertible debentures

The amount of consideration for purchase of shares or convertible debentures of an Indian company on non-repatriation basis, shall be paid by way of inward remittance through normal banking channels from abroad or out of funds held in NRE/FCNR /NRO/NRSR/NRNR account maintained with an authorised dealer or as the case may be with an authorised bank in India.

Provided that in the case of an NRI/OCB resident in Nepal and Bhutan, the amount of consideration for purchase of shares or convertible debentures of an Indian company on non-repatriation basis, shall be paid only by way of inward remittance in foreign exchange through normal banking channels.

4. Sale/ Maturity proceeds of shares or convertible debentures

i) The sale/maturity proceeds (net of applicable taxes) of shares or convertible debentures purchased under this Scheme shall be credited only to NRSR account where the purchase consideration was paid out of funds held in NRSR account and to NRO or NRSR account at the option of the seller where the purchase consideration was paid out of inward remittance or funds held in NRE/FCNR/NRO/NRNR account.

ii)The amount invested in shares or convertible debentures under this Scheme and the capital appreciation thereon shall not be allowed to be repatriated abroad.

SCHEDULE 5

[See Regulation 5 (4)]

Purchase and sale of securities other than shares or convertible debentures of an Indian company by a person resident outside India.

1. Permission to Foreign Institutional Investors for purchase of securities

A registered Foreign Institutional Investor may purchase, on repatriation basis, dated Government securities/treasury bills, non-convertible debentures/bonds issued by an Indian company and units of domestic mutual funds either directly from the issuer of such securities or through a registered stock broker on a recognised stock exchange in India;

Provided that

i) the FII shall restrict allocation of its total investment between equity and debt instruments (including dated Government Securities and Treasury Bills in the Indian capital market) in the ratio of 70:30, and

ii) if the FII desires to invest upto 100 per cent in dated Government Securities including Treasury Bills, non-convertible debentures/bonds issued by an Indian company, it shall form a 100% debt fund and get such fund registered with SEBI.

2. Permission to Non-resident Indian and Overseas Corporate Body for purchase of securities

(1) A Non-resident Indian or an Overseas Corporate Body may, without limit, purchase on repatriation basis,

i) Government dated securities (other than bearer securities) or treasury bills or units of domestic mutual funds;
ii) bonds issued by a public sector undertaking(PSU) in India;
iii) shares in Public Sector Enterprises being dis-invested by the Government of India, provided the purchase is in accordance with the terms and conditions stipulated in the notice inviting bids.

(2) A Non-resident Indian or an Overseas Corporate Body may, without limit, purchase on non-repatriation basis, dated Government securities (other than bearer securities), treasury bills, units of domestic mutual funds, units of Money Market Mutual Funds in India, or National Plan/Savings Certificates.

3. Method of payment of purchase consideration

(1) A registered Foreign Institutional Investor who purchases securities under the provisions of this Schedule shall make the payment for purchase of such securities either by

inward remittance through normal banking channels or out of funds held in Foreign Currency Account or Non-resident Rupee Account maintained by the Foreign Institutional Investor with a designated branch of an authorised dealer with the approval of Reserve Bank in terms of paragraph 2 of Schedule 2.

(2) A Non-resident Indian or an Overseas Corporate Body who purchases securities on repatriation basis, under sub-paragraph (1) of paragraph 2 of this Schedule, shall make payment either by inward remittance through normal banking channels or out of funds held in his/its NRE/FCNR account.

(3) A Non-resident Indian or an Overseas Corporate Body who purchases securities on non-repatriation basis, under sub-paragraph (2) of paragraph 2 of this Schedule, shall make payment either by inward remittance through normal banking channels or out of funds held in his/its NRE/FCNR/NRO/NRSR/NRNR account.

4. Permission for Sale of Securities

A person resident outside India who has purchased securities in accordance with this Schedule may (a) sell such securities through a registered stock broker on a recognised stock exchange or (b) tender units of mutual funds to the issuer for repurchase or for payment of maturity proceeds or (c) tender Government securities/treasury bills to the Reserve Bank for payment of maturity proceeds.

5. Remittance/credit of sale/maturity proceeds

(i) In the case of a registered Foreign Institutional Investor who has sold securities in accordance with paragraph 4, the designated branch of an authorised dealer referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 3 may allow remittance of net sale/ maturity proceeds (after payment of taxes) or credit the net amount of sale/ maturity proceeds of such securities to the foreign currency account or Non-resident Rupee Account of the FII investor maintained in accordance with the provisions of paragraph 2 of Schedule 2.

(ii) In the case of a Non-resident Indian or an Overseas Corporate Body who has sold securities in accordance with paragraph 4, the net sale/ maturity proceeds (after payment of taxes) of such securities, may be

a) credited only to NRSR account of the NRI investor where the payment for purchase of securities sold was made out of funds held in NRSR account, or

b) credited, at the NRI or OCB investor's option, to his/its NRO or NRSR account, where the payment for the purchase of the securities sold was made out of funds held in NRO account, or

c) remitted abroad or at the NRI or OCB investor's option, credited to his/its NRE/FCNR /NRO/NRSR/NRNR account, where the securities were purchased on repatriation basis in accordance with sub-paragraph (1) of paragraph 2 and the payment for purchase of the securities sold was made by inward remittance through normal banking channels or out of funds held in NRE/FCNR account.

Form TS 1

Application for transfer of shares of a company registered in India by a non-resident to a person resident in India

Instructions :

1. The application should be completed in duplicate and submitted to the concerned Regional Office of Reserve Bank under whose jurisdiction the Head/Registered Office of the company, whose shares are to be transferred, is situated if the transferor is a foreign company/foreign national resident outside India.

2. The application may be signed either by the transferor or the transferee attaching therewith consent in writing of the other party or a copy of the sale/purchase agreement.

Documentation :

1. Photocopies of Reserve Bank's approval(s) for acquiring and holding shares by the transferor, if specific approval was grtanted by Reserve Bank for holding/acquisition of shares, if applicable.

2. In case the shares proposed to be transferred are listed on a Stock Exchange, a certificate from a Chartered Accountant certifying the average quotation (average of daily high and low) for one week preceding the date of application.

3. In case of unlisted/thinly traded shares, valuation of the shares on basis of any valuation methodology in vogue, if the total consideration is upto Rs.20 lakhs.

4. In case of unlisted/thinly traded shares where the total consideration exceeds Rs 20 lakhs, two valuation certificates for the shares of the company, one from the statutory auditors of the company and the other from an independent Chartered Accountant/SEBI registered Category-I Merchant Banker.

Or

Documentary evidence showing Price Earnings (PE) and Book Value (BV) multiples of Bombay Stock Exchange National Index (BSEN) for the calendar month immediately preceding the date of application and a certificate showing the Earnings Per Share (EPS) and Net Asset Value (NAV) of the shares of the company as per the latest audited Balance Sheet.

1.	Particulars of the transferor		
	A. If the transferor is a corporate body		
	(i) Name and address		
	(ii) Place of incorporation		
	(iii) Total shareholding in the investee company		
	(iv) Particulars of Reserve Bank approval/s for acquiring/ holding shares		
	(v) Number and face value of the shares proposed to be sold/transferred		
	B. If the transferor is an individual		
	(i) Full name and address		
	(ii) Number of shares held in the Indian company		
	(iii) Reserve Bank's approval number/s and date(s) (if any) for acquiring/ holding the shares		
	(iv) Number and face value of shares proposed to be sold/transferred		
2.	Particulars of the Indian company whose shares are to be sold /transferred		
	i) Name and address		
	ii) Place of incorporation		
	iii) Total paid –up capital	**No. of shares**	**Amount**
	a) Equity		

	b) Preference				
	c) Held by				
		Equity		**Preference**	
	i) Non-resident :	No. of shares	Percentage to total paid-up equity shares	No. of shares	Percentage to total paid –up preference shares
	(a) Foreign nationals/ Corporate bodies [other than included in (b) below]				
	(b) NRIs/Overseas corporate bodies predominantly owned by NRIs				
	ii) Residents:				
	(a) Indian Promoters				
	(b) Others				
	Total				
3.	Particulars of the buyers/transferee:				
	(i) Name and address				
	(ii) Place of incorporation				

4.	Whether the shares are quoted on a recognised Stock Exchange ?	Yes/No
	(i) If the shares are quoted on the Stock Exchange, whether the sale is proposed to be effected on the floor of the Stock Exchange to the general public at the prevailing market price?	Yes/No

(ii) If the sale (of the quoted share) is by way of private arrangement, please furnish the following: (a) the average of quotations (average of daily high and low) for one week preceding the date of application duly certified by a Chartered Accountant. [item 2 under Documentation] (b) the proposed sale price	
5. If the sale/transfer is of non-listed as well as listed but not regularly traded shares, the proposed sale price [to be supported by a Chartered Accountant's certificate as indicated in Item 4 under Documentation]	
6. Whether the transferor/transferee requires any permission under the Companies Act/MRTP Act. If so, whether such permission has been received from the appropriate authority.	
7. Reason for the proposed sale/transfer of shares	
8. Any other information which the applicant wishes to furnish in support of this application.	

I/We declare that the particulars given above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

Place:.....
Date :.....

....
(Stamp and signature of the transferor/ transferee as the case may be)

[F. No. 1/9/EC/97]

P. R. GOPALA RAO, Executive Director

अधिसूचना

मुंबई, 3 मई, 2000

सं. फेमा 21/2000-आरबी

सा.का.नि. 407(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (झ), धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अभिग्रहण और अंतरण) विनियमावली, 2000 कहा जाएगा।

ii) ये पहली जून, 2000 से लागू होंगे।

2. परिभाषा

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

क) 'अधिनियम' से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है ;

ख) 'प्राधिकृत व्यापारी' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 10 के उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी के रुप में प्राधिकृत किया गया व्यक्ति ;

ग) 'भारतीय मूल का व्यक्ति' से ऐसा व्यक्ति (पाकिस्तान या बंगलादेश या श्रीलंका या अफगानिस्तान या चीन या ईरान या नेपाल या भूटान का नागरिक न हो) अभिप्रेत है,

i) जिसके पास किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट रहा हो;

या

ii) जो स्वयं या जिसके पिता या दादा में से कोई भारत के संविधान या नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की बदौलत भारत का नागरिक रहा हो;

घ) 'भारत से बाहर प्रत्यावर्तन' से अभिप्रेत है भारत में किसी प्राधिकृत व्यक्ति से विदेशी मुद्रा खरीदना या आहरित करना और उसे सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिये भारत से

व्यापारी के पास भारतीय मुद्रा में खुले खाते में क्रेडिट करना जहां से वह विदेशी मुद्रा में रूपांतरित की जा सके;

ङ.) इन विनियमों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो क्रमशः अधिनियम में निर्दिष्ट है।

3. भारत से बाहर के निवासी भारतीय नागरिक द्वारा भारत में संपत्ति का अभिग्रहण और अंतरण

भारत से बाहर का कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो -

क) भारत में कृषि/बागान/फार्म हाउस के अलावा किसी अचल संपत्ति का अभिग्रहण कर सकता है, और

ख) भारत में निवास करनेवाले व्यक्ति को भारत में किसी अचल संपत्ति का अंतरण कर सकता है,

ग) भारत के बाहर रहनेवाले किसी ऐसे व्यक्ति को जो भारत का नागरिक हो अथवा भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को जो भारत के बाहर रहता हो कृषि/बागान संपत्ति अथवा फार्म हाउस के अलावा किसी अचल संपत्ति का अंतरण कर सकता है ।

4. भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा भारत में संपत्ति का अभिग्रहण और अंतरण

भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर का निवासी हो -

क) (i) भारत से बाहर के किसी स्थान से आवक विप्रेषण के जरिये भारत में प्राप्त निधियों से या (ii) अधिनियम और रिज़र्व बैंक द्वारा अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार रखे गए किसी अनिवासी खाते में रखी निधियों से क्रय द्वारा कृषि-भूमि/फार्महाउस/प्लांटेशन-संपत्ति से इतर किसी अचल संपत्ति का अभिग्रहण कर सकता है ;

ख) भारत के निवासी किसी व्यक्ति से या भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति से जो भारत का नागरिक हो या भारतीय मूल के भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति से उपहार के रूप में भारत में कृषि-भूमि/फार्महाउस/प्लांटेशन-संपत्ति से इतर किसी अचल संपत्ति का अभिग्रहण कर सकता है ;

ग) भारत के निवासी किसी व्यक्ति से या भारत से बाहर के निवासी किसी ऐसे व्यक्ति से विरासत के रूप में भारत में किसी अचल संपत्ति का अभिग्रहण कर सकता है जिसने वह संपत्ति अभिग्रहण के समय लागू विदेशी मुद्रा कानून के उपबंधों या इन विनियमों के अनुसार अभिगृहीत की हो ;

घ) भारत के निवासी किसी व्यक्ति को बिक्री के जरिये भारत में कृषि-भूमि/फार्महाउस/प्लांटेशन-संपत्ति से इतर कोई अचल संपत्ति अंतरित कर सकता है;

ङ) भारत के निवासी किसी व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक हो, उपहार या बिक्री के जरिये भारत में कृषि-भूमि/फार्महाउस/प्लांटेशन-संपत्ति अंतरित कर सकता है ;

च) भारत के निवासी किसी व्यक्ति को या भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को जो भारत का नागरिक हो या भारतीय मूल के भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को उपहार के जरिये भारत में आवासीय अथवा वाणिज्यिक संपत्ति अंतरित कर सकता है ।

5. अनुमत कार्य करने के लिए अचल संपत्ति का अभिग्रहण

भारत से बाहर का निवासी कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा या कार्यालय या अन्य कारबार-स्थल) विनियमावली, 2000 के अनुसार भारत में कोई कार्य करने के लिए संपर्क कार्यालय को छोड़कर कोई शाखा, कार्यालय या अन्य कारबार-स्थल स्थापित किया हो -

क) भारत में ऐसी अचल संपत्ति अभिगृहीत कर सकता है जो उक्त कार्य करने के लिए आवश्यक या प्रासंगिक हो;

बशर्ते

i) फिलहाल लागू समस्त संगत कानूनों, नियमों, विनियमों या निदेशों का विधिवत् अनुपालन किया जाए; और

ii) वह व्यक्ति इस अभिग्रहण के नब्बे दिन के भीतर इन विनियमों के साथ संलग्न फार्म आइपीआइ. में एक घोषणा-पत्र रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करे;

ख) खंड (क) के अनुसार अभिगृहीत अचल संपत्ति किसी उधार के लिए प्रतिभूति के रूप में किसी प्राधिकृत व्यापारी को बंधक के रूप में अंतरित कर सकता है।

6. बिक्री से होने वाली आय का प्रत्यावर्तन

क) अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (5) में उल्लिखित कोई व्यक्ति या उसका उत्तराधिकारी रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना उस उप-धारा में उल्लिखित किसी अचल संपत्ति की बिक्री से होनेवाली आय भारत से बाहर प्रत्यावर्तित नहीं करेगा;

ख) भारत से बाहर के निवासी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो भारत का नागरिक हो या भारतीय मूल का हो, भारत में कृषि-भूमि/फार्महाउस/प्लांटेशन-संपत्ति से इतर अचल संपत्ति की बिक्री की स्थिति में प्राधिकृत व्यापारी बिक्री से होनेवाली आय भारत से बाहर प्रत्यावर्तित करने की अनुमति दे सकता है बशर्ते निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन कर लिया गया हो :

i) अचल संपत्ति विक्रेता द्वारा अभिग्रहण के समय लागू विदेशी मुद्रा कानून के उपबंधों या इन विनियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अनुरूप खरीदी गई हो ;

ii) बिक्री उस अचल संपत्ति के अभिग्रहण की तिथि या उसके अभिग्रहण के प्रतिफल की अंतिम किस्त के भुगतान की तिथि, जो भी बाद में हो, के तीन वर्ष बाद की जाए ;

iii) प्रत्यावर्तित की जानेवाली राशि (क) अचल संपत्ति के अभिग्रहण के लिए सामान्य बैंकिंग चैनलों के जरिये प्राप्त या विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते में रखी निधियों से विदेशी मुद्रा में अदा की गई राशि से या (ख) संपत्ति के अभिग्रहण के लिए जहां उक्त भुगतान अनिवासी बाह्य खाते में रखी निधियों से किया गया हो, वहां भुगतान की तिथि को समकक्ष विदेशी मुद्रा से अधिक न हो ;

iv) आवासीय संपत्ति के मामले में बिक्री से होनेवाली आय का प्रत्यावर्तन ऐसी दो संपत्तियों से अनधिक तक प्रतिबंधित है।

7 कतिपय देशों के नागरिकों द्वारा भारत में अचल संपत्ति के अधिग्रहण अथवा अंतरण पर निषेध

पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, नेपाल अथवा भूटान का कोई नागरिक व्यक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना भारत में किसी अचल संपत्ति का अंतरण अथवा अधिग्रहण नहीं करेगा, केवल पट्टे को छोड़कर जो पाँच वर्ष से अधिक न हो।

8. भारत में अचल संपत्ति के अंतरण पर प्रतिबंध

जब तक अधिनियम या विनियमों में अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति भारत में किसी अचल संपत्ति का अंतरण नहीं करेगा :

बशर्ते रिज़र्व बैंक पर्याप्त कारणों से आवश्यक समझी जानेवाली शर्तों के अधीन अंतरण की अनुमति दे दे।

आईपी आई

[विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अंतरण एवं अधिग्रहण) विनियमावाली, 2000 देखें]

भारत के बाहर रहनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा भारत में अधिग्रहित अचल संपत्ति की घोषणा

अनुदेश। :

घोषणा दो प्रतियों में पूरी की जानी चाहिए और उसे अचल संपत्ति के अधिग्रहण से 90 दिनों के भीतर सीधे मुख्य महा प्रबंधक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, (विदेशी निवेश प्रभाग - II), भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई 400 01 को प्रस्तुत की जानी चाहिए)

प्रलेखन

फेमा, 1999 (1999 का 42) की धारा 6(6) के अंतर्गत
प्राप्त रिज़र्व बैंक से अनुमोदन पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ

1	अधिग्रहणकर्ता का पूरा नाम और पता जिसमें अचल संपत्ति अधिग्रहीत की है।	
2	(क) अचल संपत्ति का विवरण	क)
	(ख) राज्य, शहर और नगरपालिका सर्वे सं. आदि के नाम दर्शाते हुए उसके वास्तविक स्थान का ब्यौरा	ख)
3	क) प्रयोजन जिसके लिए अचल संपत्ति अधिग्रहीत की गयी है	क)
	ख) रिज़र्व बैंक की अनुमति संख्या और तिथि, यदि कोई हो	ख)
4	अचल संपत्ति के अधिग्रहण की तिथि	
5	किस प्रकार से अचल संपत्ति अधिग्रहीत की गयी थी अर्थात क्या खरीद अथवा पट्टे के जरिए	क)
	ख) विक्रेता/पट्टाकर्ता का नाम, नागरिकता और पता	ख)
	ग) खरीद मूल्य की राशि और निधियों के स्त्रोत	ग)

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ / करते हैं कि -

क) मुझे /हमारी जानकारी और विश्वास से अनुसार दी गई उक्त जानकारी सही है ओर ठीक है।

ख) उक्त संपत्ति के किसी भाग को किसी अन्य पार्टी को पट्टे पर / भाडे पर नहीं दिया गया हे अथवा किसी अन्य पार्टी द्वारा उसके अन्यथा उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई है।

अनुलग्नक -

स्थान.:- स्टाम्प _____

(प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर)

तिथि :-

नाम _____

पदनाम _____

[फा. सं. 1/9/ई सी/97]
पी. आर. गोपाल राव, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd May, 2000

No. FEMA 21/2000-RB

G.S.R. 407(E).—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (3) of Section 6, sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement :-

i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Acquisition and transfer of immovable property in India) Regulations, 2000.

ii) They shall come into force on 1st day of June 2000.

2. Definitions :-

In these Regulations, unless the context otherwise requires –

a) 'Act' means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);

b) 'An authorised dealer' means a person authorised as an authorised dealer under sub-section (1) of section 10 of the Act;

c) 'a person of Indian origin' means an individual (not being a citizen of Pakistan or Bangladesh or Sri Lanka or Afghanistan or China or Iran or Nepal or Bhutan), who

(i) at any time, held Indian passport;
or

(ii) who or either of whose father or whose grandfather was a citizen of India by virtue of the Constitution of India or the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955);

d) 'repatriation outside India' means the buying or drawing of foreign exchange from an authorised dealer in India and remitting it outside India through normal banking channels or crediting it to an account denominated in foreign currency or to an account in Indian currency maintained with an authorised dealer from which it can be converted in foreign currency;

e) the words and expressions used but not defined in these Regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Acquisition and Transfer of Property in India by an Indian Citizen resident outside India:-

A person resident outside India who is a citizen of India may -

a) acquire any immovable property in India other than agricultural/plantation/farm house, and

b) transfer any immovable property in India to a person resident in India.

c) transfer any immovable property other than agricultural or plantation property or farm house to a person resident outside India who is a citizen of India or to a person of Indian origin resident outside India.

4. Acquisition and Transfer of Property in India by a Person of Indian origin

A person of Indian origin resident outside India may -

(a) acquire any immovable property other than agricultural land/farm house/ plantation property in India by purchase, from out of (i) funds received in India by way of inward remittance from any place outside India or (ii) funds held in any non-resident account maintained in accordance with the provisions of the Act and the regulations made by the Reserve Bank under the Act;

(b) acquire any immovable property in India other than agricultural land / farm house / plantation property by way of gift from a person resident in India or from a person resident outside India who is a citizen of India or from a person of Indian origin resident outside India;

(c) acquire any immovable property in India by way of inheritance from a person resident outside India who had acquired such property in accordance with the provisions of the foreign exchange law in force at the time of acquisition by him or the provisions of these Regulations or from a person resident in India;

(d) transfer any immovable property in India other than agricultural land/farm house/plantation property, by way of sale to a person resident in India;

(e) transfer agricultural land/farm house/ plantation property in India, by way of gift or sale to a person resident in India who is a citizen of India;

(f) transfer residential or commercial property in India by way of gift to a person resident in India or to a person resident outside India who is a citizen of India or to a person of Indian Origin resident outside India.

5. Acquisition of Immovable Property for carrying on a permitted activity:-

A person resident outside India who has established in India in accordance with the Foreign Exchange Management (Establishment in India of Branch or Office or other Place of Business) Regulations, 2000, a branch, office or other place of business for carrying on in India any activity, excluding a liaison office, may –

a) acquire any immovable property in India, which is necessary for or incidental to carrying on such activity;

Provided that

i) all applicable laws, rules, regulations or directions for the time being in force are duly complied with; and

ii) the person files with the Reserve Bank a declaration in the form IPI annexed to these regulations, not later than ninety days from the date of such acquisition;

b) transfer by way of mortgage to an authorised dealer as a security for any borrowing, the immovable property acquired in pursuance of clause (a).

6. Repatriation of sale proceeds:-

(a) A person referred to in sub-section (5) of Section 6 of the Act, or his successor shall not, except with the prior permission of the Reserve Bank, repatriate outside India the sale proceeds of any immovable property referred to in that sub-section;

(b) In the event of sale of immovable property other than agricultural land/farm house /plantation property in India by a person resident outside India who is a citizen of India or a person of Indian origin, the authorised dealer may allow repatriation of the sale proceeds outside India, provided the following conditions are satisfied, namely:

(i) the immovable property was acquired by the seller in accordance with the provisions of the foreign exchange law in force at the time of acquisition by him or the provisions of these Regulations;

(ii) the sale takes place after three years from the date of acquisition of such immovable property or from the date of payment of final instalment of consideration for its acquisition, whichever is later; and ;

(iii) the amount to be repatriated does not exceed (a) the amount paid for acquisition of the immovable property in foreign exchange received through normal banking channels or out of funds held in Foreign Currency Non-Resident Account or (b) the foreign currency equivalent ,as on the date of payment, of the amount paid where such payment was made from the funds held in Non-Resident External account for acquisition of the property;

(iv) in the case of residential property, the repatriation of sale proceeds is restricted to not more than two such properties.

7. Prohibition on acquisition or transfer of immovable property in India by citizens of certain countries

No person being a citizen of Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, China, Iran, Nepal or Bhutan without prior permission of the Reserve Bank shall acquire or transfer immovable property in India, other than lease, not exceeding five years.

8. Prohibition on transfer of immovable property in India :-

Save as otherwise provided in the Act or Regulations, no person resident outside India shall transfer any immovable property in India:-

Provided that the Reserve Bank may, for sufficient reasons, permit the transfer, subject to such conditions as may be considered necessary.

IPI

(See Regulation 5)

Declaration of immovable property acquired in India by a person resident outside India

Instructions:

The declaration should be completed in duplicate and submitted directly to the Chief General Manager, Exchange Control Department, (Foreign Investment Division – III), Reserve Bank of India, Central Office,Bombay-400 001 within 90 days from the date of acquisition of the immovable property.

Documentation:

Certified copies of letter of approval from Reserve Bank obtained under section 6(6) of FEMA, 1999 (42 of 1999).

1		Full name and address of the acquirer who has acquired the immovable property		
2	(a)	Description of immovable property	(a)	
	(b)	Details of its exact location stating the name of the state, town and municipal/survey number, etc.	(b)	
3	(a)	Purpose for which the immovable property has been acquired	(a)	
	(b)	Number and date of Reserve Bank's permission, if any,	(b)	
4		Date of acquisition of the immovable property		
5	(a)	How the immovable property was acquired i.e, whether by way of purchase or lease	(a)	

	(b)	Name, citizenship and address of the seller/lessor	(b)	
	(c)	Amount of purchase price and sources of funds.	(c)	

I/We hereby declare that –

(a) the particulars given above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief ;

(b) no portion of the said property has been leased/rented to, or is otherwise being allowed to be used by, any other party .

Encls:

.....
(Signature of Authorised official)

Stamp

Place.....

Name .....

Date.....

Designation:.....

[F. No 1/9/EC/97]
P. R. GOPALA RAO, Executive Director

अधिसूचना

मुंबई, 3 मई, 2000

सं. फेमा 22/2000-आरबी

सा.का.नि. 408(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक भारत से बाहर के किसी निवासी द्वारा किसी शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारबार के अन्य स्थान की भारत में स्थापना को निषिद्ध, प्रतिबंधित और नियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारबार के अन्य स्थान की भारत में स्थापना) विनियमावली, 2000 कहा जाएगा।

ii) ये पहली जून, 2000 से लागू होंगे।

2. परिभाषा

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

क) 'अधिनियम' से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है;

ख) 'विदेशी कंपनी' से भारत से बाहर निगमित कंपनी निकाय अभिप्रेत है और इसमें फर्म अथवा व्यक्तियों की अन्य संस्था शामिल है;

ग) 'शाखा' से अभिप्रेत वही है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 2 की उपधारा (9) में निर्दिष्ट है;

घ) 'फार्म' से इन विनियमों के साथ संलग्न फार्म अभिप्रेत है;

ङ) 'संपर्क कार्यालय' से व्यापार का वह स्थान अभिप्रेत है जो व्यापार के मुख्य स्थान अथवा प्रधान कार्यालय, चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो, और भारत स्थित उद्यमों के बीच सूचना माध्यम का काम करता है किंतु जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक/व्यापारिक/औद्योगिक कार्य नहीं करता है तथा सामान्य बैंकिंग माध्यमों से विदेश से प्राप्त विप्रेषित धन से अपना रख-रखाव करता है ;

च) 'परियोजना कार्यालय' से अभिप्रेत व्यापार का वह स्थान है जो भारत में अपनी परियोजना को क्रियान्वित करनेवाली विदेशी कंपनियों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु यह संपर्क कार्यालय में शामिल नहीं है ;

छ) 'साइट कार्यालय' से अभिप्रेत परियोजना स्थल पर स्थापित परियोजना कार्यालय के उप-कार्यालय है किंतु संपर्क कार्यालय में शामिल नहीं है ;

ज) इन विनियमों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित न किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में निर्दिष्ट हैं।

3. भारत में शाखा और कार्यालय स्थापित करने पर प्रतिबंध

भारत से बाहर के निवासी रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर भारत में कोई शाखा अथवा कोई संपर्क कार्यालय अथवा कोई परियोजना कार्यालय अथवा व्यापार के किसी अन्य स्थान की स्थापना नहीं करेगा।

बशर्ते, किसी बैंकिंग कंपनी को अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, यदि ऐसी कंपनी ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया हो।

4. कतिपय देशों के नागरिकों द्वारा भारत में कोई शाखा अथवा कोई कार्यालय स्थापित करने पर निषेध

पाकिस्तान, बंग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान अथवा चीन का कोई नागरिक व्यक्ति रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना भारत में कोई शाखा अथवा कोई संपर्क कार्यालय अथवा कोई परियोजना कार्यालय अथवा कारोबार का कोई अन्य स्थान, जो भी नाम हो, स्थापित नहीं करेगा ।

5. शाखा अथवा संपर्क अथवा परियोजना कार्यालय खोलने के लिए रिजर्व बैंक को आवेदन देना

i) भारत में शाखा अथवा संपर्क कार्यालय खोलने का इच्छुक भारत से बाहर का निवासी फार्म एफएनसी 1 में रिज़र्व बैंक को आवेदन करे।

ii) जहां भारत से बाहर रहनेवाले व्यक्ति ने भारत में किसी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किसी भारतीय कंपनी से ठेका प्राप्त किया हो -

क) परियोजना में विदेश से आवक विप्रेषण धन सीधे लगाया गया हो ;

अथवा

ख) परियोजना में द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषक एजेंसियों ने धन लगाया हो;

अथवा

ग) परियोजना किसी उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा भेजा गयी हो ;

अथवा

घ) ठेका देनेवाले भारत स्थित किसी कंपनी अथवा उद्यम को परियोजना के लिए भारत स्थित किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था अथवा बैंक ने सावधि ऋण दिया हो, ऐसा व्यक्ति भारत में परियोजना अथवा साइट कार्यालय की स्थापना के लिए फार्म एफएनसी 1 में रिज़र्व बैंक को आवेदन करेगा

iii) रिज़र्व बैंक ऐसी शर्तों के अधीन, जिसे आवश्यक समझा जाए, अनुमति प्रदान कर सकता है।

स्पष्टीकरण

इस विनियम के प्रयोजन के लिए,

i) 'किसी द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय वित्तपोषक एजेंसी' से अभिप्रेत विश्व बैंक अथवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष अथवा ऐसे ही अन्य निकाय हैं ;

ii) 'सार्वजनिक वित्तीय संस्था' सार्वजनिक वित्तीय संस्था है, जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4(क) में परिभाषित किया गया है।

6. भारत स्थित शाखा अथवा कार्यालय द्वारा किये जानेवाले कार्य

i) भारत में शाखा अथवा संपर्क कार्यालय की स्थापना के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियम 5 के अंतर्गत अनुमति प्राप्त भारत से बाहर कोई निवासी अनुसूची I अथवा अनुसूची II, जैसा मामला हो, में निर्दिष्ट कोई भी कार्य कर सकता है किंतु रिज़र्व बैंक द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट किये जाने तक अन्य कार्य नहीं कर सकता।

ii) भारत में परियोजना कार्यालय अथवा साइट कार्यालय की स्थापना के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियम 5 के अंतर्गत अनुमति प्राप्त भारत से बाहर कोई निवासी परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित और प्रासंगिक कार्यों से इतर कोई कार्य नहीं करेगा।

7. लाभ और अधिशेष का विप्रेषण

भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियम 5 के अंतर्गत भारत में शाखा अथवा परियोजना कार्यालय खोलने की अनुमति दी है, परियोजना पूरी होने पर शाखा का लाभ अथवा परियोजना का अधिशेष संबंधित भारतीय करों की अदायगी के बाद निवल राशि,जैसा भी मामला हो, उस प्राधिकृत व्यापारी के, जिसके माध्यम से विप्रेषण भेजा जायेगा, पूरी तरह संतुष्ट होने पर भेज सकता है।

I शाखा के लाभ के विप्रेषण के लिए

क) संबंधित वर्ष के लेखा परीक्षित तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा की प्रमाणित प्रति,

ख) निम्नलिखित को प्रमाणित करनेवाला सनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र-

i) विप्रेषणीय लाभ के आकलन का तरीका,

ii) कि संपूर्ण विप्रेषणी लाभ अनुमत कार्यकलापों से अर्जित किया गया है, और

iii) कि लाभ में शाखा की परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यन संबंधी कोई लाभ शामिल नहीं है।

II. परियोजना की पूर्णता पर अधिशेष के विप्रेषण के लिए

क) अंतिम लेखा परीक्षित परियोजना लेखों की प्रमाणित प्रति ;

ख) विप्रेषणीय अधिशेष के आकलन के तरीके को दर्शानेवाला सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र;

ग) आयकर निर्धारण आदेश अथवा आय कर एवं अन्य लागू करों के भुगतान को दर्शानेवाला या तो प्रलेख साक्ष्य अथवा सनदी लेखाकार का इस आशय का प्रमाणपत्र कि सभी भारतीय कर देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां अलग रखी गयी हैं; तथा

(घ) लेखा परीक्षक का इस आशय का प्रमाणपत्र कि परियोजना के संबंध में किसी भी प्रकार की सांविधिक देयता बाकी नहीं है।

अनुसूची -I

[विनियम 6(i) देखें]

भारत से बाहर किसी निवासी व्यक्ति की भारत में शाखा के लिए अनुमत कार्य

i) वस्तुओं का निर्यात/आयात।

ii) व्यावसायिक अथवा परामर्शी सेवाएं प्रदान करना।

iii) मूल कंपनी से संबंधित अनुसंधान कार्य करना।

iv) भारतीय कंपनियों और मूल कंपनी अथवा विदेशी समूह कंपनी के बीच तकनीकी और वित्तीय सहयोग को बढ़ाना।

v) भारत में मूल कंपनी का प्रतिनिधित्व करना और भारत में खरीद/बिक्री एजेंट के रूप में कार्य करना।

vi) भारत में सूचना तकनीक और सॉफ्टवेयर के विकास के लिए सेवाएं प्रदान करना।

vii) मूल/समूह कंपनियों द्वारा आपूर्त किये गये उत्पादों के संबंध में तकनीकी सहायता प्रदान करना।

viii) विदेशी विमानन/जहाजरानी कंपनी।

अनुसूची -II

[विनियम 6(i) देखें]

भारत से बाहर किसी निवासी व्यक्ति का भारत में संपर्क कार्यालय के लिए अनुमत कार्य

i) भारत में मूल कंपनी/समूह कंपनी का प्रतिनिधित्व करना।

ii) भारत से/भारत में निर्यात-आयात को बढ़ाना।

iii) मूल कंपनी/समूह कंपनियों और भारत स्थित कंपनियों के बीच तकनीकी/वित्तीय सहयोग को बढ़ाना।

iv) मूल कंपनी और भारतीय कंपनियों के बीच सूचना माध्यम के रूप में कार्य करना।

एफएनसी 1

[विनियम 5 देखें]

क. आवेदक के लिए सामान्य अनुदेश

केवल आवेदन फार्म पूरी तरह से भरकर मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग (विदेशी निवेश प्रभाग), भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई 400 001 को भेजे जाएं।

ख. प्रलेखीकरण

i) जिस देश में पंजीकरण किया गया हो उस देश के भारतीय दूतावास/नोटरी पब्लिक के प्रमाणपत्र का अंग्रेजी रूप निगमन/पंजीकरण अथवा संस्था के ज्ञापन तथा अंतर्नियमावली;

ii) आवेदक कंपनी/फर्म का नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र;

iii) परियोजना कार्यालय के संबंध में इस आशय के प्रलेख साक्ष्य कि परियोजना को द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों से धन मिलता है अथवा परियोजना को संबंधित विनियामक प्राधिकरण ने भेजा है अथवा भारतीय कंपनी संबंधित परियोजना को सावधि ऋण भारत स्थित किसी वित्तीय संस्था अथवा बैंक ने मंजूर किया है ।

---

1) i) आवेदक कंपनी/फर्म का पूरा नाम और पता (क्या आवेदक स्वामित्व प्रतिष्ठान अथवा साझेदारी फर्म अथवा लिमिटेड कंपनी अथवा सरकारी क्षेत्र का उपक्रम अथवा कोई अन्य संगठन है) (कृपया उल्लेख करें)

ii) निगमन/पंजीकरण की तारीख तथा स्थान

2) पूंजी के ब्योरे

i) प्रदत्त पूंजी प्रत्येक -------- के --------शेयरों में ---------- में विभाजित

ii) अंतिम लेखा परीक्षित तुलनपत्र के

अनुसार निर्बंध आरक्षित निधियां

3) आवेदक के कार्यों का संक्षिप्त विवरण

4) संपर्क/शाखा कार्यालय के लिए

i) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान आवेदक द्वारा भारत से/को किये गये आयात और/अथवा निर्यात का मूल्य

क) भारत से किया गया आयात
ख) भारत को किया गया निर्यात

ii) भारत में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए वर्तमान में यदि कोई व्यवस्था की गयी हो तो उसके ब्योरे -

iii) प्रस्तावित शाखा/संपर्क कार्यालय के ब्योरे

क) कार्यालय द्वारा किये गये/ किये जानेवाले प्रस्तावित कार्यों/ सेवाओं के ब्यौरे

ख) कार्यालय की स्थापना का स्थान

5. परियोजना कार्यालय के लिए

यदि आवेदक द्वारा भारत में किसी विशिष्ट परियोजना अथवा ठेके के कार्यान्वित किये जाने के संबंध में अस्थायी आधार पर कार्यालय खोला जाना हो :

i) भुगतान/अवधि, आदि की शर्तों-सहित परियोजना/ठेके का संक्षिप्त विवरण

ii) कार्यालय की स्थापना का स्थान

iii) क्या परियोजना कार्यालय को संपूर्ण निधि आवक विप्रेषण धन से अथवा **ख** (iii) में विनिर्दिष्ट किसी अन्य स्रोत से प्राप्त होती है।

6. कोई अन्य सूचना, जो आवेदक कंपनी इस आवेदन पत्र के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहता है।

हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि :

i) हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये ब्योरे सही और तथ्यपरक हैं;

ii) भारत में हमारे कार्य ऊपर के स्तंभ 4(iii) क अथवा 5(i) में दर्शाये गये क्षेत्रों तक सीमित होंगे;

iii) यदि हम अपने कार्यालय को किसी दूसरी जगह ले जाते हैं तो हम इसकी सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को देंगे; तथा

iv) यदि अनुमोदन दिया जाता है तो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगायी जानेवाली शर्तों का हम पालन करेंगे।

स्थान :

(आवेदक कंपनी के प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर)

तारीख :

नाम :

पदनाम :

[फा. सं. 1/9/ई सी/97]

पी. आर. गोपाल राव, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd May, 2000

No. FEMA 22/2000-RB

G.S.R. 408(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 6 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank makes the following regulations to prohibit, restrict and regulate establishment in India of a branch or office or other place of business by a person resident outside India, namely :

1. Short title and commencement:-

i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Establishment in India of Branch or Office or other Place of Business) Regulations, 2000.

ii) They shall come into force on 1st day of June, 2000.

2. Definitions:-

In these regulations, unless the context otherwise requires –

a) 'Act' means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);

b) 'foreign company' means a body corporate incorporated outside India, and includes a firm or other association of individuals;

c) 'Branch' shall have the meaning assigned to it in sub-section (9) of Section 2 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956),

d) 'form' means a form annexed to these Regulations;

e) 'Liaison Office' means a place of business to act as a channel of communication between the Principal place of business or Head Office by whatever name called and entities in India but which does not undertake any commercial /trading/ industrial activity, directly or indirectly, and maintains itself out of inward remittances received from abroad through normal banking channel;

f) 'Project Office' means a place of business to represent the interests of the foreign company executing a project in India but excludes a Liaison Office;

g) 'Site Office' means a sub-office of the Project Office established at the site of a project but does not include a Liaison Office;

h) the words and expressions used but not defined in these Regulations, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act

3. Prohibition against establishing branch or office in India:-

No person resident outside India shall, without prior approval of the Reserve Bank, establish in India a branch or a liaison office or a project office or any other place of business by whatever name called:

Provided that no approval shall be necessary for a banking company, if such company has obtained necessary approval under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949.

4. Prohibition against establishing a branch or office in India by citizens of certain countries:-

No person, being a citizen of Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, Iran or China, without prior permission of the Reserve Bank, shall establish in India, a branch or a liaison office or a project office or any other place of business by whatever name called.

5. Application to Reserve Bank for opening branch or liaison or project office etc.:-

(i) A person resident outside India desiring to establish a branch or liaison office in India shall apply to the Reserve Bank, in form FNC 1.

(ii) Where a person resident outside India has secured from an Indian company a contract to execute a project in India, and

(a) the project is funded directly by inward remittance from abroad;

or

(b) the project is funded by a bilateral or multilateral International Financing Agency,

or

(c) the project has been cleared by an appropriate authority;

or

(d) a company or entity in India awarding the contract has been granted Term Loan by a Public Financial Institution or a bank in India for the Project,

such person shall apply to the Reserve Bank in form FNC 1 for permission to establish a Project or Site Office in India

(iii) The Reserve Bank may grant permission subject to such terms and conditions as may be considered necessary

Explanation:

For the purpose of this Regulation,

(i) 'a bilateral or multilateral International Financing Agency' means the World Bank or the International Monetary Fund or similar other body;

(ii) "Public Financial Institution" is a public financial institution as defined in Section 4A of the Companies Act, 1956.

6. Activities which may be undertaken by the branch or office in India

(i) A person resident outside India permitted by the Reserve Bank under Regulation 5, to establish a branch or a liaison office in India may undertake or carry on any activity specified in Schedule I or, as the case may be, in Schedule II, but shall not undertake or carry on other activity unless otherwise specifically permitted by the Reserve Bank.

(ii) A person resident outside India permitted by the Reserve Bank under Regulation 5, to establish a Project or Site Office in India shall not undertake or carry on any activity other than the activity relating and incidental to execution of the project.

7. Remittance of profit or surplus

A person resident outside India permitted by the Reserve Bank under Regulation 5, to establish a branch or Project Office in India may remit outside India the profit of the branch or surplus of the Project on its completion, net of applicable Indian taxes, on production of the following documents, and establishing the net profit or surplus, as the case may be, to the satisfaction of the authorised dealer through whom the remittance is effected.

I. For remittance of profit of a branch, -

a) certified copy of the audited balance-sheet and profit and loss account for the relevant year;

b) a Chartered Accountant's certificate certifying, -

i) the manner of arriving at the remittable profit,

ii) that the entire remittable profit has been earned by undertaking the permitted activities, and

iii) that the profit does not include any profit on revaluation of the assets of the branch.

II For remittance of surplus on completion of the Project, -

a) certified copy of the final audited Project accounts;

b) a Chartered Accountant's certificate showing the manner of arriving at the remittable surplus;

c) income tax assessment order or either documentary evidence showing payment of income tax and other applicable taxes, or a Chartered Accountant's certificate stating that sufficient funds have been set aside for meeting all Indian tax liabilities; and

d) auditor's certificate stating that no statutory liabilities in respect of the Project are outstanding.

Schedule I

[See Regulation 6(i)]

Permitted activities for a branch in India of a person resident outside India

i) Export/Import of goods

ii) Rendering professional or consultancy services

iii) Carrying out research work, in which the parent company is engaged.

iv) Promoting technical or financial collaborations between Indian companies and parent or overseas group company.

v) Representing the parent company in India and acting as buying/selling agent in India.

vi) Rendering services in Information Technology and development of software in India

vii) Rendering technical support to the products supplied by parent/group companies

viii) Foreign airline/shipping company

Schedule II

[See Regulation 6(i)]

Permitted activities for a Liaison office in India of a person resident outside India

i) Representing in India the parent company/group companies

ii) Promoting export import from/to India

iii) Promoting technical/financial collaborations between parent/group companies and companies in India.

iv) Acting as a communication channel between the parent company and Indian companies

FNC 1

(See Regulation 5)

A. General Instructions to Applicants :

The application form only should be completed and submitted to the Chief General Manager, Exchange Control Department (Foreign Investment Division), Reserve Bank of India, Central Office, Mumbai-400001.

B. Documentation :

i) English version of the certificate of incorporation/registration or Memorandum & Articles of Association attested by Indian Embassy/Notary Public in the country of registration.

ii) Latest Audited Balance Sheet of the applicant company/firm.

iii) In case of Project Office documentary evidence that the Project is funded by bilateral or multilateral International Financing Agencies OR the project has been cleared by the concerned regulatory authority OR the Indian company has been granted term loan for the concerned Project by a Financial Institution or a Bank in India

---

1. i) Full name and address of the applicant company/firm [State whether the applicant is a proprietary concern or partnership firm or limited company or public sector undertaking or any other organisation (Please specify).

   ii) Date and Place of incorporation,/ registration.

2. Details of capital

   i) Paid-up capital _____divided into _____shares of _____ each

   ii) Free Reserves as per last audited Balance Sheet

3. Brief description of the activities of the applicant

4. FOR LIAISON / BRANCH OFFFICE

i) Value of goods imported from and / or exported to India by the applicant during each of the last three years:

a) Imports from India

b) Exports to India

ii) Particulars of existing arrangements if any, for representing the company in India.

iii) Particulars of the proposed Branch/ Liaison Office

a) Details of the activities/services proposed to be undertaken/ rendered by the office.

b) Place where the office will be located.

5. FOR PROJECT OFFICE

If the office is to be opened on a temporary basis in connection with any specific project or contract to be executed in India by the applicant :

i) Brief description of the project/ contract, including terms of payment / duration, etc.

ii) Place where the office will be located

iii) Whether the project office is funded entirely by inward remittances or by any other source specified at B (iii)

6. Any other information which the applicant company wishes to furnish in support of this application.

We hereby declare that :

i) The particulars given above are true and correct to the best of our knowledge and belief;

ii) Our activities in India would be confined to the fields indicated in column 4(iii)(a) or 5(i)above;

iii) If we shift the office to another place, we shall intimate the Reserve Bank of India; and

iv) We will abide by the terms and conditions that may be stipulated by Reserve Bank of India if approval is given.

Place :

(Signature of Authorised Official
of the Applicant Company)
Name:

Date:

Designation:

[F. No. 1/9/EC/97]
P. R. GOPALA RAO, Executive Director

अधिसूचना

मुंबई, 3 मई, 2000

सं. फेमा 23/2000-आरबी

सा.का.नि. 409(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (क) और उप-धारा (3), धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक भारत से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात विनियमावली, 2000 कहा जाएगा;

ii) ये पहली जून, 2000 से लागू होंगे।

2. परिभाषा

इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

i) 'अधिनियम' से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) [illegible] है;

ii) प्राधिकृत व्यापारी' से अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के [illegible] प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसमें आढ़तिये (फैक्टर) के रूप में [illegible] करनेवाला और उक्त धारा 10 के अंतर्गत इस रूप में प्राधिकृत व्यक्ति शामिल [illegible]

iii) 'एग्जिम बैंक' से भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) के अंतर्गत स्थापित निर्यात-आयात बैंक अभिप्रेत है;

iv) 'निर्यात' में परेषण पर या बिक्री, पट्टे, किराया-खरीद के द्वारा या किसी भी नाम से उल्लिखित किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत भूमि, समुद्र या वायु मार्ग से वस्तुएं देश से बाहर ले जाना या भेजना और सॉफ्टवेयर के मामले में किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचारण भी शामिल है;

v) पट्टे या किराया-खरीद द्वारा या ऐसी ही किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत किए जानेवाले निर्यात के संबंध में 'निर्यात मूल्य' में ऐसे पट्टे या किराया-खरीद या ऐसी ही किसी अन्य व्यवस्था के संबंध में देय प्रभार शामिल हैं, चाहे उन्हें किसी भी नाम से उल्लिखित किया जाता हो;

vi) 'फॉर्म' से इन विनियमों के साथ संलग्न फॉर्म अभिप्रेत है;

vii) 'अनुसूची' से इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

viii) 'सॉफ्टवेयर' से अभिप्रेत है कोई कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस, रेखांकन, डिज़ाइन, श्रव्य-दृश्य संकेतक, किसी भौतिक माध्यम में या पर से इतर किसी अन्य माध्यम में या पर कोई अन्य सूचना, चाहे उसे किसी भी नाम से उल्लिखित किया जाता हो;

ix) 'निर्दिष्ट प्राधिकारी' से वह व्यक्ति या प्राधिकरण अभिप्रेत है जिसे विनियम 3 में निर्दिष्ट घोषणा प्रस्तुत की जानी है;

x) 'कार्य-दल' से रिज़र्व बैंक द्वारा आस्थगित भुगतान की शर्तों पर या किसी टर्न-की परियोजना अथवा सिविल-निर्माण संविदा के निष्पादन में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के प्रस्तावों पर विचार करने के प्रयोजन के लिए गठित दल अभिप्रेत है;

xi) इन विनियमों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो अधिनियम में निर्दिष्ट हैं।

3. वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के संबंध में घोषणा

1) भौतिक या अन्य किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नेपाल और भूटान को छोड़कर, भारत से बाहर किसी भी स्थान को वस्तुओं या सॉफ्टवेयर का निर्यात करनेवाला हर निर्यातक निर्दिष्ट प्राधिकारी को अनुसूची में निर्धारित फार्मों में से किसी एक में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा जिसके समर्थन में निर्दिष्ट किया जा सकनेवाला साक्ष्य संलग्न हो और जिसमें निम्नलिखित की ब्योरेवार राशि-सहित सही और तथ्यपरक महत्वपूर्ण ब्योरा दिया जाना चाहिए -

i) वस्तुओं या सॉफ्टवेयर का पूर्ण निर्यात-मूल्य; या

ii) यदि निर्यात के समय पूर्ण निर्यात-मूल्य का निश्चय न किया जा सकता हो, तो वह मूल्य जो निर्यातक विदेशी बाज़ार में वस्तुओं या सॉफ्टवेयर की बिक्री होने पर बाज़ार की चालू स्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्राप्त होने की अपेक्षा करे, और उक्त घोषणा में स्वीकार करे कि सॉफ्टवेयर या वस्तुओं का पूर्ण निर्यात-मूल्य (निर्यात के समय उसका निश्चय किया जा सकता हो या नहीं) निर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्दिष्ट तरीके से अदा कर दिया गया है या कर दिया जाएगा।

2) घोषणाएं निर्दिष्ट संख्या के सेटों में निष्पादित की जाएंगी।

3) संदेह के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन सेवाओं के निर्यात के संबंध में इन विनियमों में निर्दिष्ट कोई फार्म लागू नहीं होता, निर्यातक बिना कोई घोषणा प्रस्तुत किए उन सेवाओं का निर्यात कर सकता है, किंतु वह ऐसे निर्यात के फलस्वरूप प्राप्य या उपार्जित होनेवाली विदेशी मुद्रा की राशि वसूल करने और उसे अधिनियम और इन विनियमों तथा अधिनियम के अंतर्गत बनाए जानेवाले अन्य नियमों तथा विनियमों के उपबंधों के अंतर्गत भारत में प्रत्यावर्तित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

4. छूट

विनियम 3 में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित मामलों में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात घोषणा प्रस्तुत किए बिना ही किया जा सकता है :

क) निःशुल्क आपूर्त की जानेवाली वस्तुओं के व्यापारिक नमूने और प्रचार-सामग्री;

ख) यात्रियों के निजी सामान, चाहे वह उनके साथ हो या अलग से भेजा जाए;

ग) केंद्र सरकार के या उसके द्वारा इस हेतु नियुक्त अधिकारियों के या सेना, नौसेना या वायुसेना की आवश्यकताओं के लिए सेना, नौसेना या वायुसेना के प्राधिकारियों के आदेशों के अंतर्गत आपूर्त किए जानेवाले जहाज के भंडार, पोतांतरण-नौभार और वस्तुएं;

घ) वस्तुएं और सॉफ्टवेयर, जिनके साथ निर्यातक की यह घोषणा हो कि उनका मूल्य पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं है;

ङ) उपस्करस्वरूप वस्तुएं, जिनके साथ निर्यातक की यह घोषणा हो कि उनका मूल्य एक लाख रुपये से अधिक नहीं है;

च) विदेश में ओवरहॉलिंग और/या मरम्मत के लिए वायुयान या वायुयान के इंजन और स्पेयर पार्ट्स, बशर्ते ओवरहॉलिंग/मरम्मत के बाद उन्हें उनके निर्यात की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर भारत में वापस आयात किया जाए;

छ) पुनर्निर्यात के आधार पर निःशुल्क आयातित वस्तुएं;

ज) केंद्र सरकार और म्याँमार सरकार के बीच वस्तु-विनिमय व्यापार करार के अंतर्गत म्याँमार को निर्यातित प्रति लेनदेन 1,000 अमरीकी डॉलर या उसके समकक्ष राशि से अनधिक मूल्य की वस्तुएं;

झ) निर्यात प्रसंस्करण अंचलों या मुक्त व्यापार अंचलों के विकास आयुक्त द्वारा पुनर्निर्यात किए जाने के लिए अनुमत निम्नलिखित वस्तुएं :

1) दोषपूर्ण पाई गई वस्तुएं, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं/सहयोगियों द्वारा उन्हें बदले जाने के प्रयोजन से;

2) विदेशी आपूर्तिकर्ताओं/सहयोगियों से उधार के रूप में आयातित वस्तुएं;

3) विदेशी आपूर्तिकर्ताओं/सहयोगियों से उत्पादन-कार्यों के बाद बेशी पाई गई निःशुल्क आयातित वस्तुएं।

ञ) फिलहाल, प्रचलित एक्ज़िम पालिसी प्रावधानों के अनुसार निःशुल्क निर्यातित मालों का प्रतिस्थापन।

5. आयातक-निर्यातक कोड नंबर का उल्लेख

निर्यातक द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत घोषणा-पत्र की सभी प्रतियों पर और निर्यातक द्वारा रिज़र्व बैंक के प्राधिकृत व्यापारी के साथ किये जानेवाले सभी पत्राचार में, यथास्थिति, विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 7 के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा आबंटित आयातक-निर्यातक कोड नंबर का उल्लेख किया जाएगा।

6. किस प्राधिकारी को घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा और घोषणा पर किस तरह कार्रवाई की जाएगी

क. जीआर/एसडीएफ फार्म में घोषणा

1) i) जीआर/एसडीएफ फार्म में घोषणा सीमा शुल्क आयुक्त को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा।

ii) घोषणा पत्र का विधिवत् सत्यापन करने और अधिप्रमाणित करने के बाद सीमा शुल्क आयुक्त मूल घोषणा पत्र/आँकड़े रिज़र्व बैंक के निकटतम कार्यालय को भेजेगा और दूसरी प्रति प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत करने के लिए निर्यातक को दे देगा।

ख. पीपी फार्म में घोषणा

2) i) पीपी फार्म में घोषणा पत्र उसमें अंकित प्राधिकृत व्यापारी को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा।

ii) प्राधिकृत व्यापारी घोषणा पत्र पर प्रति हस्ताक्षर करने के बाद मूल घोषणा पत्र निर्यातक को दे देगा जो उसे उस डाक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जिसके माध्यम से माल भेजा जा रहा है। डाक प्राधिकारी माल भेजने के बाद घोषणा पत्र रिज़र्व बैंक के निकटतम कार्यालय को भेज देगा।

ग. सॉफ्टेक्स फार्म में घोषणा

3) i) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ऑडियो/वीडियो/टेलीविजन सॉफ्टवेयर के निर्यात के संबंध में सॉफ्टेक्स फार्म में घोषणा पत्र भारत में स्थित भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या मुक्त व्यापार क्षेत्र या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थित भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग के प्राधिकृत अधिकारी को तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा।

ii) सॉफ्टेक्स फार्म की तीनों प्रतियां लेने के बाद उक्त प्राधिकृत अधिकारी मूल घोषणा पत्र सीधे रिज़र्व बैंक के निकटतम कार्यालय को भेजेगा और दूसरी प्रति निर्यातक को वापस कर देगा। प्राधिकृत अधिकारी उसकी तीसरी प्रति अपने पास रिकार्ड के लिए रख लेगा।

घ. रिज़र्व बैंक को घोषणा पत्र की दूसरी प्रति का प्रस्तुतीकरण

प्राधिकृत व्यापारी निर्यात आय प्राप्त करने के बाद विधिवत् रूप से प्रमाणित करके जीआर/एसडीएफ, पीपी या यथास्थिति, सॉफ्टेक्स फार्म की दूसरी प्रति निकटतम रिज़र्व बैंक कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।

7. घोषणा के समर्थन में साक्ष्य

सीमा शुल्क आयुक्त या डाक प्राधिकारी या इलेक्ट्रॉनिक विभाग का अधिकारी, जिसको घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाए, अधिनियम की धारा 7 और इन विनियमों के विधिवत् अनुपालन के संबंध में स्वयं संतुष्ट होने की दृष्टि से घोषणा के समर्थन में ऐसे साक्ष्य की अपेक्षा करेगा, जिससे यह सिद्ध हो कि -

क) निर्यातक भारत का निवासी व्यक्ति है और भारत में उसके पास व्यावसायिक स्थल

ख) घोषणा पत्र में उल्लिखित गंतव्य स्थान निर्यातित माल का अंतिम गंतव्य स्थान है;

ग) घोषणा पत्र में उल्लिखित मूल्य -

1) माल या सॉफ्टवेयर का पूर्ण निर्यात मूल्य है; या

2) जहां निर्यात के समय माल या सॉफ्टवेयर का पूर्ण निर्यात मूल्य निश्चित नहीं हो वहां निर्यातक बाज़ार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए विदेशी बाजार से माल की बिक्री का जो मूल्य प्राप्त करने का अनुमान करता हो, वह मूल्य है।

स्पष्टीकरण

इस विनियमन के प्रयोजनार्थ, 'अंतिम गंतव्य स्थान' का अभिप्राय किसी देश के उस स्थान से है, जहां निर्यातित माल अंततः आयात के रूप में पहुंचना है और उस देश के सीमा-शुल्क प्राधिकारी के द्वारा उसकी निकासी की जानी है।

8. माल के निर्यात मूल्य की भुगतान-विधि

जब तक रिज़र्व बैंक द्वारा अन्यथा प्राधिकृत न हो, निर्यातित माल के संपूर्ण निर्यात-मूल्य की राशि का भुगतान प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2000 में विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा।

स्पष्टीकरण

इस विनियम के प्रयोजनार्थ, निर्यातित माल के भारत में पुनः आयात को, जिसके संबंध में विनियम 3 के अंतर्गत घोषणा की गयी हो, के निर्यात मूल्य की विनिर्दिष्ट अवधि में वसूली के लिए ऐसे माल के संपूर्ण निर्यात मूल्य की की जानेवाली वसूली माना जाएगा।

9. किस अवधि के भीतर माल/सॉफ्टवेयर के निर्यात मूल्य की वसूली की जाएगी

निर्यातित माल या सॉफ्टवेयर के संपूर्ण निर्यात मूल्य की राशि निर्यात की तिथि से छः महीने के भीतर वसूल की जाएगी और भारत को प्रत्यावर्तित की जाएगी :

बशर्ते जहां माल का निर्यात रिज़र्व बैंक की अनुमति से भारत के बाहर स्थित किसी गोदाम को किया जाए, वहाँ निर्यातित माल के संपूर्ण निर्यात मूल्य की राशि का भुगतान, जैसे ही उसकी वसूली हो या हर हाल में माल के लदान की तिथि से पन्द्रह महीने के भीतर प्राधिकृत व्यापारी को किया जाएगा।

बशर्ते रिज़र्व बैंक, या इस संबंध में संबंधित बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अधीन, प्राधिकृत व्यापारी, दर्शाये गये पर्याप्त और उचित कारण से, यथास्थिति, 6 महीने अथवा 15 महीने की उक्त अवधि बढ़ा सकता है।

स्पष्टीकरण

इस विनियम के प्रयोजन के लिए वस्तु से इतर रूप में सॉफ्टवेयर के निर्यात के संबंध में 'निर्यात की तारीख' ऐसे निर्यात के बीजक की तारीख मानी जायेगी।

10. विस्तारित ऋण शर्तों पर निर्यात

कोई व्यक्ति माल के निर्यात के संबंध में ऐसी शर्तों पर कोई संविदा नहीं करेगा जिसमें निर्यात किये जानेवाले माल के भुगतान की छः महीने से अधिक की अवधि का प्रावधान हो :

बशर्ते रिज़र्व बैंक, दर्शाये गये उचित और पर्याप्त कारण से, ऐसी शर्तों पर संविदा करने की अनुमति देता है।

11. निर्यात दस्तावेज़ों की प्रस्तुति

निर्यात संबंधी दस्तावेज़ निर्यात की तारीख अथवा सॉफ्टेक्स फार्म के प्रमाणन की तारीख से, यथास्थिति, 21 दिन के अंदर संबंधित घोषणा फार्म में उल्लिखित प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए :

बशर्ते समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अधीन, प्राधिकृत व्यापारी 21 दिन की निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद निर्यात संबंधी दस्तावेज़, निर्यातक के नियंत्रण से परे कारण को मद्देनजर रखते हुए स्वीकार कर सकता है।

12. प्रलेखों का हस्तांतरण

विनियम 3 पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले, प्राधिकृत व्यापारी निर्यातों से संबंधित बीजक तथा विनिमय पत्र सहित पोतलदान प्रलेखों को बेचान अथवा वसूली के लिए अपने ग्राहक (विनियम 3 के अनुसार घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति नहीं) से स्वीकार कर सकता है :

बशर्ते बेचान या वसूली के लिए ऐसे प्रलेखों को स्वीकार करने से पूर्व, प्राधिकृत व्यापारी यह अपेक्षा करेगा कि -

क) जहां घोषणा में घोषित मूल्य तथा बेचान किये जा रहे अथवा वसूली के लिए भेजे जा रहे प्रलेखों में दर्शाये गये मूल्य में अंतर नहीं हो, अथवा

ख) जहां घोषणा में घोषित मूल्य, बेचान किये जा रहे अथवा वसूली के लिए भेजे जा रहे प्रलेखों में दर्शाए गए मूल्य से कम हो,

वहां संबंधित ग्राहक भी इस घोषणा पर हस्ताक्षर करे और इसके पश्चात् उक्त ग्राहक इस बात से प्रतिबद्ध होगा कि वह ऐसी मांग की पूर्ति करे और घोषणा पर हस्ताक्षर करनेवाला ऐसा ग्राहक, इन विनियमों के प्रयोजन के लिए निर्यातक समझा जाएगा जिसकी सीमा, बेचान किये गये अथवा वसूली के लिए भेजे गये प्रलेखों में दर्शाये पूर्ण मूल्य तक होगी और तदनुसार इन विनियमों द्वारा नियंत्रित होगी।

13. निर्यात के लिए भुगतान

किसी माल या सॉफ्टवेयर के निर्यात के संबंध में, जिसके लिए विनियम 3 के अंतर्गत घोषणा प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, कोई भी व्यक्ति रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना अथवा रिजर्व बैंक के निदेशों के अधीन प्राधिकृत व्यापारी की अनुमति के बिना ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा अथवा काम करने से नहीं बचेगा अथवा कोई कार्रवाई नहीं करेगा या कार्रवाई करने से नहीं बचेगा जिसमें -

i) माल या सॉफ्टवेयर के लिए भुगतान विनिर्दिष्ट तरीके से न होकर किसी अन्य तरीके से किया गया है; अथवा

ii) इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अवधि के बाद विलंब से भुगतान किया जाता है; अथवा

iii) निर्यातित माल या सॉफ्टवेयर की बिक्री से प्राप्त राशि रिज़र्व बैंक अथवा रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अधीन किसी प्राधिकृत व्यापारी की अनुमति से की गई कटौती, यदि कोई हो, करने के बाद माल या सॉफ्टवेयर के पूर्ण निर्यात मूल्य को इंगित नहीं करती।

बशर्ते इन प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में तब तक कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की जाएगी जबतक विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त नहीं हो जाती और सॉफ्टवेयर या माल के निर्यात के पूर्ण मूल्य अथवा खण्ड (iii) के अंतर्गत अनुमत कटौतियों के बाद, मूल्य का भुगतान विनिर्दिष्ट तरीके से नहीं कर दिया जाता ।

14. कतिपय निर्यात जिनके लिए पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है

क. पट्टे, किराये, आदि पर माल का निर्यात

कोई भी व्यक्ति, केवल रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के मामले को छोड़कर, भारत के बाहर कोई माल थल, समुद्र या वायु मार्ग से पट्टे पर या किराया पर या किसी व्यवस्था के अंतर्गत या उक्त माल का निपटान या बिक्री से भिन्न किसी अन्य तरीके से नहीं ले जा सकता/भेज सकता।

ख. व्यापार करार/रुपया जमा आदि के अंतर्गत निर्यात

i) केंद्र सरकार और किसी विदेश की सरकार के बीच की गयी विशेष व्यवस्था के अंतर्गत या केंद्र सरकार द्वारा विदेश की सरकार को दिये गये रुपया क्रेडिट के अंतर्गत माल का निर्यात, भारत के व्यापार नियंत्रण प्राधिकार द्वारा जारी संगत सार्वजनिक सूचना में दी गयी शर्तों और रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

ii) निर्यातों के वित्तपोषण के लिए भारत से निर्यात-आयात बैंक द्वारा किसी विदेशी राज्य (स्टेट) में कार्यरत कोई बैंक या वित्तीय संस्था को ऋण व्यवस्था के अंतर्गत कोई निर्यात, रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा।

ग. प्रति (काउंटर) व्यापार

भारत से निर्यातित माल के मूल्य के बदले भारत में आयातित माल के मूल्य का सामंजस्य करने वाली किसी व्यवस्था के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी।

15. भुगतान की प्राप्ति में विलंब

जहां माल या सॉफ्टवेयर निर्यात संबंधी मामले में, जिसे विनिर्दिष्ट फार्म पर घोषित किया जाना अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गयी हो और इसके लिए यथोक्त भुगतान भी नहीं किया गया हो, रिज़र्व बैंक, ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिसने माल या सॉफ्टवेयर बेचा है या जो माल या सॉफ्टवेयर को बेचने का हक रखता है या इसके लिए बिक्री का प्रबंध किया है, ऐसा निदेश दे सकता है जो उसकी दृष्टि में निम्नलिखित को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए उचित है, (क) यदि माल या सॉफ्टवेयर बेचा जा चुका है तो उसका भुगतान प्राप्त करने के लिए, (ख) यदि इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर माल या सॉफ्टवेयर बेचा नहीं गया है या उसका भारत में पुनः आयात नहीं किया गया है जैसी भी परिस्थिति हो, तो उसकी बिक्री और भुगतान के लिए;

बशर्ते रिज़र्व बैंक द्वारा निदेश दिये जाने में किसी चूक का प्रभाव यह नहीं होगा कि उल्लंघन करने वाला व्यक्ति उसके परिणाम से बच जाये।

16. निर्यातों पर अग्रिम भुगतान

(1) जहां कोई निर्यातक भारत के बाहर किसी क्रेता से अग्रिम भुगतान (ब्याज के साथ या इसके बिना) प्राप्त करता है, निर्यातक का दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि -

i) माल का पोतलदान अग्रिम भुगतान की प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर किया जाता है ;

ii) अग्रिम भुगतान पर देय, ब्याज की दर यदि कोई है, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट (एलआइबीओआर)+100 आधार पाइन्ट्स से अधिक न हो; और

iii) पोतलदान संबंधी प्रलेख उस प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से जाने चाहिए जिसके जरिये अग्रिम का भुगतान प्राप्त किया गया है;

बशर्ते निर्यातक की इस असमर्थता की स्थिति में कि वे अग्रिम भुगतान की प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष के अंतर्गत अंशतः अथवा पूर्णतः पोतलदान नहीं कर पाता है, अग्रिम भुगतान के अप्रयुक्त अंश की वापसी या ब्याज के भुगतान के लिए कोई प्रेषण, एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद, रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

(2) उप विनियम (1) के खण्ड (i) में निहित किसी बात के होते हुए भी जहां निर्यात करार में यह प्रावधान है कि अग्रिम भुगतान की प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि से ऊपर माल का पोतलदान किया जा सकता है, निर्यातक को रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा।

17. कतिपय मामलों में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देश जारी करना

1) माल या सॉफ्टवेयर के निर्यात संबंधी विनियम 3 के प्रावधानों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसे घोषित किया जाना है, रिज़र्व बैंक यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन से कि माल का पूर्ण निर्यात मूल्य या, जैसा भी मामला हो, निर्यातक विद्यमान बाजार की दशा को देखते हुए आशा करता है कि विदेशी (ओवरसीज) बाजार में उसे माल या सॉफ्टवेयर की बिक्री पर मूल्य सही समय पर और बिना विलंब के प्राप्त हुआ है, सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा, समय-समय पर माल या सॉफ्टवेयर में किसी भी गंतव्य स्थान के लिए निर्यात के संबंध में या किसी भी श्रेणी के निर्यात लेनदेन या किसी श्रेणी के माल या सॉफ्टवेयर या निर्यातकों की श्रेणी के लिए, ये निर्देश दे सकता है कि निर्यातक निर्यात के पूर्व उन शर्तों को पूरा करेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट हैं, अर्थात्

क) माल या सॉफ्टवेयर का भुगतान अविकल्पी साख पत्र या आदेश में विनिर्दिष्ट अन्य व्यवस्था या प्रलेख द्वारा सुरक्षित है;

ख) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाने वाली कोई घोषणा, रिज़र्व बैंक के पास इसके पूर्वानुमोदन के लिए भेजी जाएगी, ऐसा अनुमोदन परिस्थितियों को ध्यान में

रखते हुए दिया जा सकता है या रोके रखा जा सकता है अथवा ऐसी शर्तों के अधीन दिया जा सकता है जो रिज़र्व बैंक की दृष्टि में उचित हो ।

ग) कि विनिर्दिष्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत की जानेवाली घोषणा की प्रति, यह प्रमाणित करने के लिए कि घोषणा में विनिर्दिष्ट वस्तुओं अथवा सॉफ्टवेयर का मूल्य उनके उचित मूल्य को दर्शाता है, ऐसे प्राधिकरण अथवा संगठन को प्रस्तुत किया जायेगा जैसा कि आदेश में बताया गया है ।

2) जब तक निर्यातक को मामले के संबंध में प्रतिवेदन करने का एक उचित अवसर नहीं दे दिया जाता है तब तक रिज़र्व बैंक उप विनियम (1) के अंतर्गत कोई निदेश नहीं देगा तथा उस उप विनियम के खंड (ख) के अंतर्गत किसी अनुमोदन को नहीं रोकेगा ।

18. परियोजना निर्यात

जहां वस्तुओं अथवा सेवाओं का निर्यात आस्थगित भुगतान की शर्तों पर अथवा किसी टर्न की परियोजना के कार्यान्वयन अथवा सिविल निर्माण ठेके पर किया जाना प्रस्तावित है, वहां निर्यातक ऐसी कोई निर्यात व्यवस्था करने से पहले अनुमोदनकर्ता प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, जो समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रस्ताव पर विचार करेगा ।

स्पष्टीकरण

इस विनियम के प्रयोजन के लिए 'अनुमोदनकर्ता प्राधिकरण' से कार्यकारी दल अथवा निर्यात-आयात बैंक अथवा प्राधिकृत व्यापारी अभिप्रेत है ।

अनुसूची
(विनियम 3 के संदर्भ में)

फार्म जीआर : डाक से भेजे जानेवाले निर्यातों से इतर निर्यात, जिसमें मूल रूप में सॉफ्टवेयर यथा मैगनेटिक टेप्स/डिस्क्स और पेपर मिडिया शामिल हैं, के मामलों में दो प्रतियों में भरा जाए ।

फार्म एसडीएफ : दो प्रतियों में भरा जाए और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित उन सीमाशुल्क कार्यालयों को घोषित किये गये निर्यातों के पोत परिवहन बिल में संलग्न किया जाए जिन्होंने केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पोत परिवहन बिलों के प्रोसेसिंग के लिए एलेक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज प्रणाली की शुरुआत की है ।

फार्म पीपी : डाक द्वारा निर्यात के लिए दो प्रतियों में भरा जाए ।

फार्म सॉफ्टेक्स : मूल रूप यथा मैगनेटिक टेपों/डिस्कों और पेपर मिडिया से इतर सॉफ्टवेयर के निर्यात की घोषणा के लिए तीन प्रतियों में भरें ।

विदेशी मुद्रा नियंत्रण घोषणा (जीआर) फार्म संख्या

मूल रूप में

	निर्यातक		बीजक सं. और तिथि	एसबी सं. और तिथि
			एआर4/एआर4ए सं. और तिथि	
			क्यू/सर्टिफिकेट सं. और तिथि	आयातक-निर्यातक कोड सं.
	परेषिती			
			निर्यात व्यापार नियंत्रण	यदि ...... के अंतर्गत निर्यात है
				आस्थगित ऋण [ ]
				संयुक्त उद्यम [ ]
				रुपया ऋण [ ]
				अन्य [ ]
				भारिबैं का आवेदन/परिपत्र सं. और तिथि
	कस्टम हाउस एजेंट एल/सी सं.			
	.... द्वारा पूर्व ढुलाई	प्राप्ति स्थल		पोतलदान का प्रकार
		प्री-कैरिअर		सीधी बिक्री [ ]
				परेषण निर्यात [ ]
	जलयान/वायुयान सं.	रोटेशन सं.		अन्य [ ]
				(उल्लेख करें)
		ढुलाई बंदरगाह	संविदा का प्रकार : सीआइएफ[ ]/सीएण्डएफ[ ]/एफओबी[ ]	
			अन्य (उल्लेख करें) [ ]	
	उतराई बंदरगाह	गंतव्य देश	सीए करेंसी इनवाइस की धारा ।। के अंतर्गत विदेशी मुद्रा दर	

क्र. सं.	मार्क और सं. सं. और पैकिंग का प्रकार	सांख्यिकीय कोड और वस्तुओं का ब्यौरा	मात्रा	एफओबी मूल्य
	कंटेनर संख्याएं			
	निवल भार			

	सकल भार				
	कुल एफओबी मूल्य शब्दों में				

निर्यात मूल्य का विश्लेषण	करेंसी राशि			कुल निर्यात मूल्य अथवा जहां यह ज्ञात न हो वहां वह मूल्य		
				लिखें जो निर्यातक को माल की बिक्री से प्राप्त होने की उम्मीद		
एफओबी				है ।		
भाड़ा						
बीमा				करेंसी		
कमीशन		दर				
छूट				राशि		
अन्य कटौतियां						

विदेशी मुद्रा नियंत्रण घोषणा (जीआर) फार्म सं.

	क्या निर्यात साख-पत्र व्यवस्था के अंतर्गत है? हां [ ] नहीं [ ]	सीमा शुल्क के लिए	
	यदि हां, भारत में सूचना देने वाले बैंक का नाम	सीमा शुल्क निर्धारणीय मूल्य रुपये	
		(रुपये	
		.....	
	बैंक जिसके माध्यम से भुगतान प्राप्त होना है		
		निर्यात मूल्य सत्यापित	
			सीमा शुल्क मूल्यांकनकर्ता
		जहाज में पूरा/आंशिक माल पोतलदान	
		यात्रा	
		मूल्य	
	क्या भुगतान एसीयू माध्यम से प्राप्त होना है । हां/नहीं	पोतलदान की तारीख	सीमा शुल्क मूल्यांकनकर्ता

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत घोषणा: मैं/हम इसके द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम उन मालों के बिक्रेता/माल परेषक हूं/हैं जिनके संबंध में यह घोषणा की जाती है और यह कि उपर्युक्त दिये गये सभी विवरण सत्य और सही हैं और यह कि (क) क्रेता के साथ हुए संविदा के अनुसार मूल्य वही है, जो पृष्ठ पर घोषित पूर्ण निर्यात मूल्य है। (ख)निर्यात के समय मालों का पूर्ण निर्यात मूल्य नहीं आंका जा सकता है और यह कि घोषित मूल्य वह मूल्य है जो मैं/हम, प्रचलित बाजार हालात में, विदेश स्थित बाजार में मालों के बिक्रय से प्राप्त करने की आशा करता हूं/करते हैं।

मैं/हम यह वचन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम यहां उल्लिखित बैंक में मालों के पूर्ण निर्यात मूल्य को विदेशी मुद्रा @ ..... तक उक्त अधिनियम की विनियमावली में निर्दिष्ट तरीके से सुपुर्द कर दूंगा/कर देंगे।

*मैं/हम यह घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम भारत में निवास करते हैं और मेरा/हमारा भारत में व्यवसाय का स्थान है।

*मैं/हम भारतीय रिज़र्व बैंक की सावधानी सूची में हूं/हैं अथवा नहीं है /नहीं हैं।

दिनांक ..... (निर्यातक के हस्ताक्षर)

@ सुपुर्दगी की सही तारीख बतायें जो पोतलदान की तारीख से छः महीने के अंदर की तारीख होनी चाहिए, सिर्फ भारत से बाहर स्थित गोदामों को रिज़र्व बैंक की अनुमति से किये गये निर्यातों के लिए सुपुर्दगी की तारीख 15 महीने के अंदर होनी चाहिए।

* जो लागू नहीं हो, उसे काट दें।

भारतीय रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए स्थान

विदेशी मुद्रा नियंत्रण घोषणा (जीआर) फार्म संख्या

नकल

	निर्यातक		बीजक सं. और तिथि	एसबी सं. और तिथि
			एआरई/एआरईए सं. और तिथि	
			क्यू/सर्टिफिकेट सं. और तिथि	आयातक-निर्यातक कोड सं.
	परेषिती			
			निर्यात व्यापार नियंत्रण	यदि ...... के अंतर्गत निर्यात है
				आस्थगित ऋण [ ]
				संयुक्त उद्यम [ ]
				रुपया ऋण [ ]
				अन्य [ ]
				भारिबैं का आवेदन/परिपत्र सं. और तिथि
	कस्टम हाउस एजेंट एल/सी.सं.			
	.... द्वारा पूर्व ढुलाई	प्राप्ति स्थल		पोतलदान का प्रकार
		प्री-कैरिअर		सीधी बिक्री [ ]
				परेषण निर्यात [ ]
	जलयान/वायुयान सं.	रोटेशन सं.		अन्य [ ]
				(उल्लेख करें)
		ढुलाई बंदरगाह	संविदा का प्रकार: सीआइएफ[ ]/सीएण्डएफ[ ]/ एफओबी[ ]	
			अन्य (उल्लेख करें) [ ]	
	उतराई बंदरगाह	गंतव्य देश	सीए करेंसी इनवॉइस की धारा 14 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा दर	

क्र. सं.	मार्क और सं. सं. और पैकिंग का प्रकार	सांख्यिकीय कोड और वस्तुओं का ब्योरा	मात्रा	एफओबी मूल्य
	कंटेनर संख्याएं			
	निवल भार			

	सकल भार				
	कुल एफओबी मूल्य शब्दों में				

निर्यात मूल्य का विश्लेषण	करेंसी राशि			कुल निर्यात मूल्य अथवा जहां यह ज्ञात न हो वहां वह मूल्य		
				लिखें जो निर्यातक को माल की बिक्री से प्राप्त होने की उम्मीद		
एफओबी				है ।		
भाड़ा						
बीमा				करेंसी		
कमीशन		दर				
छूट				राशि		
अन्य कटौतियां						

विदेशी मुद्रा नियंत्रण घोषणा (जीआर) फार्म सं.

	क्या निर्यात साख-पत्र व्यवस्था के अंतर्गत है? हां [ ] नहीं [ ]	सीमा शुल्क के लिए
	यदि हां, भारत में सूचना देने वाले बैंक का नाम	सीमा शुल्क निर्धारणीय मूल्य रुपये
		(रुपये .....
		.....
	बैंक जिसके माध्यम से भुगतान प्राप्त होना है	
		निर्यात मूल्य सत्यापित
		सीमा शुल्क मूल्यांकनकर्ता
		जहाज में पूरा/आंशिक माल पोतलदान
		मात्रा
		मूल्य
	क्या भुगतान एसीयू माध्यम से प्राप्त होना है । हां/नहीं	पोतलदान की तारीख / सीमा शुल्क मूल्यांकनकर्ता

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत घोषणा: मैं/हम इसके द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम उन मालों के *बिक्रेता/माल परेषक हूं/हैं जिनके संबंध में यह घोषणा की जाती है और यह कि उपर्युक्त दिये गये सभी विवरण सत्य और सही हैं और यह कि (क) क्रेता के साथ हुए संविदा के अनुसार मूल्य वही है, जो पृष्ठ पर घोषित पूर्ण निर्यात मूल्य है। (ख)निर्यात के समय मालों का पूर्ण निर्यात मूल्य नहीं आंका जा सकता है और यह कि घोषित मूल्य वह मूल्य है जो मैं/हम, प्रचलित बाजार हालात में, विदेश स्थित बाजार में मालों के बिक्रय से प्राप्त करने की आशा करता हूं/करते हैं।

मैं/हम यह वचन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम यहां उल्लिखित बैंक में मालों के पूर्ण निर्यात मूल्य को विदेशी मुद्रा @..... तक उक्त अधिनियम की विनियमावली में निर्दिष्ट तरीके से सुपुर्द कर दूंगा/कर देंगे।

*मैं/हम यह घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम भारत में निवास करते हैं और मेरा/हमारा भारत में व्यवसाय का स्थान है।

*मैं/हम भारतीय रिजर्व बैंक की सावधानी सूची में हूं/हैं अथवा नहीं है /नहीं हैं।

दिनांक ..... (निर्यातक के हस्ताक्षर)

@ सुपुर्दगी की सही तारीख बतायें जो पोतलदान की तारीख से छः महीने के अंदर की तारीख होनी चाहिए, सिर्फ भारत से बाहर स्थित गोदामों को रिजर्व बैंक की अनुमति से किये गये निर्यातों के लिए सुपुर्दगी की तारीख 15 महीने के अंदर होनी चाहिए।

* जो लागू नहीं हो, उसे काट दें।

प्राधिकृत व्यापारी के उपयोग के लिए

समरूप कूट संख्या .....

कृपया [ ] बाक्स में (i) बेचान (ii) वसूली की रसीद, बिल सं. ..... की लागू तारीख

बिल का प्रकार* (i) डीए [ ]/(ii) डीपी [ ]/(iii) अन्य [ ] ..... (स्पष्ट उल्लेख करें)

पोतलदान का प्रकार* (i) फर्म बिक्री संविदा [ ] / (ii) परेषण आधार [ ] / (iii) अन्य [ ] ..... (स्पष्ट उल्लेख करें)

जीआर फार्म रिजर्व बैंक को दिनांक ..... को समाप्त पखवाड़े की आर विवरणी के ब्योरे के साथ दिनांक ..... को भेज दिया गया।

हम प्रमाणित और पुष्टि करते हैं कि हमें निम्नानुसार कुल राशि ..... प्राप्त हुई है जो इस फार्म में घोषित निर्यातों की आगम राशि है। (करेंसी) (राशि)

प्राप्ति की तारीख	करेंसी	.....देश में नोस्ट्रो खाते में जमा		.....देश में एक बैंक के अनिवासी रुपया खाता के नामे		आगे विवरणों की अवधि जिसके साथ वसूली की सूचना भारिबैं को दी गई है।
		हमारे नाम	* निम्नलिखित के नाम में	हमारे पास रखा गया	निम्नलिखित के साथ रखा गया*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

* (संबंधित भारतीय प्राधिकृत व्यापारी शाखा का नाम लिखें) प्राप्ति का कोई अन्य प्रकार .....(स्पष्ट उल्लेख करें)

.....

(प्राधिकृत व्यापारी की मुहर और हस्ताक्षर)

तारीख .....

पता .....

.....

भारतीय रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए स्थान

एस.डी.एफ.

(दो प्रतियों में)

पोत-परिवहन बिल सं. दिनांक :

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत घोषणा :

मैं/हम इसके द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम उन माल के विक्रेता/माल परेषक हूं/हैं जिनके संबंध में यह घोषणा की जाती है कि दिनांक _____ के पोत-परिवहन बिल सं._____ में दिये गये विवरण सत्य और सही हैं और यह कि (क)* क्रेता के साथ हुए संविदा के अनुसार मूल्य वही मूल्य है जो उपर्युक्त पोत-परिवहन बिल में घोषित पूर्ण निर्यात मूल्य है (ख)* निर्यात के समय माल का पूर्ण निर्यात मूल्य नहीं आंका जा सकता है और यह कि घोषित मूल्य वह मूल्य है जो मैं/हम, प्रचलित बाजार हालात में, विदेश स्थित बाजार में माल के विक्रय से प्राप्त करने की आशा करता हूं/करते हैं।

मैं/हम यह वचन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम यहां उल्लिखित बैंक _____ में माल के पूर्ण निर्यात मूल्य की विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत निर्मित विनियमावली में निर्दिष्ट तरीके से _____@ को/तक सुपुर्द कर दूंगा/देंगे। मैं/हम यह भी घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम भारत में रहता हूं/रहते हैं और भारत में मेरा/हमारा व्यवसाय का एक स्थान है।

मैं/हम भारतीय रिज़र्व बैंक की सावधान सूची में हूं/हैं अथवा नहीं हूं/नहीं हैं।

_____

तारीख : (निर्यातक के हस्ताक्षर)

@ सुपुर्दगी की सही तारीख बतायें जो पोतलदान की तारीख से छह महीने के अन्दर की तारीख होनी चाहिए, सिर्फ भारत से बाहर स्थित गोदामों को रिज़र्व बैंक की अनुमति से किये गये निर्यातों के लिए सुपुर्दगी की तारीख 15 महीने के अन्दर होनी चाहिए।

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्राधिकृत व्यापारी के उपयोग के लिए

एक समान क्रम सं. _____

* लागू बॉक्स में ( ) निशान लगाएं

i) सौदे की तारीख _____

ii) वसूली के लिए प्राप्ति की तारीख

iii) बिल सं._____ की तारीख _____

* बिल के प्रकार (i) डीए ☐ (ii) डीपी ☐ (iii) अन्य ☐ (निर्दिष्ट करें)

* पोत-लदान के प्रकार (i) पत्रका विक्रय संविदा ☐ (ii) माल परेषण आधार ☐ (iii) अन्य ☐ (निर्दिष्ट करें)

_____ को समाप्त पखवाड़े के लिए _____ को प्रेषित 'आर विवरणी' के साथ रिज़र्व बैंक को प्रेषित विवरण में एसडीएफ फार्म शामिल था।

हम यह प्रमाणित व पुष्टि करते हैं कि इस फार्म में घोषित निर्यात की प्राप्तियों के रूप में हमने निम्नानुसार _____ की कुल राशि प्राप्त की है।

(मुद्रा) (राशि)

प्राप्ति की तारीख	मुद्रा	(देश) में नोस्ट्रो खाते में जमा		(देश) में बैंक के अनिवासी रुपया खाते में नामे		'आर विवरणी' की वह अवधि जिसमें रिज़र्व बैंक को वसूली सूचित की गयी है।
		हमारे नाम में	** के नाम में	हमारे पास रखा	** के पास रखा	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

(** भारतीय प्राधिकृत व्यापारी की संबंधित शाखा का नाम लिखें)

प्राप्ति की कोई अन्य पद्धति (स्पष्ट करें) _____

_____

(प्राधिकृत व्यापारी के हस्ताक्षर और मुहर)

तारीख : _____

पता : _____

_____

रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए स्थान

फार्म : पीपी

विदेशी मुद्रा नियंत्रण
(निर्यातक की घोषणा)

मूल

फार्म सं. :

(कृपया अगले पृष्ठ पर "निर्यातकों को नोट" देखें)

1.(क)	डाकघर का नाम	
(ख)	पार्सल रसीदों की संख्या और तारीख	
2.	निर्यातक का नाम	(भारि.बैंक के प्रयोग के लिए)
3.	आयातक/निर्यातक की कूट संख्या	
4.	क्रेता/परेषिती का नाम और पता	
5.	गतव्य देश	
6.	संविदा का स्वरूप * (i) सीआइएफ/ (ii)सीएण्डएफ/ (iii),एफओबी/(iv) अन्य (उल्लेख करें)	
7.	प्रेषण की तारीख	
8.	पोतलदान का प्रकार * (i) सीधी बिक्री/ (ii) परेषण निर्यात/(iii)अन्य (उल्लेख करें)	
9.	माल का ब्योरा	
10.	माल की मात्रा यूनिट ◇ ..... मात्रा . . .	
11.	बीजक की करेंसी	
	◇ टन/किलोग्राम/लीटर/क्यूबिक मीटर/वर्गमीटर/मीटर/संख्या/अन्य (उल्लेख करें)	

@	जहां निर्यात का सकल मूल्य सुनिश्चित न किया जा सके वहां विदेशी बाजार में माल के विक्रय से प्राप्त होने वाला मूल्य बताया जाए।		12.			
			ब्यौरे	करेंसी	राशि	
			@ सकल निर्यात मूल्य			
Ω	इस फॉर्म में घोषित किए बिना प्रेषण/एजेंसी कमीशन की वजह से घोषित मूल्य से कटौती और/छूट के लिए रिजर्व बैंक अथवा प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।		एफओबी मूल्य			
			किराया			
			बीमा			
			Ω छूट (दर)			
			Ω एजेंसी का कमीशन (दर.)			

	(सीमा शुल्क कार्यालय के प्रयोगार्थ)	13	निर्धारित सीमा शुल्क मूल्य		
	निर्यात मूल्य सत्यापित		(रुपये) .		
	(सीमा शुल्क के मूल्यांकक)				

@ जहां पूर्ण निर्यात मूल्य सुनिश्चित नहीं किया जाता है, वहां विदेशी बाजार में मालकी बिक्री पर प्रत्याशित मूल्य को दर्शाया जाए।

Ω विप्रेषण/एजेंसी के कमीशन के कारण घोषित मूल्य से कटौती और/अथवा बट्टे के लिए किसी अनुमति आवेदन पर रिजर्व बैंक अथवा प्राधिकृत व्यापारी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, यदि इस फार्म में इनकी घोषणा नहीं की गई है।

14.	यदि निर्यात भारतीय रिजर्व बैंक की सामान्य अनुमति से किया गया है तो उसके अनुमोदन की संख्या व तारीख				
15.	यदि निर्यात साखपत्र व्यवस्था के अंतर्गत किया गया है तो भारत में सूचना देनेवाला बैंक				
16.	यदि भुगतान एशियन समाशोधन यूनियन के माध्यम से प्राप्त होना है तो लिखें " हां/नहीं				
17.	बैंक का नाम व पता जिसके माध्यम से भुगतान प्राप्त किया जाना है।				

मैं/हम घोषणा करता/करते है कि जिस माल के बारे में घोषणा की गई है मैं/हम उसके **विक्रेता/परेषक हूं/है** और उपर्युक्त ब्योरे सत्य है और यह कि * (क) क्रेता के साथ हुई संविदा के अनुसार निर्यात का मूल्य उपर्युक्त घोषित सकल निर्यात मूल्य के समान है/* (ख) निर्यात के समय माल का सकल निर्यात मूल्य सुनिश्चित नहीं किया जा सका और यह कि घोषित मूल्य वह मूल्य है जो मैंने/हमने मौजूदा बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विदेशी बाजार में माल के विक्रय से प्राप्त होने की अपेक्षा की है।

मैं/हम वचन देता/देते हूं/है कि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 के अधीन बने विनियमों में निर्दिष्ट तरीके से विदेशी मुद्रा जो माल का सकल निर्यात मूल्य है, उपर्युक्त नामांकित बैंक को दिनांक + _____ को या उससे पहले सुपुर्द कर दूगा/देंगे। मैं/हम यह भी घोषणा करता/करते हूं/है कि मैं/हम भारत के निवासी हूं/है और मेरा/हमारा भारत में कारोबार स्थल है।

मैं/हम भारतीय रिजर्व बैंक की सावधानी सूची में हूं/है/नहीं हूं/नहीं है।

+ **सुपुर्दगी की वह संभावित तारीख बताएं जो पोतलदान की तारीख से छह महीने के भीतर हो।**

* **जो लागू न हो उसे काट दें।**

	(प्राधिकृत व्यापारियों के प्रयोग के लिए)			
			(निर्यातक के हस्ताक्षर)	
			तारीख	
	प्राधिकृत व्यापारी की मुहर व हस्ताक्षर		पता	
	तारीख			
	बैंक की समरूप कूट सं			

निर्यातकों के लिए नोट :

1.	**इस फार्म को पार्सल पर न चिपकाया जाए।**
2.	पीपी फार्म की क्रियाविधि नेपाल और भूटान को छोड़कर भारत के बाहर सभी क्षेत्रों को किए जाने वाले पोस्टल निर्यात पर लागू होंगे। पीपी फार्म सभी मामलों में दो प्रतियों में तैयार किया जाए।
3	इसकी मूल प्रति निर्यातक द्वारा उस पर विदेशी मुद्रा हेतु प्राधिकृत व्यापारी से प्रतिहस्ताक्षर होने के बाद डाकघर को प्रस्तुत की जाए। डाकघर जिसके माध्यम से माल भेजा गया है वह उसे अपने नजदीकी भारतीय रिजर्व बैंक कार्यालय को भेजेगा।
4.	भारत से निर्यात किए गए माल से संबंधित सभी दस्तावेज भारत में माल के **पोतलदान की तारीख से 21 दिन के भीतर** विदेशी मुद्रा हेतु प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से पारित किए जाएं
5.	माल के सकल निर्यात मूल्य की रकम की वसूली भुगतान के लिए पोतलदान की तारीख से छह महीने की भीतर हो जानी चाहिए।
टिप्पणी	भारत सरकार/भारतीय वित्तीय संस्थाएं निर्दिष्ट तरीकों से, देशों से कतिपय भुगतानों के निपटान हेतु अथवा सरकार से सरकार को ऋण के माध्यम से वित्तपोषित निर्यात हेतु समय-समय पर अन्य देशों के साथ विशेष व्यापार समझौते का निर्णय ले सकते है। भारतीय रिजर्व बैंक ऐसी व्यवस्था की सूचना प्राधिकृत व्यापारियों को परिपत्र जारी करके देगा। ऐसे मामलों में व्यक्तिगत व्यवस्थाओं में निर्दिष्ट भुगतान-प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक के उपयोग के स्थान	

फार्म : पीपी

विदेशी मुद्रा नियंत्रण
(निर्यातक की घोषणा)
दूसरी प्रति

फार्म सं. :

1.(क)	डाकघर का नाम	
(ख)	पार्सल रसीदों की संख्या और तारीख	
2	निर्यातक का नाम	(भारिबैंक के उपयोग के लिए)
3.	आयातक/निर्यातक की कूट संख्या	
4	क्रेता/प्रेषिती का नाम और पता	
5	गंतव्य देश	
6.	संविदा का स्वरूप * (i) सीआइएफ/ (ii)सीएण्डएफ/ (iii).एफओबी/ (iv) अन्य (निर्दिष्ट करें)	
7	प्रेषण की तारीख	
8.	पोतलदान का प्रकार * (i) सीधे बिक्री/ (ii) परेषण निर्यात/(iii)अन्य निर्दिष्ट करें	
9.	माल का ब्योरा	
10.	माल की मात्रा यूनिट ◇ .... मात्रा	
11	बीजक की करेंसी	
	◇ टन/किलोग्राम/लीटर/क्यूबिक मीटर/वर्गमीटर/मीटर/संख्या/अन्य (निर्दिष्ट करें)	

@	जहां निर्यात का सकल मूल्य सुनिश्चित न किया जा सके वहां विदेशी बाजार में माल के विक्रय से प्राप्त होने वाला मूल्य बताया जाए।		12. निर्यात मूल्य का विश्लेषण			
			ब्यारे	करेंसी	राशि	
		@ सकल निर्यात मूल्य				
₼	इस फॉर्म में घोषित किए बिना प्रेषण/एजेंसी कमीशन की वजह से घोषित मूल्य से कटौती और/छूट के लिए रिजर्व बैंक अथवा प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।	एफओबी मूल्य				
		किराया				
		बीमा				
		₼ छूट (दर)				
		₼ एजेंसी कमीशन (दर)				

	(सीमा शुल्क के प्रयोगार्थ)	13	निर्धारित सीमाशुल्क मूल्य		
	निर्यात मूल्य सत्यापित		(रुपये)		
	(सीमा शुल्क नियत कार्य)				

14.	यदि निर्यात भारतीय रिज़र्व बैंक की सामान्य अनुमति से किया गया है तो उसके अनुमोदन की संख्या व तारीख			
15.	यदि निर्यात साखपत्र व्यवस्था के अंतर्गत किया गया है तो भारत में सूचना देनेवाला बैंक			
16.	यदि भुगतान एशियन समाशोधन यूनियन के माध्यम से प्राप्त होना है तो लिखें " हां/नहीं			
17.	बैंक का नाम व पता जिसके माध्यम से भुगतान प्राप्त किया जाना है।			

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि जिस माल के बारे में घोषणा की गई है मैं/हम उसके विक्रेता/परेषक हूं/हैं और उपर्युक्त ब्योरे सत्य है और यह कि " (क) क्रेता के साथ हुई संविदा के अनुसार निर्यात का मूल्य उपर्युक्त घोषित सकल निर्यात मूल्य के समान है/* (ख) निर्यात के समय माल का सकल निर्यात मूल्य सुनिश्चित नहीं किया जा सका और यह कि घोषित मूल्य वह मूल्य है जो मैंने/हमने मौजूदा बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विदेशी बाजार में माल के विक्रय से प्राप्त होने की अपेक्षा की है।

मैं/हम वचन देता/देते हूं/है कि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 के अधीन बने विनियमों में निर्दिष्ट तरीके से विदेशी मुद्रा जो माल का सकल निर्यात मूल्य है, उपर्युक्त नामांकित बैंक को दिनांक + _____ को या उससे पहले सुपुर्द कर दूंगा/देंगे। मैं/हम यह भी घोषणा करता/करते हूं/है कि मैं/हम भारत के निवासी हूं/हैं और मेरा/हमारा भारत में कारोबार स्थल है।

मैं/हम भारतीय रिज़र्व बैंक की सावधानी सूची में हूं/हैं/नहीं हूं/नहीं है।

\+ सुपुर्दगी की वह लगभग तारीख बताएं जो पोतलदान की तारीख से छह महीने के भीतर हो।

* जो लागू न हो उसे काट दें।

	(प्राधिकृत व्यापारियों के उपयोग के लिए)		
			(निर्यातक के हस्ताक्षर)
	प्राधिकृत व्यापारी की मुहर व हस्ताक्षर		तारीख
	तारीख		पता
	बैंक की समरूप कूट सं.		

टिप्पणी	भारत से निर्यात किये गये माल से संबंधित सभी दस्तावेज, माल के पोतलदान की तारीख से 21 दिन के भीतर भारत में विदेशी मुद्रा हेतु प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से पारित किए जाएं।

प्राधिकृत व्यापारियों के प्रयोग के लिए

समरूप कूट सं.----------

* (i) समझौता/ (ii) बिल सं. ----------की----------वसूली रसीद तारीख

* जो लागू न हो उसे काट दें		बिल का प्रकार * डीए/ (ii) डीपी/ (iii) अन्य ----------
		पोतलदान का प्रकार * (i) फर्म विक्रय संविदा/ (ii) परेषण आधार पर/ (iii)अन्य (निर्दिष्ट करें)
		पीपी फॉर्म, रिज़र्व बैंक को ---------- को समाप्त पखवाड़े की भेजी गई आर विवरणी के ब्योरे के साथ दिनाक ---------- ----- को भेज दिया गया।

हम प्रमाणित तथा पुष्टि करते हैं कि हमें इस फार्म में घोषित निर्यात आगम की कुल राशि ---------- प्राप्त हुई।

(करेंसी)(राशि)

प्राप्ति दिनांक	करेंसी	देश में नॉस्ट्रो खाते में जमा		देश में बैंक के अनिवासी रुपया खाते में नामे		आर विवरणी की अवधि जिसमें वसूली की सूचना निम्नलिखित को दी गयी
		हमारे नाम में	निम्न के नाम में ¥	हमारे पास धारित	निम्न के पास धारित ¥	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(¥ भारतीय प्राधिकृत व्यापारी शाखा का नाम लिखें)। प्राप्ति का कोई अन्य तरीका (स्पष्ट करें)

(प्राधिकृत व्यापारी की मुहर तथा हस्ताक्षर)

दिनांक

पता

प्राधिकृत व्यापारी के लिए टिप्पणी :

1	कृपया यह सुनिश्चित करें कि पीपी फार्म के सभी स्तंभ निर्यातक द्वारा पूरी तरह भरे गए हों और जहां आवश्यक हो, उसे डाक प्राधिकारी द्वारा विधिवत अभिप्रमाणित किया गया हो।
2	इस फॉर्म में घोषित पोतलदान के सकल निर्यात मूल्य की प्राप्ति पर प्राधिकृत व्यापारी, सीमा शुल्क प्राधिकारी से प्रमाणित जहाजी माल भेजने वाले (शिपर) के बीजक को इस फॉर्म की दूसरी प्रति सहित विधिवत प्रमाणित करके रिजर्व बैंक को प्रेषित करेगा। परेषण आधार पर किये गये पोतलदान के संबंध में, वास्तविक रूप से वसूले गये आगमों के समर्थन में परेषिती से प्राप्त मूल विक्रय लेखा की एक प्रति भी इस फार्म के साथ प्रेषित की जाए।
3.	यदि इस फार्म में घोषित सकल निर्यात मूल्य की राशि, बैंक प्रभार की कटौती के अलावा अन्य कारणों से निवल प्राप्त राशि से कम होती है तो ऐसे मामले में कृपया प्राधिकृत व्यापारी को रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी किये गये निदेशों के अनुसार प्रदत्त प्राधिकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन क्रमांक और कटौती की तारीख, का उल्लेख करें।
भारतीय रिजर्व बैंक के उपयोग के लिए स्थान	

विदेशी मुद्रा नियंत्रण

सॉफ्टवेयर निर्यात घोषणा (सॉफ्टेक्स) फॉर्म

(डाटा कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से सॉफ्टवेयर निर्यात की घोषणा
और सॉफ्टवेयर पैकेजेज/निर्यात उत्पादों पर रॉयल्टी की प्राप्ति के लिए)

फॉर्म नं: एबी **मूल रूप में**

---

1. निर्यातक का नाम और पता

2. एसटीपीआइ केन्द्र, जिसके
क्षेत्राधिकार में इकाई स्थित है

3. आयात-निर्यात कूट संख्या

4. निर्यातक का संवर्ग : एसटीपी/ईएचटीपी/ईपीजेड/100 प्रतिशत ईओयू/डाटा इकाई

5. खरीदार का नाम और पता, जिसमें
देश का नाम भी शामिल हो और
निर्यातक इकाई (यदि कोई हो)
तो उसके साथ संबंध

6. बीजक की तारीख और नंबर

7. क) क्या एसटीपीएल के साथ निर्यात संविदा/खरीद आदेश पहले पंजीकृत किया गया है (यदि 'नहीं' तो कृपया संविदा/खरीद आदेश की प्रति संलग्न करें) [ ] हां [ ] नहीं

   ख) क्या संविदा में रॉयल्टी के भुगतान की शर्त निहित है [ ] हां [ ] नहीं

खण्ड - 'क'

(डाटा कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से निर्यात)

8. प्राधिकृत डाटाकॉम सेवा प्रदान करने वाले का नाम — एसटीपीआइ/वीएसएनएल/डॉट/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

9. निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर का प्रकार (कृपया बाईं तरफ उचित बॉक्स में '✓' चिह्न लगाएं)

(क) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर — भारिबैं कूट संख्या

[ ]	डाटा एंट्री कार्य और परिवर्तन सॉफ्टवेयर डाटा प्रोसेसिंग	9 0 6
[ ]	सॉफ्टवेयर विकास	9 0 7
[ ]	सॉफ्टवेयर उत्पाद, पैकेज	9 0 8
[ ]	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	9 0 9

(ख) अन्य सॉफ्टवेयर

[ ]	वीडिओ/टी.वी. सॉफ्टवेयर	9 1 0
[ ]	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	9 1 1

10. निर्यात मूल्य का विश्लेषण — मुद्रा — राशि

(क) संपूर्ण निर्यात मूल्य जिसमें से :-

i) प्रेषण प्रभार के बिना निर्यातों का सही मूल्य

ii) बीजक में शामिल प्रेषण प्रभार

(ख) प्रेषण प्रभार (यदि विदेश स्थित ग्राहक द्वारा अलग से देय हो, तो)

(ग) घटाएं : एजेंसी कमीशन, ...%
की दर पर

(घ) भा.रि.बैं. द्वारा अनुमत अन्य
कोई कटौतियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(ङ) वसूल की जाने वाली राशि
(क +ख) - (ग +घ)

11. निर्यात मूल्य किस प्रकार वसूल किया जाएगा
(वसूली का प्रकार)(कृपया उचित बॉक्स पर '✓' चिह्न लगाएं)

☐(क) साखपत्र के अंतर्गत

(क) प्राधिकृत व्यापारी का
नाम और पता ____ _____

(ख) प्राधिकृत व्यापारी की
कूट संख्या _____

☐(ख) बैंक गारंटी

(क) प्राधिकृत व्यापारी का
नाम और पता _____

(ख) प्राधिकृत व्यापारी की
कूट संख्या _____

☐(ग) अन्य कोई व्यवस्था, उदाहरण- स्वरूप अग्रिम भुगतान आदि जिसमें विदेश में रखे गये (ओवरसीज) बैंक खाते में अंतरण/प्रेषण भी शामिल है (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(क) प्राधिकृत व्यापारी का
नाम और पता _____

(ख) प्राधिकृत व्यापारी की
कूट संख्या _____

खण्ड - 'ख'

(निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर पैकेजों/उत्पादों पर रॉयल्टी की प्राप्ति के लिए)

12. निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर पैकेज(जों)/उत्पाद(दों) के ब्यौरे

□(क) निर्यात की तारीख : _____

□(ख) जीआर/पीपी/सॉफ्टेक्स फॉर्म सं. जिस पर निर्यात घोषित किये गये थे : _____

□(ग) रॉयल्टी करार के ब्यौरे

□ रॉयल्टी का प्रतिशत और राशि _____

□ रॉयल्टी करार की अवधि (रॉयल्टी करार की प्रति संलग्न करें, यदि पहले पंजीकृत न किया गया हो) _____

13. रॉयल्टी मूल्य किस प्रकार वसूल किया जायेगा (रॉयल्टी करार में परिभाषित किये गये अनुसार) _____

14. रॉयल्टी राशि की गणना (विदेशी ग्राहक से पत्राचार की प्रति संलग्न करें) _____

15. भारत में पदनामित प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता जिसके माध्यम से भुगतान प्राप्त हुआ है/होनेवाला है _____ प्राधिकृत व्यापारी की कूट सं. _____

खण्ड - 'ग'

16. निर्यातकर्ता द्वारा घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा यह घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम सॉफ्टवेयर के विक्रेता हूं/हैं जिसके अंतर्गत घोषणा की गयी है और यह कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और खरीदार द्वारा प्राप्त होनेवाला मूल्य करार किये गये और ऊपर घोषित निर्यात मूल्य को दर्शाता है। मैं/हम यह

भी घोषित करता हूं/करते हैं कि यह सॉफ्टवेयर प्राधिकृत और विधिसम्मत डाटाकॉम लिंकों द्वारा विकसित और निर्यात किया गया है।

मैं/हम यह वचन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत बनाये गये विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से _____ तक अथवा उससे पूर्व (अर्थात् बीजक की तारीख/एक माह के दौरानवाले अंतिम बीजक की तारीख से 180 दिनों के भीतर) उपर्युक्तानुसार निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर का पूरा मूल्य दर्शानेवाली विदेशी मुद्रा ऊपर दिये गये बैंक को सुपुर्द कर दूंगा/देंगे।

_____

निर्यातक के हस्ताक्षर

स्थान : नाम : _____

तारीख : मुहर पदनाम : _____

==========

अनुलग्नक :

(1) निर्यात संविदा की प्रति [7 (क)]

(2) रॉयल्टी करार की प्रति [12 (ग)]

(3) विदेशी ग्राहक से पत्राचार की प्रति [14]

==========

इलैक्ट्रॉनिक विभाग की ओर से सक्षम प्राधिकारी
(अथवा एसटीपीआइ) के उपयोग के लिए स्थान

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित सॉफ्टवेयर वास्तविक रूप से प्रेषित किया गया है और निर्यातक द्वारा घोषित निर्यात/रॉयल्टी मूल्य सही पाया गया है और हमारे द्वारा स्वीकार किया गया है।

स्थान : _____

दिनांक : (इलैक्ट्रानिक्स विभाग की ओर से एसटीपीआइ के पदनामित अधिकारी के हस्ताक्षर)

मुहर नाम :

_____

पदनाम :

_____

विदेशी मुद्रा नियंत्रण

सॉफ्टवेयर निर्यात घोषणा (सॉफ्टेक्स) फॉर्म

(डाटा कम्यूनिकेशन लिंक के माध्यम से सॉफ्टवेयर निर्यात की घोषणा
और सॉफ्टवेयर पैकेजेज/निर्यात उत्पादों पर रॉयल्टी की प्राप्ति के लिए)

फॉर्म नं: एबी **दूसरी प्रति**

---

1. निर्यातक का नाम और पता

2. एसटीपीआइ केन्द्र, जिसके
क्षेत्राधिकार में इकाई स्थित है

3. आयात-निर्यात कूट संख्या

4. निर्यातक का संवर्ग : एसटीपी/ईएचटीपी/ईपीजेड/100 प्रतिशत ईओयू/डाटा इकाई

5. खरीदार का नाम और पता, जिसमें
देश का नाम भी शामिल हो और
निर्यातक इकाई (यदि कोई हो)
तो उसके साथ संबंध

6. बीजक की तारीख और नंबर

7. क) क्या एसटीपीएल के साथ निर्यात संविदा/खरीद आदेश पहले पंजीकृत किया गया है (यदि 'नहीं' तो कृपया संविदा/खरीद आदेश की प्रति संलग्न करें) [ ] हां [ ] नहीं

   ख) क्या संविदा में रॉयल्टी के भुगतान की शर्त निहित है [ ] हां [ ] नहीं

खण्ड - 'क'

(डाटा कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से निर्यात)

8. प्राधिकृत डाटाकॉम सेवा प्रदान करने वाले का नाम — एसटीपीआइ/वीएसएनएल/डॉट/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

9. निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर का प्रकार (कृपया बाईं तरफ उचित बॉक्स में ' ✓ ' निशान लगाएं)

(क) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर — भारिबैं कूट संख्या

- ☐ डाटा एंट्री कार्य और परिवर्तन सॉफ्टवेयर डाटा प्रोसेसिंग — 9 0 6
- ☐ सॉफ्टवेयर विकास — 9 0 7
- ☐ सॉफ्टवेयर उत्पाद, पैकेज — 9 0 8
- ☐ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) — 9 0 9

(ख) अन्य सॉफ्टवेयर

- ☐ वीडिओ/टी.वी. सॉफ्टवेयर — 9 1 0
- ☐ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) — 9 1 1

10. निर्यात मूल्य का विश्लेषण — मुद्रा — राशि

(क) संपूर्ण निर्यात मूल्य जिसमें से :-

iii) प्रेषण प्रभार के बिना निर्यातों का सही मूल्य

iv) बीजक में शामिल प्रेषण प्रभार

(ख) प्रेषण प्रभार (यदि विदेश स्थित ग्राहक द्वारा अलग से देय हो, तो)

(ग) घटाएं : एजेंसी कमीशन, ...%
की दर पर

(घ) भा.रि.बैं. द्वारा अनुमत अन्य
कोई कटौतियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(ङ) वसूल की जाने वाली राशि
(क +ख) - (ग +घ)

11. निर्यात मूल्य किस प्रकार वसूल किया जाएगा
(वसूली का प्रकार)(कृपया उचित बॉक्स पर ' ✓ ' चिह्न लगाएं)

☐(क) साखपत्र के अंतर्गत

(क) प्राधिकृत व्यापारी का
नाम और पता _____

(ख) प्राधिकृत व्यापारी की
कूट संख्या _____

☐(ख) बैंक गारंटी

(क) प्राधिकृत व्यापारी का
नाम और पता _____

(ख) प्राधिकृत व्यापारी की
कूट संख्या _____

☐(ग) अन्य कोई व्यवस्था, उदाहरण- स्वरूप अग्रिम भुगतान आदि जिसमें विदेश में रखे गये (ओवरसीज) बैंक खाते में अंतरण/प्रेषण भी शमिल है (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(क) प्राधिकृत व्यापारी का
नाम और पता _____

(ख) प्राधिकृत व्यापारी की
कूट संख्या _____

खण्ड - 'ख'

(निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर पैकेजों/उत्पादों पर रॉयल्टी की प्राप्ति के लिए)

12. निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर पैकेज(जों)/उत्पाद(दों) के ब्यौरे

□(क) निर्यात की तारीख : _____

□(ख) जीआर/पीपी/सॉफ्टेक्स फॉर्म सं. जिस पर निर्यात घोषित किये गये थे : _____

□(ग) रॉयल्टी करार के ब्यौरे

□ रॉयल्टी का प्रतिशत और राशि _____

□ रॉयल्टी करार की अवधि (रॉयल्टी करार की प्रति संलग्न करें, यदि पहले पंजीकृत न किया गया हो) _____

13. रॉयल्टी मूल्य किस प्रकार वसूल किया जायेगा (रॉयल्टी करार में परिभाषित किये गये अनुसार) _____

14. रॉयल्टी राशि की गणना (विदेशी ग्राहक से संप्रेषण की प्रति संलग्न करें) _____

15. भारत में पदनामित प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता जिसके माध्यम से भुगतान प्राप्त हुआ है/होनेवाला है _____

प्राधिकृत व्यापारी की कूट सं. _____

खण्ड - 'ग'

16. निर्यातकर्ता द्वारा घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा यह घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम सॉफ्टवेयर के विक्रेता हूं/हैं जिसके अंतर्गत घोषणा की गयी है और यह कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और खरीदार द्वारा प्राप्त होनेवाला मूल्य करार किये गये और ऊपर घोषित निर्यात मूल्य को दर्शाता है। मैं/हम यह

भी घोषित करता हूं/करते हैं कि यह सॉफ्टवेयर प्राधिकृत और विधिसम्मत डाटाकॉम लिंकों द्वारा विकसित और निर्यात किया गया है।

मैं/हम यह वचन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत बनाये गये विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से ____________________ तक अथवा उससे पूर्व (अर्थात् बीजक की तारीख/एक माह के दौरानवाले अंतिम बीजक की तारीख से 180 दिनों के भीतर) उपर्युक्तानुसार निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर का पूरा मूल्य दर्शानेवाली विदेशी मुद्रा ऊपर दिये गये बैंक को सुपुर्द कर दूंगा/देंगे।

____

निर्यातक के हस्ताक्षर

स्थान : नाम : ____________________

तारीख : मुहर पदनाम : ____________________

अनुलग्नक :

(4) निर्यात संविदा की प्रति [7 (क)]

(5) रॉयल्टी करार की प्रति [12 (ग)]

(6) विदेशी ग्राहक से पत्राचार की प्रति [14]

इलैक्ट्रॉनिक विभाग की ओर से सक्षम प्राधिकारी
(अथवा एसटीपीआइ) के उपयोग के लिए स्थान

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित सॉफ्टवेयर वास्तविक रूप से प्रेषित किया गया है और निर्यातक द्वारा घोषित निर्यात/रॉयल्टी मूल्य सही पाया गया है और हमारे द्वारा स्वीकार किया गया है।

स्थान :

दिनांक :

____

(इलैक्ट्रानिक्स विभाग की ओर से एसटीपीआइ के पदनामित अधिकारी के हस्ताक्षर)

मुहर नाम :

____

पदनाम :

____

केवल प्राधिकृत व्यापारी के उपयोग हेतु

वसूली के पश्चात 'आर' पूरक विवरणी के साथ डुप्लिकेट प्रति प्रेषित करनी है

प्राधिकृत व्यापारी का प्रमाणपत्र

प्राधिकृत व्यापारी की समरूप (यूनिफॉर्म) कूट सं. _____

_____ को समाप्त अवधि के लिये _____ संबंधी 'आर' विवरण
(नास्ट्रो/वोस्ट्रो) (मुद्रा का नाम)
के साथ रिज़र्व बैंक को भेजे गये ईएनसी विवरण में शामिल 'सॉफ्टेक्स फार्म'. _____

हम प्रमाणित व पुष्टि करते हैं कि इस फार्म पर घोषित निर्यातों की प्राप्तियों संबंधी निम्नलिखित _____ हमें प्राप्त हो गयी है।
(मुद्रा) (राशि)

प्राप्ति की तारीख	मुद्रा	_____ (देश) स्थित नास्ट्रों खाते में जमा		_____ (देश) स्थित बैंक के अनिवासी रुपया खाते में नामे		'आर -विवरणी', जिसके साथ वसूली की सूचना भा.रि.बैं. को दी गयी, की अवधि
		हमारे नाम पर	** के नाम पर	हमारे पास धारित	** के पास धारित	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

(** प्राधिकृत व्यापारी की संबंधित शाखा का नाम लिखें)

प्राप्ति की कोई अन्य पद्धति (स्पष्ट करें) _____

स्थान : _____
तारीख : _____

_____
(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम : _____
पदनाम : _____
प्राधिकृत व्यापारी _____
का नाम और पता _____

विदेशी मुद्रा नियंत्रण

सॉफ्टवेयर निर्यात घोषणा (सॉफ्टेक्स) फॉर्म

(डाटा कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से सॉफ्टवेयर निर्यात की घोषणा
और सॉफ्टवेयर पैकेजेज/निर्यात उत्पादों पर रॉयल्टी की प्राप्ति के लिए)

फॉर्म नं: एबी **तीसरी प्रति**

1. निर्यातक का नाम और पता

2. एसटीपीआइ केन्द्र, जिसके क्षेत्राधिकार में इकाई स्थित है

3. आयात-निर्यात कूट संख्या

4. निर्यातक का संवर्ग : एसटीपी/ईएनटीपी/ईपीजेड/100 प्रतिशत ईओयू/डाटा इकाई

5. खरीदार का नाम और पता, जिसमें देश का नाम भी शामिल हो और निर्यातक इकाई (यदि कोई हो) तो उसके साथ संबंध

6. बीजक की तारीख और नंबर

7. क) क्या एसटीपीएल के साथ निर्यात संविदा/खरीद आदेश पहले पंजीकृत किया गया है (यदि 'नहीं' तो कृपया संविदा/खरीद आदेश की प्रति संलग्न करें) [ ] हां [ ] नहीं

   ख) क्या संविदा में रॉयल्टी के भुगतान की शर्त निहित है [ ] हां [ ] नहीं

खण्ड - 'क'

(डाटा कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से निर्यात)

8. प्राधिकृत डाटाकॉम सेवा प्रदान करने वाले का नाम — एसटीपीआई/वीएसएनएल/डॉट/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

9. निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर का प्रकार (कृपया बाईं तरफ उचित बॉक्स में '✓' चिह्न लगाएं)

(क) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर — भारिबैं कूट संख्या

- ☐ डाटा एंट्री कार्य और परिवर्तन सॉफ्टवेयर डाटा प्रोसेसिंग — 9 0 6
- ☐ सॉफ्टवेयर विकास — 9 0 7
- ☐ सॉफ्टवेयर उत्पाद, पैकेज — 9 0 8
- ☐ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) — 9 0 9

(ख) अन्य सॉफ्टवेयर

- ☐ वीडिओ/टी.वी. सॉफ्टवेयर — 9 1 0
- ☐ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) — 9 1 1

10. निर्यात मूल्य का विश्लेषण — मुद्रा — राशि

(क) संपूर्ण निर्यात मूल्य जिसमें से :

v) प्रेषण प्रभार के बिना निर्यातों का सही मूल्य

vi) बीजक में शामिल प्रेषण प्रभार

(ख) प्रेषण प्रभार (यदि विदेश स्थित ग्राहक द्वारा अलग से देय हो, तो)

(ग) घटाएं : एजेंसी कमीशन, ...% की दर पर

(घ) भा.रि.बैं. द्वारा अनुमत अन्य कोई कटौतियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(ङ) वसूल की जाने वाली राशि (क +ख) - (ग +घ)

11. निर्यात मूल्य किस प्रकार वसूल किया जाएगा
(वसूली का प्रकार)(कृपया उचित बॉक्स पर '✓' चिह्न लगाएं)

☐(क) साखपत्र के अंतर्गत

(क) प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता _____

(ख) प्राधिकृत व्यापारी की कूट संख्या _____

☐(ख) बैंक गारंटी

(क) प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता _____

(ख) प्राधिकृत व्यापारी की कूट संख्या _____

☐(ग) अन्य कोई व्यवस्था, उदाहरण- स्वरूप अग्रिम भुगतान आदि जिसमें विदेश में रखे गये (ओवरसीज) बैंक खाते में अंतरण/प्रेषण भी शामिल है (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(क) प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता _____

(ख) प्राधिकृत व्यापारी की कूट संख्या _____

खण्ड - 'ख'

(निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर पैकेजों/उत्पादों पर रॉयल्टी की प्राप्ति के लिए)

12. निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर पैकेज(जों)/उत्पाद(दों) के ब्यौरे

□(क) निर्यात की तारीख : _____

□(ख) जीआर/पीपी/सॉफ्टेक्स फॉर्म सं. जिस पर निर्यात घोषित किये गये थे : _____

□(ग) रॉयल्टी करार के ब्यौरे

□ रॉयल्टी का प्रतिशत और राशि _____

□ रॉयल्टी करार की अवधि (रॉयल्टी करार की प्रति संलग्न करें, यदि पहले पंजीकृत न किया गया हो) _____

13. रॉयल्टी मूल्य किस प्रकार वसूल किया जायेगा (रॉयल्टी करार में परिभाषित किये गये अनुसार) _____

14. रॉयल्टी राशि की गणना (विदेशी ग्राहक से पत्राचार की प्रति संलग्न करें) _____

15. भारत में पदनामित प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता जिसके माध्यम से भुगतान प्राप्त हुआ है/होनेवाला है _____
प्राधिकृत व्यापारी की कूट सं. _____

खण्ड - 'ग'

16. निर्यातकर्ता द्वारा घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा यह घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम सॉफ्टवेयर के विक्रेता हूं/हैं जिसके अंतर्गत घोषणा की गयी है और यह कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और खरीदार द्वारा प्राप्त होनेवाला मूल्य करार किये गये और ऊपर घोषित निर्यात मूल्य को दर्शाता है। मैं/हम यह

भी घोषित करता हूं/करते हैं कि यह सॉफ्टवेयर प्राधिकृत और विधिसम्मत डाटाकॉम लिंकों द्वारा विकसित और निर्यात किया गया है।

मैं/हम यह वचन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत बनाये गये विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से _____ तक अथवा उससे पूर्व (अर्थात् बीजक की तारीख/एक माह के दौरानवाले अंतिम बीजक की तारीख से 180 दिनों के भीतर) उपर्युक्तानुसार निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर का पूरा मूल्य दर्शानेवाली विदेशी मुद्रा ऊपर दिये गये बैंक को सुपुर्द कर दूंगा/देंगे।

_____
निर्यातक के हस्ताक्षर

स्थान : नाम : _____

तारीख : मुहर पदनाम : _____

अनुलग्नक :

(7) निर्यात संविदा की प्रति [7 (क)]

(8) रॉयल्टी करार की प्रति [12 (ग)]

(9) विदेशी ग्राहक से पत्राचार की प्रति [14]

इलैक्ट्रॉनिक विभाग की ओर से सक्षम प्राधिकारी
(अथवा एसटीपीआइ) के उपयोग के लिए स्थान

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित सॉफ्टवेयर वास्तविक रूप से प्रेषित किया गया है और निर्यातक द्वारा घोषित निर्यात/रॉयल्टी मूल्य सही पाया गया है और हमारे द्वारा स्वीकार किया गया है।

स्थान :

दिनांक :

_____
(इलैक्ट्रानिक्स विभाग की ओर से एसटीपीआइ के पदनामित अधिकारी के हस्ताक्षर)

मुहर

नाम :

पदनाम :

[फा. सं. 1/9/ई सी/97]

पी. आर. गोपाल राव, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd May, 2000

No. FEMA 23/2000-RB

G.S.R. 409(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) and sub-section (3) of Section 7, sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following regulations relating to export of goods and services from India, namely :

1. Short title and commencement :-

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2000.

(ii) They shall come into force on 1st day of June, 2000.

2. Definitions :-

In these Regulations, unless the context requires otherwise, -

(i) 'Act' means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) ;

(ii) 'authorised dealer' means a person authorised as an authorised dealer under sub-section (1) of section 10 of the Act, and includes a person carrying on business as a factor and authorised as such under the said section 10 ;

(iii) 'Exim Bank' means the Export-Import Bank of India established under the Export-Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981);

(iv) 'export' includes the taking or sending out of goods by land, sea or air, on consignment or by way of sale, lease, hire-purchase, or under any other arrangement by whatever name called, and in the case of software, also includes transmission through any electronic media ;

(v) 'export value' in relation to export by way of lease or hire-purchase or under any other similar arrangement, includes the charges, by whatever

name called, payable in respect of such lease or hire-purchase or any other similar arrangement;

(vi) 'form' means form annexed to these Regulations;

(vii) 'schedule' means schedule appended to these Regulations;

(viii) 'software' means any computer programme, database, drawing, design, audio/video signals, any information by whatever name called in or on any medium other than in or on any physical medium ;

(ix) 'specified authority' means the person or the authority to whom the declaration as specified in Regulation 3 is to be furnished;

(x) 'Working Group' means the Group constituted by the Reserve Bank for the purpose of considering proposals of export of goods and services on deferred payment terms or in execution of a turnkey project or a civil construction contract;

(xi) the words and expressions used but not defined in these Regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Declaration as regards export of goods and services :-

(1) Every exporter of goods or software in physical form or through any other form, either directly or indirectly, to any place outside India, other than Nepal and Bhutan, shall furnish to the specified authority, a declaration in one of the forms set out in the Schedule and supported by such evidence as may be specified, containing true and correct material particulars including the amount representing –

(i) the full export value of the goods or software; or

(ii) if the full export value is not ascertainable at the time of export, the value which the exporter, having regard to the prevailing market conditions expects to receive on the sale of the goods or the software in overseas market, and affirms in the said declaration that the full export value of goods (whether ascertainable at the time of export or not) or the software has been or will within the specified period be, paid in the specified manner.

(2) Declarations shall be executed in sets of such number as specified.

(3) For the removal of doubt, it is clarified that, in respect of export of services to which none of the Forms specified in these Regulations apply, the exporter may export

such services without furnishing any declaration, but shall be liable to realise the amount of foreign exchange which becomes due or accrues on account of such export, and to repatriate the same to India in accordance with the provisions of the Act, and these Regulations, as also other rules and regulations made under the Act.

4. Exemptions :-

Notwithstanding anything contained in Regulation 3, export of goods or services may be made without furnishing the declaration in the following cases, namely:

a) trade samples of goods and publicity material supplied free of payment;

b) personal effects of travellers, whether accompanied or unaccompanied;

c) ship's stores, trans-shipment cargo and goods supplied under the orders of Central Government or of such officers as may be appointed by the Central Government in this behalf or of the military, naval or air force authorities in India for military, naval or air force requirements;

d) goods or software accompanied by a declaration by the exporter that they are not more than twenty five thousand rupees in value;

e) by way of gift of goods accompanied by a declaration by the exporter that they are not more than one lakh rupees in value;

f) aircrafts or aircraft engines and spare parts for overhauling and/or repairs abroad subject to their reimport into India after overhauling /repairs, within a period of six months from the date of their export;

g) goods imported free of cost on re-export basis;

h) goods not exceeding U.S.$ 1000 or its equivalent in value per transaction exported to Myanmar under the Barter Trade Agreement between the Central Government and the Government of Myanmar;

i) the following goods which are permitted by the Development Commissioner of the Export Processing Zones or Free Trade Zones to be re-exported, namely:

1) imported goods found defective, for the purpose of their replacement by the foreign suppliers/collaborators;

2) goods imported from foreign suppliers/collaborators on loan basis;

3) goods imported from foreign suppliers/collaborators free of cost, found surplus after production operations.

j) replacement goods exported free of charge in accordance with the provisions of Exim Policy in force, for the time being.

5. Indication of importer-exporter code number :-

The importer-exporter code number allotted by the Director General of Foreign Trade under Section 7 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) shall be indicated on all copies of the declaration forms submitted by the exporter to the specified authority and in all correspondence of the exporter with the authorised dealer or the Reserve Bank, as the case may be.

6. Authority to whom declaration is to be furnished and the manner of dealing with the declaration :-

A. Declaration in Form GR/SDF

(1) (i) The declaration in form GR/SDF shall be submitted in duplicate to the Commissioner of Customs.

(ii) After duly verifying and authenticating the declaration form, the Commissioner of Customs shall forward the original declaration form/data to the nearest office of the Reserve Bank and hand over the duplicate form to the exporter for being submitted to the authorised dealer.

B. Declaration in Form PP

(2) (i) The declaration in form PP shall be submitted in duplicate to the authorised dealer named in the form.

(ii) The authorised dealer shall, after countersigning the declaration form, hand over the original form to the exporter who shall submit it to the postal authorities through which the goods are being despatched. The postal authorities after despatch of the goods shall forward the declaration form to the nearest office of the Reserve Bank.

C. Declaration in Form SOFTEX

(3) (i) The declaration in form SOFTEX in respect of export of computer software and audio/video/television software shall be submitted in triplicate to the designated official of Department of Electronics of Government of India at the Software Technology Parks of India (STPIs) or at the Free Trade Zones (FTZs) or Export Processing Zones (EPZs) in India.

(ii) After certifying all three copies of the SOFTEX form, the said designated official shall forward the original directly to the nearest office of the Reserve Bank and return the duplicate to the exporter. The triplicate shall be retained by the designated official for record.

D. Submission of duplicate declaration forms to the Reserve Bank

On realisation of the export proceeds, the authorised dealer shall, after due certification, submit the duplicate of the GR/SDF, PP or as the case may be, SOFTEX form to the nearest office of the Reserve Bank.

7. Evidence in support of declaration :-

The Commissioner of Customs or the postal authority or the official of Department of Electronics, to whom the declaration form is submitted, may, in order to satisfy themselves of due compliance with Section 7 of the Act and these regulations, require such evidence in support of the declaration as may establish that –

a) the exporter is a person resident in India and has a place of business in India;

b) the destination stated on the declaration is the final place of the destination of the goods exported;

c) the value stated in the declaration represents –

1) the full export value of the goods or software; or

2) where the full export value of the goods or software is not ascertainable at the time of export, the value which the exporter, having regard to the prevailing market conditions expects to receive on the sale of the goods in the overseas market.

Explanation :

For the purpose of this regulation, 'final place of destination' means a place in a country in which the goods are ultimately imported and cleared through Customs of that country.

8. Manner of payment of export value of goods :-

Unless otherwise authorised by the Reserve Bank, the amount representing the full export value of the goods exported shall be paid through an authorised dealer in the

manner specified in the Foreign Exchange Management (Manner and Receipt and Payment) Regulations, 2000.

Explanation :

For the purpose of this regulation, re-import into India, within the period specified for realisation of the export value, of the exported goods in respect of which a declaration was made under Regulation 3, shall be deemed to be realisation of full export value of such goods.

9. Period within which export value of goods/software to be realised :-

The amount representing the full export value of goods or software exported shall be realised and repatriated to India within six months from the date of export :

Provided that where the goods are exported to a warehouse established outside India with the permission of the Reserve Bank, the amount representing the full export value of goods exported shall be paid to the authorised dealer as soon as it is realised and in any case within fifteen months from the date of shipment of goods;

Provided further that the Reserve Bank, or subject to the directions issued by that Bank in this behalf, the authorised dealer may, for a sufficient and reasonable cause shown, extend the said period of six months or fifteen months, as the case may be.

Explanation :

For the purpose of this regulation, the "date of export" in relation to the export of software in other than physical form, shall be deemed to be the date of invoice covering such export.

10. Export on Elongated Credit Terms :-

No person shall enter into any contract to export goods on the terms which provide for a period longer than six months for payment of the value of the goods to be exported :

Provided that the Reserve Bank may, for reasonable and sufficient cause shown, grant approval to enter into a contract on such terms.

11. Submission of export documents :-

The documents pertaining to export shall, within 21 days from the date of export as, as the case may be, from the date of certification of SOFTEX form, be submitted to the authorised dealer mentioned in the relevant declaration form:

Provided that, subject to the directions issued by the Reserve Bank from time to time, the authorised dealer may accept the documents pertaining to export submitted after the expiry of the specified period of 21 days, for reasons beyond the control of the exporter.

12. Transfer of documents :-

Without prejudice to Regulation 3, an authorised dealer may accept, for negotiation or collection, shipping documents including invoice and bill of exchange covering exports, from his constituent (not being a person who has signed the declaration in terms of Regulation 3) :

Provided that before accepting such documents for negotiation or collection, the authorised dealer shall -

a) where the value declared in the declaration does not differ from the value shown in the documents being negotiated or sent for collection, or

b) where the value declared in the declaration is less than the value shown in the documents being negotiated or sent for collection,

require the constituent concerned also to sign such declaration and thereupon such constituent shall be bound to comply with such requisition and such constituent signing the declaration shall be considered to be the exporter for the purposes of these Regulations to the extent of the full value shown in the documents being negotiated or sent for collection and shall be governed by these Regulations accordingly.

13. Payment for the Export :-

In respect of export of any goods or software for which a declaration is required to be furnished under Regulation 3, no person shall except with the permission of the Reserve Bank or, subject to the directions of the Reserve Bank, permission of an authorised dealer, do or refrain from doing anything or take or refrain from taking any action which has the effect of securing –

(i) that the payment for the goods or software is made otherwise than in the specified manner; or

(ii) that the payment is delayed beyond the period specified under these Regulations; or

(iii) that the proceeds of sale of the goods or software exported do not represent the full export value of the goods or software subject to such deductions, if any, as may be allowed by the Reserve Bank or, subject to the directions of the Reserve Bank, by an authorised dealer;

Provided that no proceedings in respect of contravention of these provisions shall be instituted unless the specified period has expired and payment for the goods or software representing the full export value, or the value after deductions allowed under clause (iii), has not been made in the specified manner within the specified period.

14. Certain Exports requiring prior approval :-

A. Export of goods on lease, hire, etc.

No person shall, except with the prior permission of the Reserve Bank, take or send out by land, sea or air any goods from India to any place outside India on lease or hire or under any arrangement or in any other manner other than sale or disposal of such goods.

B. Exports under trade agreement/rupee credit etc.

(i) Export of goods under special arrangement between the Central Government and Government of a foreign state, or under rupee credits extended by the Central Government to Govt. of a foreign state shall be governed by the terms and conditions set out in the relative public notices issued by the Trade Control Authority in India and the instructions issued from time to time by the Reserve Bank.

(ii) An export under the line of credit extended to a bank or a financial institution operating in a foreign state by the Exim Bank for financing exports from India, shall be governed by the terms and conditions advised by the Reserve Bank to the authorised dealers from time to time.

C. Counter Trade

Any arrangement involving adjustment of value of goods imported into India against value of goods exported from India, shall require prior approval of the Reserve Bank.

15. Delay in Receipt of Payment :-

Where in relation to goods or software export of which is required to be declared on the specified form, the specified period has expired and the payment therefor has not been made as aforesaid, the Reserve Bank may give to any person who has sold the goods or software or who is entitled to sell the goods or software or procure the sale thereof, such directions as appear to it to be expedient, for the purpose of securing, (a) the payment therefor if the goods or software has been sold and (b) the sale of goods and payment thereof, if goods or software has not been sold or re-import thereof into India as

the circumstances permit, within such period as the Reserve Bank may specify in this behalf;

Provided that omission of the Reserve Bank to give directions shall not have the effect of absolving the person committing the contravention from the consequences thereof.

16. Advance payment against exports :-

(1) Where an exporter receives advance payment (with or without interest), from a buyer outside India, the exporter shall be under an obligation to ensure that –

i) the shipment of goods is made within one year from the date of receipt of advance payment;

ii) the rate of interest, if any, payable on the advance payment does not exceed London Inter-Bank Offered Rate (LIBOR) + 100 basis points, and

iii) the documents covering the shipment are routed through the authorised dealer through whom the advance payment is received;

Provided that in the event of the exporter's inability to make the shipment, partly or fully, within one year from the date of receipt of advance payment, no remittance towards refund of unutilised portion of advance payment or towards payment of interest, shall be made after the expiry of the said period of one year, without the prior approval of the Reserve Bank.

(2) Notwithstanding anything contained in clause (i) of sub-regulation (1), where the export agreement provides for shipment of goods extending beyond the period of one year from the date of receipt of advance payment, the exporter shall require the prior approval of the Reserve Bank.

17. Issue of directions by Reserve Bank in certain cases :-

(1) Without prejudice to the provisions of Regulation 3 in relation to the export of goods or software which is required to be declared, the Reserve Bank may, for the purpose of ensuring that the full export value of the goods or, as the case may be, the value which the exporter having regard to the prevailing market conditions expects to receive on the sale of goods or software in the overseas market, is received in proper time and without delay, by general or special order, direct from time to time that in respect of export of goods or software to any destination or any class of export transactions or any class of goods or software or class of exporters, the exporter shall, prior to the export, comply with the conditions as may be specified in the order, namely ;

a) that the payment of the goods or software is covered by an irrevocable letter of credit or by such other arrangement or document as may be indicated in the order ;

b) that any declaration to be furnished to the specified authority shall be submitted to the Reserve Bank for its prior approval, which may, having regard to the circumstances, be given or withheld or may be given subject to such conditions as the Reserve Bank may deem fit to impose ;

c) that a copy of the declaration to be furnished to the specified authority shall be submitted to such authority or organisation as may be indicated in the order for certifying that the value of goods or software specified in the declaration represents the proper value thereof.

(2) No direction under sub-regulation (1) shall be given, and no approval under clause (b) of that sub-regulation shall be withheld by the Reserve Bank, unless the exporter has been given a reasonable opportunity to make a representation in the matter.

18. Project exports

Where an export of goods or services is proposed to be made on deferred payment terms or in execution of a turnkey project or a civil construction contract, the exporter shall, before entering into any such export arrangement, submit the proposal for prior approval of the approving authority, which shall consider the proposal in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank from time to time.

Explanation:

For the purpose of this Regulation, 'approving authority' means the Working Group or the Exim Bank or the authorised dealer

Schedule
(Refer to Regulation 3)

Form **GR:**	To be completed in duplicate for export otherwise than by Post including export of software in physical form i.e. magnetic tapes/discs and paper media
Form **SDF:**	To be completed in duplicate and appended to the shipping bill, for exports declared to Customs Offices notified by the Central Government which have introduced Electronic Data Interchange (EDI) system for processing shipping bills notified by the Central Government.
Form **PP:**	To be completed in duplicate for export by Post.
Form **SOFTEX:**	To be completed in triplicate for declaration of export of software otherwise than in physical form, i.e. magnetic tapes/discs, and paper media.

EXCHANGE CONTROL DECLARATION (GR) FORM NO.

Original

	Exporter	Invoice No.& Date	SB No.& Date
		AR4/AR4A No.& Date	
		Q/Cert No.& Date	Importer-Exporter Code No.
	Consignee		
		Export Trade Control	If export under:
			Deferred Credit [ ]
			Joint Ventures [ ]
			Rupee Credit [ ]
			Others [ ]
			RBI's Approval/Cir.No. & Date
	Custom House Agent L/C.No.		

	Pre-Carriage by	Place of Receipt by Pre-Carrier		Type of shipment :
				Outright Sale [ ]
				Consignment Export [ ]
	Vessel/Flight No.	Rotation No.		Others [ ]
				(Specify)

		Port of Loading	Nature of Contract:CIF[ ]/C&F [ ]/FOB [ ]
			Other (Specify) [ ]
	Port of Discharge	Country of Destination	Exchange Rate U/S 14 of CA Currency of invoice

S.No	Marks & No. No. & Kind of Pkgs.	Statistical Code & Description of Goods	Quantity	Value FOB
	Container Nos.			
	Net Weight			
	[illegible]ht			

	Total FO[illegible]s

Analysis of Exp[illegible] Value	Currency Amount		Full export value OR where not ascertainable, the value which exporter expects to receive on the sale of goods.
FOB Value			
Freight			
Insurance			
Commission	Rate		
Discount			
Other Deductions			

Currency		
Amount		

EXCHANGE CONTROL DECLARATION (GR) FORM NO.

Is Export under L/C arrangements? Yes [ ] No [ ]	**FOR CUSTOMS**
If yes, name of advising bank in India	Customs Assessable value Rs.
	(Rupees .
	.....
Bank through which payment is to be received	
	Export Value Verified
	Customs Appraiser
Whether Payment is to be received through the ACU YES/NO	Date of Shipment / Customs Appraiser

Declaration under Foreign Exchange Management Act, 1999: I/We hereby declare that I/We am/are the *SELLER/CONSIGNOR of the goods in respect of which this declaration is made and that the particulars given above are true and that a)*the value as contracted with the buyer is the same as the full export value declared overleaf/ b) *the full export value of the goods is not ascertainable at the time of export and that the value declared is that which I/We, having regard to the prevailing market-conditions, expect to receive on the sale of goods in the overseas market.

I/We undertake that I/We will deliver to the bank named herein the foreign exchange representing the full export value of the goods on or before @ ..... in the manner specified in the Regulations under the Act. I/We further declare that I/We am/are resident in India and I/We have a place of business in India.

I/We* am/are OR am/are not in Caution List of the Reserve Bank of India.

....

Date..... (Signature of Exporter)

@ State appropriate date of delivery which must be within six months from the date of shipment, but for exports to warehouses established outside India with the permission of the Reserve Bank, the date of delivery must be within fifteen months.

* Strike out whichever is not applicable

SPACE FOR USE BY RESERVE BANK OF INDIA

EXCHANGE CONTROL DECLARATION (GR) FORM NO.

Duplicate

Exporter	Invoice No.& Date	SB No.& Date
	AR4/AR4A No.& Date	
	Q/Cert No.& Date	Importer-Exporter Code No.
Consignee		
	Export Trade Control	If export under
		Deferred Credit [ ]
		Joint Ventures [ ]
		Rupee Credit [ ]
		Others [ ]
		RBI's Approval/Cir.No. & Date
Custom House Agent L/C.No.		
Pre-Carriage by / Place of Receipt by Pre-Carrier		Type of shipment :
		Outright Sale [ ]
		Consignment Export [ ]
Vessel/Flight No. / Rotation No.		Others [ ]
		(Specify)
Port of Loading	Nature of Contract:CIF[ ]/C&F [ ]/FOB [ ]	
	Other (Specify) [ ]	
Port of Discharge / Country of Destination	Exchange Rate U/S 14 of CA Currency of Invoice	

S.No	Marks & No. No. & Kind of Pkgs.	Statistical Code & Description of Goods	Quantity	Value FOB
	Container Nos.			
	Net Weight			
	Gross Weight			
	Total FOB Value in words			

Analysis of Export Value	Currency Amount			Full export value OR where not ascertainable, the value which exporter expects to receive on the sale of goods.
FOB Value				
Freight				
Insurance				Currency
Commission		Rate		
Discount				Amount
Other Deductions				

EXCHANGE CONTROL DECLARATION (GR) FORM NO.

Is Export under L/C arrangements? Yes [ ] No [ ]	**FOR CUSTOMS**
If yes, name of advising bank in India	Customs Assessable value Rs.
	(Rupees .
	.....
	.
Bank through which payment is to be received	
	Export Value Verified
	Customs Appraiser
	Cargo shipped in full/part
	Quantity
	Value
Whether Payment is to be received through the	Date of Shipment / Customs Appraiser
ACU YES/NO	

Declaration under Foreign Exchange Management Act, 1999: I/We hereby declare that I/We am/are the *SELLER/CONSIGNOR of the goods in respect of which this declaration is made and that the particulars given above are true and that a)*the value as contracted with the buyer is the same as the full export value declared overleaf/ b) *the full export value of the goods is not ascertainable at the time of export and that the value declared is that which I/We, having regard to the prevailing market-conditions, expect to receive on the sale of goods in the overseas market.

I/We undertake that I/We will deliver to the bank named herein the foreign exchange representing the full export value of the goods on or before @ ..... in the manner specified in the Regulation made under the Act.

I/We further declare that I/We am/are resident in India and I/We have a place of business in India.

I/We* am/are OR am/are not in Caution List of the Reserve Bank of India.

.....

Date..... (Signature of Exporter)

@ State appropriate date of delivery which must be within six months from the date of shipment, but for exports to warehouses established outside India with the permission of the Reserve Bank, the date of delivery must be within fifteen months.

* Strike out whichever is not applicable

FOR AUTHORISED DEALER'S USE

Uniform Code Number.....

Indicate ( ) in the box applicable Date of (i) negotiation (ii) receipt for collection. Bill No.....

Type of Bill* (i)DA[ ]/(ii)DP [ ]/(iii)Others [ ].....(Specify)

Type of shipment:*(i) Firm Sale Contract [ ]/(ii)Consignment Basis [ ]/

(iii)Others [ ] .....(Specify)

The GR Form was included in the Statement sent to the Reserve Bank with

the R Return for the fortnight ending.....sent on.....

We certify and confirm that we have received the total amount of.....

(Currency) (amount)

as under being the proceeds of exports declared on this form.

Date of receipt	Currency	Credit to Nostro Account in---------- ------Country		Debit to NR Rupee Account of a Bank in ---------- Country		Period of R Return with which the realisation has been reported to RBI
		In our name	In the name of * ----------	Held with us	Held with *	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

* (Write the name of the concerned Indian Authorised Dealer Branch.) Any other manner of receipt (Specify).....

	---------- (Stamp & Signature of authorised dealer) Date:..... Address:... ....

SPACE FOR USE BY RESERVE BANK OF India

SDF

[See Regulation 3(1)]

(In duplicate)

Shipping Bill No. Date:

Declaration under Foreign Exchange Management Act,1999:

I/We hereby declare that I/We am/are the *SELLER/CONSIGNOR of the goods in respect of which this declaration is made and that the particulars given in the Shipping Bill No..... dated ..... are true and that (a) * the value as contracted with the buyer is the same as the full export value declared in the above shipping bill (b) * the full export value of the goods is not ascertainable at the time of export and that the value declared is that which I/We, having regard to the prevailing market conditions, expect to receive on the sale of goods in the overseas market.

I/We undertake that I/We will deliver to the bank named herein ..... The foreign exchange representing the full export value of the goods on or before @..... in the manner specified in the Regulations made under the Foreign Exchange Management Act, 1999. I/We further declare that I/We am/are resident in India and I/We have a place of business in India.

I/We* am/are OR am/are not in Caution List of the Reserve Bank of India.

.....

Date: ..... (Signature of Exporter)

@ State appropriate date of delivery which must be within six months from the date of shipment but for exports to warehouses established outside India with permission of the Reserve Bank, the date of delivery must be within fifteen months.

* Strike out whichever is not applicable.

FOR AUTHORISED DEALER'S USE

Uniform Code Number ....

* Indicate( ) in the box applicable

Date of (i) negotiation......................... . ...
(ii) receipt for collection..... ... .
(iii) Bill No....................... ....

*Type of Bill (i) DA ☐ (ii) DP ☐ (iii) Others ☐.......... (Specify)
*Types of shipment (i) Firm Sale Contract ☐ (ii) Consignment Basis ☐ Others ☐........(Specify)

The SDF Form was included in the Statement sent to Reserve Bank with the R Return for the fortnight ending ....sent on ....

We certify and confirm that we have received the total amount of .... as under being the proceeds of exports declared on this form. (Currency amount)

Date of receipt	Currency	Credit to Nostro Account in -------------------- (Country)		Debit to NR Rupee Account of a Bank in ---------------- (Country)		Period of R Return with which the realisation has been reported to RBI
		In our name	in the name of**---------- ----------------	Held with us	Held with**------- ---------------- --------------------	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

** Write the name of the concerned Indian Authorised Dealer Branch.

Any other manner of receipt(Specify)..... ....

....
(Stamp & Signature of authorised dealer)
Date ....
Address : .. ..
.. ..
. .. .

SPACE FOR USE BY RESERVE BANK OF INDIA

FORM : PP

EXCHANGE CONTROL
(EXPORTER'S DECLARATION)
ORIGINAL

Form Number:

(Please see 'Notes to Exporters' overleaf)

1.(a)	Name of the Post Office.....	
(b)	Number and date of Parcel Receipt.....	
2.	Exporter's Name:.....	*(for RBI*
3.	Importer/Exporter Code No:.....	*use)*
4.	Buyer's/Consignee's Name and address:.....	
	.....	
5.	Country of destination.....	
6.	Nature of contract*(i)CIF/(ii)C&F/(iii)FOB/(iv)Others	
	Specify):	
7.	Date of despatch	
8.	Type of shipment*(i)Outright Sale/(ii)Consignment	
	export/(iii)Others (Specify)	
9.	Description of goods:	
10.	Quantity of goods: Unit ♦ ..... Quantity.....	
11.	Currency of Invoice.....	
	[♦ Tonne/Kilogram/Litre/Cubic Metre/	
	Sq. Metre/Metre/Number/Others (Specify)]	

@	**Where the full export**		**12. Analysis of export value:**			
	value is not ascertainable,		**Particulars**	**Currency**	**Amount**	
	value expected on sale of					
	goods in the overseas		**@Full Export value**			
	market may be shown					
Ω	**No application for permission**		**F.O.B. Value**			
	for remittance/deduction					
	from the declared value on		**Freight**			
	account of agency					
	commission and/ or		**Insurance**			
	discount will be					
	entertained by the		**Ω Discount (Rate....)**			
	Reserve Bank or					
	authorised dealer unless		**Ω Agency Commission**			
	these have been declared		**(Rate....)**			
	on this form					

	(For Customs Use)	**13.**	**Customs Assessable Value**	
	Export Value verified		**(Rupees).....**	
	(Customs Appraiser)			

14.	If the export is made under general permission of the Reserve Bank of India, Number and date of its approval.....	
15.	If the export is made under L/C arrangements, name of advising bank in India.....	
16.	State if the payment is to be received through the Asian Clearing Union: *Yes/No.....	
17.	Name & address of bank through whom payment is to be received.....	

I/we hereby declare that I/we am/are the *SELLER/CONSIGNOR of the goods in respect of which the declaration is made and that the particulars given above are true and that *(a) the export value as contracted with the buyer is the same as the full export value declared above /*(b) the full export value of goods is not ascertainable at the time of export and that the value declared is that which I/we, having regard to the prevailing market conditions, expect to receive on the sale of goods in the overseas market.

I/we undertake that I/we will deliver to the bank named above the foreign exchange representing the full export value of the goods on or before ♣ ..... in the manner specified in the Regulations made under the Foreign Exchange Management Act, 1999. I/we further declare that I/we am/are resident in India and I/we have a place of business in India.

I/we* am/are not in the Caution List of the Reserve Bank of India.
am/are

♣ State approximate date of delivery which must be within six months from the date of shipment.

*** Strike out whichever is not applicable.**

	(For A.D.'s use)		
			(Signature of Exporter)
			Date:
	Stamp & Signature of Authorised dealer		Address
	Date:.....		
	Bank's Uniform Code No.....		

NOTES TO EXPORTERS

1)	**This form should not be pasted on the Parcel.**
2)	The PP form procedure applies to postal exports to all territories outside India excluding Nepal and Bhutan. The PP form should be completed in duplicate in all cases.
3)	The Original should be submitted by the exporter to the Post Office after having it countersigned by an authorised dealer in foreign exchange. The Post Office through which the goods have been despatched will forward the Original to the nearest office of Reserve Bank of India.
4)	All documents relating to export of goods from India must be passed through the medium of an authorised dealer in foreign exchange in India **within 21 days of the date of shipment** of the goods.
5)	The amount representing the full export value of goods must be realised within six months from the date of shipment.
Note:	Government of India/Indian financial institutions may conclude from time to time Special Trade Agreements with other countries providing for settlement of certain payments from the countries in a specified manner or for exports to be financed from Government to Government Credits. Reserve Bank will advise authorised dealers of such arrangements by issue of circulars. Methods of payment specified in the individual arrangements will have to be followed in such cases.
	SPACE FOR USE BY RESERVE BANK OF INDIA

FORM : PP

EXCHANGE CONTROL
(EXPORTER'S DECLARATION)
DUPLICATE

Form Number:

1.(a)	Name of the Post Office.....	
(b)	Number and date of Parcel Receipt.....	
2.	Exporter's Name:.....	*(for RBI*
3.	Importer/Exporter Code No:.....	*use)*
4.	Buyer's/Consignee's Name and address:.....	
	.....	
5.	Country of destination.....	
6.	Nature of contract*(i)CIF/(ii)C&F/(iii)FOB/(iv)Others	
	Specify):	
7.	Date of despatch	
8.	Type of shipment*(i)Outright Sale/(ii)Consignment	
	Export/(iii)Others (Specify)	
9.	Description of goods:	
10.	Quantity of goods: Unit ♦ ..... Quantity.....	
11.	Currency of Invoice.....	
	[♦ Tonne/Kilogram/Litre/Cubic Metre/	
	Sq. Metre/Metre/Number/Others (Specify)]	

@	**Where the full export**		**12.**	**Analysis of export value:**		
	value is not ascertainable,		**Particulars**	**Currency**	**Amount**	
	value expected on sale of					
	goods in the overseas		**@Full Export value**			
	market may be shown.					
Ω	**No application for**		**F.O.B. Value**			
	Permission for remittance/					
	Deduction from the		**Freight**			
	Declared value on account					
	of agency commission and/		**Insurance**			
	or discount will be					
	Entertained by the		**Ω Discount (Rate....)**			
	Reserve Bank or					
	Authorised dealer unless		**Ω Agency Commission**			
	these have been declared		**(Rate....)**			
	on this form					

	(For Customs Use)		**13.**	**Customs Assessable Value**	
	Export Value verified			**(Rupees).....**	
	(Customs Appraiser)				

14.	If the export is made under general permission of the	
	Reserve Bank of India, Number and date of its approval.....	
15.	If the export is made under L/C arrangements, name of	
	advising bank in India.....	
16.	State if the payment is to be received through the Asian	
	Clearing Union: *Yes/No.....	
17.	Name & address of bank through whom payment is to be	
	received.....	

I/we hereby declare that I/we am/are the *SELLER/CONSIGNOR of the goods in respect of which the declaration is made and that the particulars given above are true and that *(a) the export value as contracted with the buyer is the same as the full export value declared above /*(b) the full export value of goods is not ascertainable at the time of export and that the value declared is that which I/we, having regard to the prevailing market conditions, expect to receive on the sale of goods in the overseas market.

I/we undertake that I/we will deliver to the bank named above the foreign exchange representing the full export value of the goods on or before ♣ ..... in the manner specified in the Regulations made under the Foreign Exchange Management Act, 1999. I/we further declare that I/we am/are resident in India and I/we have a place of business in India.

I/we* am/are not in the Caution List of the Reserve Bank of India.
am/are

♣ State approximate date of delivery which must be within six months from the date of shipment.

*** Strike out whichever is not applicable.**

	(For A.D.'s use)		
			(Signature of Exporter)
			Date:
	Stamp & Signature of Authorised dealer		Address
	Date:.....		
	Bank's Uniform Code No.....		

NOTE:	All documents relating to export of goods from India must be passed through the medium of an authorised dealer in foreign exchange in India within 21 days of the date of shipment of the goods.

FOR AUTHORISED DEALERS'S USE

Uniform Code Number:.....

Date of *(i)negotiation/(ii)receipt for collection.....Bill No.....

*Strike out		Type of bill *DA/(ii)DP/(iii)Others.....
Whichever is		Type of shipment: *(i)Firm Sale Contract/(ii)Consignment
not applicable		Basis/(iii)Others (Specify).....
		The PP form was included in the Statement sent to the Reserve Bank with
		the R Return for the fortnight ending.....sent on.....

We certify and confirm that we have received the total amount of ... ... as under being the proceeds of exports declared on this form. (Currency) (Amount)

Date of Receipt	Currency	Credit to Nostro Account in (country)		Debit to NR Rupee Account of a bank in (country)		Period of R Return with which the realisation has been reported to
		In our Name	In the name of ¥	Held with us	Held with ¥	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(¥ Write the name of the concerned Indian Authorised Dealer branch). Any other manner of receipt (Specify) . . . . . .

(Stamp & Signature of authorised dealer)
Date: . . . . . .
Address: . . . . . .

Notes to Authorised Dealer:

1.	Please ensure that the columns on the face of the PP form have been completed by the exporter and that they have been duly authenticated by the Postal authorities wherever necessary.
2.	On receipt of the full export value of the shipment declared on this form, the authorised dealer will forward to the Reserve Bank this duplicate copy of the form together with a copy of the Customs certified Shipper's Invoice, duly certified. In respect of shipments made on consignment basis, the Account Sales received from the consignee in original in support of the proceeds actually realised should also be forwarded along with this copy of the form.
3.	In case the net amount received falls short of the full export value declared on the form for reasons other than deduction of bank charges, please indicate the authority conferred on the authorised dealers by Reserve Bank in terms of the Directions issued in this regard or the Reserve Bank of India's approval number and date for reduction.

SPACE FOR USE BY RESERVE BANK OF INDIA

EXCHANGE CONTROL

SOFTWARE EXPORT DECLARATION (SOFTEX) FORM

(For declaration of Software Exports through data-communication links and receipt of Royalty on the Software Packages/Products exported)

FORM NO: AB **ORIGINAL**

1 Name and address of the exporter

2. STPI Centre within whose jurisdiction the unit is situated

3. Import-Export Code Number

4. Category of exporter : STP/EHTP/EPZ/100% EOU/DATA unit

5. Buyer's name and address including country and their relationship with exporting unit (if any)

6. Date and Number of Invoice

7. a) Whether export contract/ purchase order already registered with STPI (If 'No', please attach copy of the contract/purchase order) ☐ Yes ☐ No

b) Does contract stipulate payment of royalty ☐ Yes ☐ No

SECTION - A
(For exports through data communication link)

8 Name of authorised datacom service provider STPI/VSNL/DOT/Internet/Others (Please specify)

9 Type of software exported (Please mark '✓' on the appropriate box on the left side)

(a) Computer Software RBI Code

		RBI Code
☐	Data Entry jobs and Conversion Software Data Processing	9 0 6
☐	Software Development	9 0 7
☐	Software Product, Packages	9 0 8
☐	Others (Please specify)	9 0 9

(b) Other Software

☐ Video/TV Software 9 1 0

☐ Others (Please specify) 9 1 1

10. Analysis of Export Value — Currency — Amount

(a) Full export value

Of which :-

i) Net value of exports without transmission charges

ii) Transmission charges included in invoice

(b) Transmission charges (if payable separately by the overseas client)

(c) Deduct: Agency commission, at the rate of .....%

(d) Any other deductions as permitted by RBI (please specify)

(e) Amount to be realised [(a+b) - (c+d)]

11. How export value will be realised (mode of realisation) (Please mark '✓' on the appropriate box

☐ (a) Under L/C

(a) Name and address of Authorised Dealer _____

(b) Authorised Dealer Code No. _____

☐ (b) Bank Guarantee

(a) Name and address of Authorised Dealer _____

(b) Authorised Dealer Code No. _____

☐ (c) Any other arrangement e.g. advance payment, etc. including transfer/remittance to bank account maintained overseas (Please specify)

(a) Name and address of Authorised Dealer _____

(b) Authorised Dealer Code No. _____

SECTION - B

(For receipt of Royalty on Software Packages/Products exported)

12. Details of Software Package(s)/ Product(s) exported

(a) Date of export _____

(b) GR/PP/SOFTEX Form No. on which exports were declared _____

(c) Royalty agreement details

☐ %age and amount of royalty _____

☐ Period of royalty agreement (Enclose copy of Royalty agreement, if not already registered) _____

13. How royalty value will be realised (as defined in Royalty agreement) _____

14 Calculation of royalty amount (Enclose copy of communication from the foreign customer) _____

15. Name and address of designated Authorised Dealer in India through whom payment has been received/to be received _____

A.D. Code No. _____

SECTION -C

16. **Declaration by exporter**

I/We hereby declare that I/we am/are the seller of the software in respect of which this declaration is made and that the particulars given above are true and that the value to be received from the buyer represents the export value contracted and declared above. I/we also declare that the software has been developed and exported by using authorised and legitimate datacom links.

I/We undertake that I/we will deliver to the bank named above the foreign exchange representing the full value of the software exported as above on or before .... (i.e. within 180 days from the date of invoice/date of last invoice raised during a month), in the manner specified in the Regulations made under the Foreign Exchange Management Act, 1999.

_____
Signature of the Exporter

Place:
Date:

Stamp

Name: _____

Designation: _____

Enclosure:

(1) Copy of Export Contract [7(a)]
(2) Copy of Royalty Agreement [12(c)]
(3) Copy of communication from foreign customer [14]

Space for use of the competent authority (i.e. STPI) on behalf of Department of Electronics

Certified that the software described above was actually transmitted and the export/royalty value declared by the exporter has been found to be in order and accepted by us.

Place:
Date:

_____
(Signature of Designated Official of STPI on behalf of Department of Electronics)

Stamp

Name: _____

Designation: _____

EXCHANGE CONTROL

SOFTWARE EXPORT DECLARATION (SOFTEX) FORM

(For declaration of Software Exports through data-communication links and receipt of Royalty on the Software Packages/Products exported)

FORM NO: AB **DUPLICATE**

1. Name and address of the exporter

2. STPI Centre within whose jurisdiction the unit is situated

3. Import-Export Code Number

4. Category of exporter : STP/EHTP/EPZ/100% EOU/DATA unit

5. Buyer's name and address including country and their relationship with exporting unit (if any)

6. Date and Number of Invoice

7. a) Whether export contract/ purchase order already registered with STPI. (If 'No', please attach copy of the contract/purchase order) ☐ Yes ☐ No

   b) Does contract stipulate payment of royalty ☐ Yes ☐ No

SECTION - A
(For exports through data communication link)

8. Name of authorised datacom service provider STPI/VSNL/DOT/Internet/Others (Please specify)

9. Type of software exported (Please mark '✓' on the appropriate box on the left side).

   (a) Computer Software — RBI Code

   ☐ Data Entry jobs and Conversion Software Data Processing — 9 0 6

   ☐ Software Development — 9 0 7

   ☐ Software Product, Packages — 9 0 8

   ☐ Others (Please specify) — 9 0 9

(b) Other Software

☐ Video/TV Software 9 1 0

☐ Others (Please specify) 9 1 1

10. Analysis of Export Value **Currency** **Amount**

(a) Full export value

Of which :-

i) Net value of exports without transmission charges

ii) Transmission charges included in invoice

(b) Transmission charges (if payable separately by the overseas client)

(c) Deduct: Agency commission, at the rate of .....%

(d) Any other deductions as permitted by RBI (please specify)

(e) Amount to be realised [(a+b) - (c+d)]

11. How export value will be realised (mode of realisation) (Please mark '✓' on the appropriate box

☐ (a) Under L/C

(a) Name and address of Authorised Dealer _____

(b) Authorised Dealer Code No _____

☐ (b) Bank Guarantee

(a) Name and address of Authorised Dealer _____

(b) Authorised Dealer Code No. _____

☐ (c) Any other arrangement e.g. advance payment, etc. including transfer/remittance to bank account maintained overseas (Please specify)

(a) Name and address of Authorised Dealer _____

(b) Authorised Dealer Code No. _____

SECTION - B

(For receipt of Royalty on Software Packages/Products exported)

12. Details of Software Package(s)/ Product(s) exported

(a) Date of export _____

(b) GR/PP/SOFTEX Form No. on which exports were declared _____

(c) Royalty agreement details

☐ %age and amount of royalty _____

☐ Period of royalty agreement (Enclose copy of Royalty agreement, if not already registered) _____

13. How royalty value will be realised (as defined in Royalty agreement) _____

14. Calculation of royalty amount (Enclose copy of communication from the foreign customer) _____

15. Name and address of designated Authorised Dealer in India through whom payment has been received/to be received _____

A.D. Code No. _____

SECTION -C

16. **Declaration by exporter**

I/We hereby declare that I/we am/are the seller of the software in respect of which this declaration is made and that the particulars given above are true and that the value to be received from the buyer represents the export value contracted and declared above. I/we also declare that the software has been developed and exported by using authorised and legitimate datacom links.

I/We undertake that I/we will deliver to the bank named above the foreign exchange representing the full value of the software exported as above on or before .... (i.e. within 180 days from the date of invoice/date of last invoice raised during a month), in the manner specified in the Regulations made under the Foreign Exchange Management Act, 1999.

_____
Signature of the Exporter

Place:
Date:

Stamp

Name: _____

Designation: _____

Enclosure:

(1) Copy of Export Contract [7(a)]
(2) Copy of Royalty Agreement [12(c)]
(3) Copy of communication from foreign customer [14]

Space for use of the competent authority (i.e. STPI) on behalf of Department of Electronics

Certified that the software described above was actually transmitted and the export/royalty value declared by the exporter has been found to be in order and accepted by us.

Place:
Date:

_____
(Signature of Designated Official of STPI on behalf of Department of Electronics)

Stamp

Name: _____

Designation. _____

For Authorised Dealer's use only

Duplicate to be forwarded after realisation alongwith R Supplementary Return

Certificate by authorised dealer

AD's Uniform Code No.....

The SOFTEX Form included in the ENC statement sent to the Reserve Bank with the 'R' Return (NOSTRO/VOSTRO) ..... for the period ending ..... sent on
(Currency name)

We certify and confirm that we have received the total amount of..... .... as under being the
(Currency) (Amount)
proceeds of exports declared on this form.

Date of Receipt	Currency	Credit to Nostro Account in ..... (Country)		Debit to Non-Resident Rupee Account of a bank in ..... (country)		Period of R-Return with which the realisation has been reported to RBI
		In our name	In the name of **	Held with us	Held with **	
1	2	3	4	5	6	7

(** Write the name of the concerned branch of Authorised Dealer)

Any other manner of receipt (Specify) .....

Place:_____
Date :_____

Stamp

_____
(Signature of Authorised Official)
Name _____
Designation :_____
Name & Address of_____
Authorised Dealer_____

EXCHANGE CONTROL

SOFTWARE EXPORT DECLARATION (SOFTEX) FORM

(For declaration of Software Exports through data-communication links and receipt of Royalty on the Software Packages/Products exported)

FORM NO: AB **TRIPLICATE**

1. Name and address of the exporter

2. STPI Centre within whose jurisdiction the unit is situated

3. Import-Export Code Number

4. Category of exporter : STP/EHTP/EPZ/100% EOU/DATA unit

5. Buyer's name and address including country and their relationship with exporting unit (if any)

6. Date and Number of Invoice

7. a) Whether export contract/ purchase order already registered with STPI. (If 'No', please attach copy of the contract/purchase order) ☐ Yes ☐ No

   b) Does contract stipulate payment of royalty ☐ Yes ☐ No

SECTION - A
(For exports through data communication link)

8. Name of authorised datacom service provider STPI/VSNL/DOT/Internet/Others (Please specify)

9. Type of software exported (Please mark '✓' on the appropriate box on the left side).

(a) Computer Software	RBI Code
☐ Data Entry jobs and Conversion Software Data Processing	9 0 6
☐ Software Development	9 0 7
☐ Software Product, Packages	9 0 8
☐ Others (Please specify)	9 0 9

(b) Other Software

☐ Video/TV Software 9 1 0

☐ Others (Please specify) 9 1 1

10. Analysis of Export Value — Currency — Amount

(a) Full export value

Of which :-

i) Net value of exports without transmission charges

ii) Transmission charges included in invoice

(b) Transmission charges (if payable separately by the overseas client)

(c) Deduct: Agency commission, at the rate of .....%

(d) Any other deductions as permitted by RBI (please specify)

(e) Amount to be realised [(a+b) - (c+d)]

11. How export value will be realised (mode of realisation) (Please mark '✓' on the appropriate box

☐ (a) Under L/C — (a) Name and address of Authorised Dealer _____ (b) Authorised Dealer Code No. _____

☐ (b) Bank Guarantee — (a) Name and address of Authorised Dealer _____ (b) Authorised Dealer Code No. _____

☐ (c) Any other arrangement e.g. advance payment, etc. including transfer/remittance to bank account maintained overseas (Please specify) — (a) Name and address of Authorised Dealer _____ (b) Authorised Dealer Code No. _____

SECTION - B

(For receipt of Royalty on Software Packages/Products exported)

12. Details of Software Package(s)/ Product(s) exported

(a) Date of export _____

(b) GR/PP/SOFTEX Form No. on which exports were declared _____

(c) Royalty agreement details

☐ %age and amount of royalty _____

☐ Period of royalty agreement (Enclose copy of Royalty agreement, if not already registered) _____

13. How royalty value will be realised (as defined in Royalty agreement) _____

14. Calculation of royalty amount (Enclose copy of communication from the foreign customer) _____

15. Name and address of designated Authorised Dealer in India through whom payment has been received/to be received _____

A.D. Code No. _____

SECTION -C

16. **Declaration by exporter**

I/We hereby declare that I/we am/are the seller of the software in respect of which this declaration is made and that the particulars given above are true and that the value to be received from the buyer represents the export value contracted and declared above. I/we also declare that the software has been developed and exported by using authorised and legitimate datacom links.

I/We undertake that I/we will deliver to the bank named above the foreign exchange representing the full value of the software exported as above on or before ..... (i.e. within 180 days from the date of invoice/date of last invoice raised during a month), specified in the Regulations made under the Foreign Exchange Management Act, 1999.

_____
Signature of the Exporter

Place:
Date:

Stamp

Name.

Designation: _____

Enclosure:

(1) Copy of Export Contract [7(a)]
(2) Copy of Royalty Agreement [12(c)]
(3) Copy of communication from foreign customer [14]

Space for use of the competent authority (i.e. STPI) on behalf of Department of Electronics

Certified that the software described above was actually transmitted and the export/royalty value declared by the exporter has been found to be in order and accepted by us.

Place:
Date:

_____
(Signature of Designated Official of STPI on behalf of Department of Electronics)

Stamp

Name: _____

Designation: _____

[F. No. 1/9/EC/97]

P. R. GOPALA RAO, Executive Director

अधिसूचना

मुंबई, 3 मई, 2000

सं. फेमा 24/2000-आरबी

सा.का.नि. 410(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रिज़र्व बैंक भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत में किसी भागीदारी फर्म या स्वामित्व-प्रतिष्ठान (प्रोप्रायटरी कन्सर्न) में किये जाने वाले निवेश के नियमन के लिये निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में फर्म या स्वामित्व प्रतिष्ठान में निवेश) विनियमावली, 2000 कहा जाएगा।

ii) ये पहली जून, 2000 से लागू होंगे।

2. परिभाषा

इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

i) 'अधिनियम' से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है;

ii) 'प्राधिकृत बैंक' से सहकारी बैंक-सहित ऐसा बैंक (प्राधिकृत व्यापारी को छोड़कर) अभिप्रेत है जिसे रिज़र्व बैंक ने भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति का खाता रखने के लिये प्राधिकृत किया हो;

iii) 'प्राधिकृत व्यापारी' से वह व्यक्ति जिसे उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत व्यापारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है;

iv) 'अनिवासी भारतीय' से है भारत से बाहर का निवासी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत का नागरिक है या भारतीय मूल का है;

v) 'एनआरएसआर खाता' का वही अर्थ होगा जो उसे विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 में दिया गया है ।

vi) 'भारतीय मूल का व्यक्ति' बांगला देश या पाकिस्तान या श्रीलंका से अन्य देश का नागरिक अभिप्रेत है, यदि

क) उसने कभी भारतीय पासपोर्ट धारण किया हो;

या

ख) वह या उसके माता-पिता, या दादा-दादी, नाना-नानी में से कोई भारतीय संविधान या नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के आधार पर भारत का नागरिक रहा हो;

या

ग) वह किसी भारतीय नागरिक या उल्लिखित उप-खंड (क) या (ख) में उल्लिखित किसी व्यक्ति का पति या पत्नी हो;

vii) इन विनियमों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में क्रमशः उनके लिये निर्दिष्ट है ।

3. भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत में किसी फर्म या स्वामित्व प्रतिष्ठान में निवेश करने पर प्रतिबंध

जब तक उक्त अधिनियम में ऐसा उपबंध न किया गया हो या उसमें ऐसे नियम या विनियम न बनाये गये हों या उसके तहत ऐसे निदेश या आदेश जारी न किये गये हों, भारत से बाहर का निवासी कोई भी व्यक्ति भारत में किसी फर्म या स्वामित्व प्रतिष्ठान या व्यक्तियों के किसी संघ की पूंजी में अंशदान के ज़रिये कोई निवेश नहीं करेगा;

बशर्ते रिज़र्व बैंक उसे आवेदन करने पर भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को एतदर्थ उन शर्तों पर अनुमति दे दे जो वह भारत में किसी फर्म या स्वामित्व प्रतिष्ठान या व्यक्तियों के किसी संघ की पूंजी में अंशदान के जरिये निवेश करने के लिये आवश्यक समझे ।

4. कतिपय मामलों में निवेश की अनुमति

कोई अनिवासी भारतीय या भारत से बाहर का निवासी भारतीय मूल का कोई व्यक्ति भारत में किसी फर्म या स्वामित्व प्रतिष्ठान की पूंजी में अंशदान के जरिये निवेश कर सकता है, बशर्ते -

क) निवेश की गयी राशि सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आवक विप्रेषण से या किसी अनिवासी भारतीय या भारतीय मूल के किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित विनियमावली के अनुरूप किसी प्राधिकृत व्यापारी/प्राधिकृत बैंक में रखे खाते से प्राप्त होनी हो;

ख) उक्त फर्म या स्वामित्व प्रतिष्ठान कृषि/बागान संबंधी किसी कार्य या भूमि-भवन के कारबार, अर्थात् लाभ या आय प्राप्ति के उद्देश्य से भूमि और अचल संपत्ति संबंधी लेनदेन न करता हो;

ग) निवेश की गयी राशि भारत से बाहर प्रत्यावर्तित करने के लिये पात्र नहीं होगी;

घ) जहां निवेश अनिवासी निवेशक के एनआरएसआर खाते से किया जाता है, वहां निवेश पर उपार्जित आय या निवेश की आय निवेशक के एनआरएसआर खाते में, ही जमा की जाएगी।

5. किसी निवेशक अनिवासी भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति को भुगतान करने की किसी फर्म या स्वामित्व-प्रतिष्ठान को अनुमति

भारत में कोई फर्म या स्वामित्व प्रतिष्ठान उसमें किसी अनिवासी भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा निवेश की गयी राशि का या ऐसे निवेश पर हुए लाभ पर संबंधित व्यक्ति की उपचित आय का भुगतान कर सकता है या उसे उसके पक्ष में जमा कर सकता है।

[फा. सं. 1/9/ई सी/97]

पी. आर. गोपाल राव, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd May, 2000

No. FEMA 24/2000-RB

G.S.R. 410(E).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank makes the following regulations to regulate investment by a person resident outside India in a partnership firm or a proprietary concern in India, namely :

1. Short title and commencement

i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Investment in Firm or Proprietary concern in India) Regulations, 2000.

ii) They shall come into force on the 1st day of June, 2000.

2. Definitions

In these regulations, unless the context requires otherwise,-

i) 'Act' means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);

ii) 'authorised bank' means a bank including a co-operative bank (other than an authorised dealer) authorised by the Reserve Bank to maintain an account of a person resident outside India;

iii) 'authorised dealer' means a person authorised as an authorised dealer under sub-section (1) of section 10 of the Act;

iv) 'Non-Resident Indian (NRI)' means a person resident outside India who is a citizen of India or is a person of Indian origin;

v) 'NRSR account' shall have the same meaning as assigned to it in the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000.

vi) 'Person of Indian Origin' means a citizen of any country other than Bangladesh or Pakistan or Sri Lanka, if

a) he at any time held Indian passport;

or

b) he or either of his parents or any of his grand- parents was a citizen of India by virtue of the Constitution of India or the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955);

or

c) the person is a spouse of an Indian citizen or a person referred to in sub-clause (a) or (b);

vii) the words and expressions used but not defined in these Regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Restrictions on investment in a firm or a proprietary concern in India by a person resident outside India

Save as otherwise provided in the Act or rules or regulations made or directions or orders issued thereunder, no person resident outside India shall make any investment by way of contribution to the capital of a firm or a proprietary concern or any association of persons in India ;

Provided that the Reserve Bank may, on an application made to it, permit a person resident outside India subject to such terms and conditions as may be considered necessary to make an investment by way of contribution to the capital of a firm or a proprietary concern or any association of persons in India.

4. Permission for investment in certain cases

A non-resident Indian or a Person of Indian Origin resident outside India may invest by way of contribution to the capital of a firm or a proprietary concern in India, provided that -

a) the amount invested is received either by inward remittance through normal banking channels or out of an account maintained with an authorised dealer/authorised bank by the non-resident Indian or the person of Indian origin in accordance with the relevant Regulations;

b) the firm or the proprietary concern is not engaged in any agricultural/plantation activity or real estate business, i.e. dealing in land and immovable property with a view to earning profit or earning income therefrom;

c) the amount invested shall not be eligible for repatriation outside India;

d) where investment is made out of NRSR account of the non-resident investor, the income earned on investment or proceeds of investment shall be credited only to the NRSR account of the investor.

5. Permission to a firm or a proprietary concern to make payment to a non-resident Indian or a person of Indian origin who has made investment

A firm or a proprietary concern in India may make payment to or for the credit of a non-resident Indian or a person of Indian origin the sum invested by such person in that firm or the proprietary concern or the income accruing to such person by way of profit on such investment.

[F. No. 1/9/EC/97]
P. R. GOPALA RAO, Executive Director

अधिसूचना

मुंबई, 3 मई, 2000

सं. फेमा 25/2000-आरबी

सा.का.नि. 411(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के अनुरक्षण और उसके सुव्यवस्थित उन्नयन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 कहा जाएगा ।

2) ये पहली जून, 2000 से लागू होंगे ।

2. परिभाषा

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

i) 'अधिनियम' से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत;

ii) 'प्राधिकृत व्यापारी' से अभिप्रेत इस अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति से है;

iii) 'नकदी सुपुर्दगी' से अभिप्रेत है लेनदेन के दिन विदेशी मुद्रा की सुपुर्दगी;.

iv) 'वायदा संविदा' से अभिप्रेत है विदेशी मुद्रा की 'नकदी' अथवा 'टॉम' अथवा 'स्पॉट' सुपुर्दगी के अलावा लेनदेन में शामिल सुपुर्दगी;

v) 'विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा' से अभिप्रेत है वित्तीय लेनदेन अथवा कोई ऐसा करार जो किसी भी रूप में हो और किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिसका मूल्य एक अथवा अधिक निहित परिसंपत्तियों में कीमतों में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न हुआ है और जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं,

क) ऐसा लेनदेन जिसमें नेपाल और भूटान की करेंसी के अलावा कम-से-कम एक विदेशी करेंसी शामिल हो, अथवा

ख) ऐसा लेनदेन जिसमें नेपाल अथवा भूटान की करेंसी के अलावा किसी विदेशी करेंसी पर लागू कम-से-कम एक ब्याज दर शामिल हो, अथवा

ग) वायदा संविदा,

परंतु इसमें 'नकदी' अथवा 'टॉम' अथवा 'स्पॉट' सुपुर्दगियों के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेन शामिल नहीं होंगे ;

vi) 'पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ) से अभिप्रेत है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक;

vii) 'अनुसूची' से अभिप्रेत है इन विनियमों से संलग्न अनुसूची;

viii) 'स्पॉट सुपुर्दगी' से अभिप्रेत है लेनदेन के दिन के अगले दूसरी कार्य दिवस पर विदेशी मुद्रा की सुपुर्दगी;

ix) 'टॉम सुपुर्दगी' से अभिप्रेत है लेनदेन के दिन के तुरंत अगले कार्य दिवस पर विदेशी मुद्रा की सुपुर्दगी;

x) इन विनियमों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो अधिनियम में निर्दिष्ट है।

3. प्रतिबंध

इन अधिनियमों में जब तक अन्यथा न दिया गया हो, भारत में कोई भी व्यक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा में शामिल नहीं हो सकते।

4. विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा में शामिल होने के लिए भारत में निवासी व्यक्ति को अनुमति

भारत में निवासी कोई भी व्यक्ति अनुसूची I में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, अधिनियम अथवा नियम अथवा विनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाये गये अथवा जारी किये गये निदेशों अथवा आदेशों के अंतर्गत अनुमत, लेनदेन के संबंध में जोखिम के एक्सपोज़र के बचाव के लिए विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा में शामिल हो सकते हैं।

5. भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा में शामिल होने के लिए अनुमति

भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति, अनुसूची II में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, अधिनियम अथवा नियम अथवा विनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाये गये अथवा जारी किये गये निदेशों अथवा आदेशों के अंतर्गत अनुमत, लेनदेन के संबंध में जोखिम के एक्सपोज़र के बचाव के लिए भारत के निवासी व्यक्ति के साथ विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा में शामिल हो सकता है।

6. पण्य बचाव

भारतीय रिज़र्व बैंक, अनुसूची III में विनिर्दिष्ट क्रियाविधि के अनुसरण में आवेदन किये जाने पर, ऐसी शर्तों के अनुसार, जो आवश्यक समझा गया हो, भारत में निवासी व्यक्ति को पण्य में मूल्य जोखिमों का बचाव करने के लिए भारत के बाहर पण्य विनियम अथवा बाज़ार में संविदा में शामिल हो सकता है।

7. विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा से संबंधित प्रेषण

भारत में प्राधिकृत कोई भी व्यापारी निम्नलिखित मामलों में, इन विनियमों के अनुसरण में लिये गये लेनदेन के संबंध में भारत के बाहर विदेशी मुद्रा विप्रेषित कर सकते हैं :

क) भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर के व्यक्ति को देय विकल्प (ऑप्शन) प्रीमियम;

ख) विनियम 4 के अनुसरण में विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा में शामिल होनेवाले भारत के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रासंगिक राशि का विप्रेषण;

ग) विनियम 5 के अनुसरण में विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा में शामिल होनेवाले भारत के बाहर के व्यक्ति द्वारा आनुषंगिक राशि का विप्रेषण;

घ) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा से संबंधित अन्य कोई विप्रेषण।

अनुसूची I

(विनियम 4 देखें)

भारत में निवासी किसी व्यक्ति के लिए अनुमति योग्य विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा

क. वायदा संविदा

1. भारत का निवासी व्यक्ति ऐसे लेनदेन के संबंध में विनिमय जोखिम से बचाव के लिए भारत में प्राधिकृत व्यापारी के साथ वायदा संविदा कर सकता है, जिसके लिए अधिनियम या नियमों या विनियमों अथवा उसके अंतर्गत दिये या जारी किये गये निदेशों या आदेश के अंतर्गत विदेशी मुद्रा की बिक्री और/या खरीद की अनुमति दी गयी हो, बशर्ते -

क) प्राधिकृत व्यापारी दस्तावेजी साक्ष्य का सत्यापन करके अंतर्निहित जोखिम (एक्सपोजर) की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट हो,

ख) बचाव (हेज) की परिपक्वता अंतर्निहित लेनदेन की परिपक्वता से अधिक न हो,

ग) बचाव का चालू रहना एवं उसकी अवधि ग्राहक की पसंद पर छोड़ दी जाए,

घ) जहां अंतर्निहित लेनदेन की सही-सही राशि निश्चित न की जा सके, वहां एक उचित अनुमान के आधार पर संविदा तय की जाए,

ङ) विदेशी मुद्रा ऋण/बांड बचाव के लिए तभी पात्र होंगे जब रिज़र्व बैंक से अंतिम अनुमोदन, जहां ऐसा अनुमोदन आवश्यक हो, प्राप्त हो जाए,

च) सार्वभौमिक जमा रसीदों (जीडीआर) के मामले में निर्गम मूल्य को अंतिम रूप दे दिया गया हो,

छ) विदेशी मुद्रा अर्जक के विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खातों में रखी गयी जिन शेष राशियों की वायदा बिक्री खातेदारों द्वारा की गयी हो उन्हें सुपुर्दगी के लिए रखा जाएगा और ऐसी संविदा को रद्द नहीं किया जाएगा । तथापि, उन्हें रोल ओवर किया जा सकेगा ।

ज) जिन संविदाओं में शामिल मुद्राओं में रुपया एक मुद्रा हो, उन्हें एक बार रद्द किये जाने के बाद दुबारा दर्ज नहीं किया जाएगा, हालांकि उन्हें चालू दरों पर या परिपक्वता के पूर्व रोल ओवर किया जा सकता है । यह प्रतिबंध निर्यात संबंधी लेनदेनों को समाविष्ट करनेवाली संविदाओं पर लागू नहीं होगा, जिन्हें निरंतर प्रचलित दरों पर रद्द, पुनः दर्ज और रोल ओवर किया जा सकता है,

झ) व्यापारिक लेनदेनों के बचाव (हेजिंग) के लिए संविदाओं के प्रतिस्थापन की अनुमति प्राधिकृत व्यापारी द्वारा दी जा सकती है बशर्ते वह उन परिस्थितियों से संतुष्ट हो जिनके अंतर्गत प्रतिस्थापन आवश्यक हो गया हो ।

ख. वायदा संविदा से इतर संविदा

2. (1) भारत का निवासी व्यक्ति, जिसने विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना और ऋण देना) विनियमावली, 2000 के प्रावधानों के अनुसार विदेशी मुद्रा उधार लिया हो, अपने ऋण संबंधी जोखिम से बचाव के लिए और ऐसे बचावों को बनाये रखने के लिए भारत स्थित प्राधिकृत व्यापारी के साथ अथवा प्राधिकृत व्यापारी की भारत से बाहर स्थित शाखा के साथ ब्याज दर की अदला-बदली (स्वैप) या मुद्रा की अदला-बदली या कूपन की अदला-बदली या विदेशी मुद्रा विकल्प (आप्शन) या ब्याज दर "कैप" या "कॉलर" (खरीद) या "वायदा दर करार" नामक संविदा कर सकता है,

बशर्ते -

क) संविदा में रुपया शामिल न हो,

ख) रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा में उधार लेने के लिए अंतिम रूप से अनुमोदन दिया हो,

ग) बचाव की आनुमानिक मूल राशि विदेशी मुद्रा ऋण की बकाया राशि से अधिक न हो, तथा

घ) बचाव की परिपक्वता अंतर्निहित ऋण की परिपक्वता की शेष अवधि से अधिक न हो,

2) भारत का निवासी व्यक्ति, जिस पर विदेशी मुद्रा या रुपये की देयता हो, दीर्घकालिक जोखिम से बचाव के लिए भारत स्थित प्राधिकृत व्यापारी के साथ विदेशी मुद्रा रुपया संबंधी अदला-बदली (स्वैप) के लिए संविदा कर सकता है ।

3) उप-पैरा (2) के अंतर्गत दर्ज की गयी संविदा रद्द किये जाने पर दुबारा दर्ज नहीं की जाएगी ।

3. (1) भारत का निवासी व्यक्ति उसके व्यापार के कारण उसे विदेशी मुद्रा संबंधी जिस जोखिम का सामना करना पड़ता है उससे बचाव के लिए भारत स्थित किसी प्राधिकृत व्यापारी के साथ विदेशी मुद्रा विकल्प संविदा कर सकता है,

बशर्ते सीमा (रेंज) तायदों, अनुपात-सीमा वायदों और उनके अन्य किसी चल (वैरिएबल), चाहे उसका कुछ भी नाम हो, जैसी कम लागत वाली जोखिम में कटौती संबंधी रणनीतियों के संबंध में प्रीमियम का निवल आवक न हो ।

स्पष्टीकरण :

विदेशी मुद्रा में निविदा बोली प्रस्तुत किये जाने के कारण उत्पन्न होनेवाली आकस्मिक विदेशी मुद्रा जोखिम भी इस उप-पैरा के अंतर्गत बचाव के लिए पात्र है ।

(2) उप-पैराग्राफ (1) के अंतर्गत किये गये लेनदेन को स्वतंत्र रूप से दर्ज और या रद्द किया जा सकता है ।

अनुसूची-II

(विनियम 5 देखें)

भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को अनुमत विदेशी विनिमय व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) संविदा

1. कोई पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) अपने निवेश (एक्सपोजर) के बचाव (हेज) के लिए भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के साथ रुपया करेंसी में वायदा संविदा कर सकता है,

बशर्ते -

क) ऋण लिखतों में निवेश के संबंध में बचाव मूल्य, वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक न हो,

ख) 31 मार्च, 1999 को कारबार की समाप्ति पर बचाव मूल्य ईक्विटी के बाजार मूल्य के 15% से अधिक न हो, जो अमरीकी डॉलर 1 = 42.43 रु. और 31 मार्च, 1999 के बाद बाजार मूल्य/अंतर्वाह में वृद्धि की दर से परिवर्तित हो, बशर्ते एक बार ली गई वायदा सुरक्षा (फारवर्ड कवर) तब तक जारी रहे जब तक वह निहित (अंडरलाइंग) निवेश के मूल्य से अधिक न हो जाए,

ग) एक बार निरस्त वायदा संविदा दुबारा बुक नहीं की जाएगी बल्कि परिपक्वता तारीख को या उससे पहले उसका आवर्तन (रोल्ड ओवर) किया जा सकता है,

घ) बचाव की लागत को सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से प्रत्यावर्तित निधि (रिपैट्रिएबल फण्ड) और/अथवा आवक प्रेषण (इनवर्ड रेमिटेंस) से पूरा किया जाए।

ङ) बचाव स्वरूप सभी बाह्य प्रेषण आकस्मिकताएं (इंसिडेंटल) लागू भारतीय कर निकालकर हों।

2. एक अनिवासी भारतीय अथवा विदेशी कंपनी निकाय निम्न बचाव के लिए भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के साथ करेंसी में वायदा संविदा कर सकता है -

(क) किसी भारतीय कंपनी में धारित शेयरों पर उसको/उसरो देय लाभांश की रकम;

(ख) विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (एफसीएनआर) या अनिवासी बाह्य रुपया खाता (एनआरई) में धारित राशि पर।

(ग) विदेशी मुद्रा विनियमन आधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार अथवा उसके अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं के अधीन संविभाग योजना के अंतर्गत किये गये निवेश की राशि अथवा, जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 के प्रावधानों के अनुसार किया गया हो और इन दोनों मामलों में इस अनुसूची के पैरा 1 के परंतुक में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन हो।

3. रिजर्व बैंक, आवेदन करने पर, भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को 1 जनवरी, 1993 से किए गए निवेश के बचाव के लिए वायदा संविदा की खरीद हेतु अनुमति दे सकता है।

अनुसूची-III

(विनियम 6 देखें)

पण्य कीमत जोखिम के बचाव के लिए अनुमोदन हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया

1. भारत का कोई निवासी, जो निर्यात आयात व्यवसाय करता है, वह तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर, स्वर्ण सहित किसी भी पण्य के लिए किसी प्राधिकृत व्यापारी के अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग में निम्नलिखित ब्योरे देते हुए आवेदन जमा कर सकता है,

i) प्रस्तावित बचाव उपाय का एक संक्षिप्त विवरण :

क) कारबार की गतिविधि और जोखिम के स्वरूप का विवरण,
ख) बचाव के लिए उपयोग में लाये जानेवाले प्रस्तावित लिखत,
ग) की जानेवाली वस्तु विनिमय और दलाल जिसके द्वारा बचाव के लिए जोखिमों का प्रस्ताव किया गया है और ऋण सीमा के उपयोग करने का प्रस्ताव है। संबंधित देश के विनियामक प्राधिकारी का नाम और पता भी दिया जाए,
घ) एक्सपोजर का आकार/औसत कार्यकाल और/अथवा वर्ष में कुल टर्नओवर के साथ साथ उसकी अनुमानित सर्वाधिक स्थिति और परिकलन का आधार।

ii) प्रबंधन द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंध नीति की एक प्रति जिसमें निम्नलिखित शामिल हो :

क) जोखिम पहचान
ख) जोखिम माप
ग) पुनर्मूल्यांकन और/अथवा स्थितियों की निगरानी के संबंध में अपनाया जानेवाला मार्गदर्शन और प्रक्रिया
घ) लेनदेन तथा सीमाओं के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के नाम और पदनाम

iii) कोई अन्य संबंधित सूचना

2. प्राधिकृत व्यापारी, यह सुनिश्चित करने के बाद कि आवेदन पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट प्रलेखों द्वारा समर्थित है, रिजर्व बैंक के पास अपनी सिफारिशों के साथ विचारार्थ भेजेगा।

[फा. सं. 1/9/ई सी/97]
पी. आर. गोपाल राव, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd May, 2000

No. FEMA 25/2000-RB

G.S.R. 411(E).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank makes the following regulations, to promote orderly development and maintenance of foreign exchange market in India, namely

1. Short title & commencement :-

(1) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign exchange derivative contracts) Regulations, 2000

(2) They shall come in force on the 1st day of June,2000

2. Definitions :-

In these Regulations, unless the context requires otherwise, -

(i) 'Act' means the Foreign Exchange Management Act,1999 (42 of 1999),

(ii) 'authorised dealer' means a person authorised as authorised dealer under sub-section (1) of section 10 of the Act,

(iii) 'Cash delivery ' means delivery of foreign exchange on the day of transaction ,

(iv) 'Forward contract' means a transaction involving delivery, other than Cash or Tom or Spot delivery, of foreign exchange;

(v) 'Foreign exchange derivative contract' means a financial transaction or an arrangement in whatever form and by whatever name called, whose value is derived from price movement in one or more underlying assets, and includes,

(a) a transaction which involves at least one foreign currency other than currency of Nepal or Bhutan, or

(b) a transaction which involves at least one interest rate applicable to a foreign currency not being a currency of Nepal or Bhutan , or

(c) a forward contract,

but does not include foreign exchange transaction for Cash or Tom or Spot deliveries;

(vi) 'Registered Foreign Institutional Investor (FII) ' means a foreign institutional investor registered with Securities and Exchange board of India;

(vii) 'Schedule' means a schedule annexed to these Regulations;

(viii) 'Spot delivery' means delivery of foreign exchange on the second working day after the day of transaction;

(ix) 'Tom delivery' means delivery of foreign exchange on a working day next to the day of transaction;

(x) the words and expressions used but not defined in these Regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Prohibition :-

Save as otherwise provided in these Regulations, no person in India shall enter into a foreign exchange derivative contract without the prior permission of the Reserve Bank

4. Permission to a person resident in India to enter into a Foreign Exchange Derivative contract :-

A person resident in India may enter into a foreign exchange derivative contract in accordance with provisions contained in Schedule I, to hedge an exposure to risk in respect of a transaction permissible under the Act, or rules or regulations or directions or orders made or issued thereunder.

5 Permission to a person resident outside India to enter into a Foreign Exchange Derivative contract :-

A person resident outside India may enter into a foreign exchange derivative contract with a person resident in India in accordance with provisions contained in Schedule II, to hedge an exposure to risk in respect of a transaction permissible under the Act, or rules or regulations or directions or orders made or issued thereunder

6. Commodity Hedge :-

Reserve Bank may, on an application made in accordance with the procedure specified in Schedule III, permit subject to such terms and conditions as it may consider necessary, a person resident in India to enter into a contract in a commodity exchange or market outside India to hedge price risk in a commodity

7. Remittance related to a Foreign Exchange Derivative contract :-

An authorised dealer in India may remit outside India foreign exchange in respect of a transaction, undertaken in accordance with these Regulations, in the following cases, namely;

(a) option premium payable by a person resident in India to a person resident outside India ,

(b) remittance by a person resident in India of amount incidental to a foreign exchange derivative contract entered into in accordance with Regulation 4,

(c) remittance by a person resident outside India of amount incidental to a foreign exchange derivative contract entered into in accordance with Regulation 5,

(d) any other remittance related to a foreign exchange derivative contract approved by Reserve Bank.

Schedule I
(See regulation 4)

Foreign exchange derivative contract permissible for a person resident in India

Forward Contract

A person resident in India may enter into a forward contract with an authorised dealer in India to hedge an exposure to exchange risk in respect of a transaction for which sale and/or purchase of foreign exchange is permitted under the Act, or rules or regulations or directions or orders made or issued thereunder, subject to following terms and conditions-

a) the authorised dealer through verification of documentary evidence is satisfied about the genuineness of the underlying exposure,

b) the maturity of the hedge does not exceed the maturity of the underlying transaction,

c) the currency of hedge and tenor are left to the choice of the customer,

d) where the exact amount of the underlying transaction is not ascertainable, the contract is booked on the basis of a reasonable estimate,

e) foreign currency loans/bonds will be eligible for hedge only after final approval is accorded by the Reserve Bank where such approval is necessary,

f) in case of Global Depository Receipts (GDRs) the issue price has been finalised,

g) bookings against Exchange Earner's Foreign Currency(EEFC) accounts sold forward by account holders shall remain earmarked for delivery and such contracts shall not be cancelled. They may be ,however, be rolled-over,

h) contracts involving rupees as one of the currencies, once cancelled shall not be re-booked although they can be rolled over at ongoing rates on or before maturity. This restriction shall not apply to contracts covering export transactions which may be cancelled, rebooked or rolled over at on-going rates,

i) substitution of contracts for hedging trade transactions may be permitted by an authorised dealer on being satisfied with the circumstances under which such substitution has become necessary.

B. Contract other than Forward Contract

2 (1) A person resident in India who has borrowed foreign exchange in accordance with the provisions of Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 , may enter into an Interest rate swap or Currency swap or Coupon Swap or Foreign Currency Option or Interest rate cap or collar (purchases) or Forward Rate Agreement (FRA) contract with an authorised dealer in India or with a branch outside India of an authorised dealer for hedging his loan exposure and unwinding from such hedges,

Provided that –

(a) the contract does not involve rupee,

(b) the Reserve Bank has accorded final approval for borrowing in foreign currency,

(c) the notional principal amount of the hedge does not exceed the outstanding amount of the foreign currency loan, and

(d) the maturity of the hedge does not exceed the un-expired maturity of the underlying loan,

(2) A person resident in India, who owes a foreign exchange or rupee liability, may enter into a contract for foreign currency-rupee swap with an authorised dealer in India to hedge long term exposure,

(3) The contract entered into under sub-paragraph 2, if cancelled shall not be rebooked or re-entered, by whatever name called.

3. (1) A person resident in India may enter into a foreign currency option contract with an authorised dealer in India to hedge foreign exchange exposure of such person arising out of his trade :

Provided that in respect of cost effective risk reduction strategies like range forwards, ratio-range forwards or any other variable by whatever name called there shall not be any net inflow of premium.

Explanation

The contingent foreign exchange exposure arising out of submission of a tender bid in foreign exchange is also eligible for hedging under this sub-paragraph.

(2) A Transactions undertaken under sub-paragraph (1) may be freely booked and/or cancelled.

Schedule II
(See regulation 5)

Foreign exchange derivative contracts permissible for a person resident outside India

1 A Registered Foreign Institutional Investor (FII) may enter into a forward contract with rupee as one of the currencies with an authorised dealer in India to hedge its exposure in India,

Provided that -

a) the value of the hedge does not exceed the current market value in respect of investments in debt instruments,

b) the value of the hedge does not exceed 15% of the market value of the equity as at the close of business on 31st March 1999, converted at the rate of US $ 1= Rs.42.43 plus the increase in market value/inflows after 31st March 1999 provided that the forward cover once taken shall be allowed to continue as long as it does not exceed the value of the underlying investment,

c) forward contracts once cancelled shall not be rebooked but may be rolled over on or before the maturity,

d) the cost of hedge is met out of repatriable funds and/or inward remittance through normal banking channel,

e) all outward remittances incidental to hedge are net of applicable Indian taxes

2. A non-resident Indian or Overseas Corporate Body may enter into forward contract with rupee as one of the currencies, with an authorised dealer in India to hedge,

(a) the amount of dividend due to him/it on shares held in an Indian company;

(b) the balances held in Foreign Currency Non-Resident (FCNR) account or Non-Resident External Rupee (NRE) account,

(c) the amount of investment made under portfolio scheme in accordance with the provisions of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 or under notifications issued thereunder or is made in accordance with the provisions of the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 and in both cases subject to the terms and conditions specified in the proviso to paragraph 1 of this Schedule

3. Reserve Bank may, on application, allow a person resident outside India to purchase a forward contract to hedge his investment made since 1st January 1993

Schedule III
(See Regulation 6)

Procedure for application for approval for hedging of commodity price risk

1. A person resident in India , engaged in export-import trade ,who seeks to hedge price risk in respect of any commodity including Gold, but excluding oil and petroleum products, may submit an application to the International Banking Division of an authorised dealer giving the following details.

i) A brief description of the hedging strategy proposed ; namely :-

a) description of business activity and nature of risk;

b) instruments proposed to be used for hedging ;

c) names of commodity exchange and brokers through whom the risk is proposed to be hedged and credit lines proposed to be availed. The name and address of the regulatory authority in the country concerned may also be given ;

d) size/average tenure of exposure and/or total turnover in a year , together with expected peak positions thereof and the basis of calculation.

ii) copy of the Risk Management Policy approved by the Management covering:

a) risk identification,

b) risk measurements,

c) guidelines and procedures to be followed with respect to revaluation and/or monitoring of positions,

d) names and designations of the officials authorised to undertake transactions and limits.

iii) Any other relevant information.

2. Authorised dealer after ensuring that the application is supported by documents indicated in paragraph 1, may forward the application with its recommendations to Reserve Bank for consideration.

[F No. 1/9/EC/97]
P R. GOPALA RAO. Executive Director

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 2000